खण्ड-205, अंक-8
बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1881
(5 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजार्नासिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रकावशती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ जुलाई, १९५९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लहरपुर में मुहर्रम के जलूस पर गोली चलाना

१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि १८ जुलाई, सन् १९५९ ई० को सीतापुर जिले के अन्तर्गत लहरपुर कस्बे में मोहर्रम के जलूस के सिलसिले में गोली चलाई गई है जिसमें कई व्यक्ति मर गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, पुलिस को गोली चलानी पड़ी ।

२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो उपर्युक्त मरे और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दो व्यक्ति मरे और १४ घायल हुए ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोली चलाने के क्या कारण हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो मजमा ताजिये लेकर जा रहा था उसने आदेशों को तोड़ा और लोगों के पेड़ काटे । पेड़ काटकर वह मजमा आगे बढ़ा और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक मन्दिर था, एक मस्जिद थी और एक पीपल का पेड़ भी था। उन्होंने वहां पीपल के पेड़ को ताजिया निकालने के लिये काटना शुरू किया। उस पर पुलिस ने और अधिकारियों ने उन्हें रोका । जब उन्होंने नहीं माना तो अधिकारियों ने मजमे को नाजायज क़रार दिया और कहा कि डिस्पर्स हो जाओ इस पर भी वे नहीं माने तो उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश की तो उन्होंने ढेलेवाजी की । दूसरी तरफ दूसरे वर्ग में भी उत्तेजना फैलने की नौबत आई । उस समय उन्हें चेतावनी दी गई कि आप हट जावें नहीं तो गोली चलानी पड़ेगी । इस पर भी वे नहीं हटे तो गोली चलाई गई ।

नोट —अल्प सूचित प्रश्न १–२ श्री प्रताप सिंह ने पूछे ।

श्री प्रतापसिंह---उस नाजायज मजमे से कितने आदमी इस समय गिरफ्तार हैं और कितने पर कार्यवाही चल रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---४७ गिरफ्तार हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लहरपुर से कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे इस संबंध में मिला है और एक स्मृतिपत्र दिया है और यह बतलाया है कि सरकार को जो सूचना दी गई है वह गलत है, वहां पुलिस और मुसलमानों में पुलिस की ज्यादती के कारण झगड़ा था, हिन्दू व मुसलमानों का झगड़ा नहीं था और इस समय १ दर्जन से अधिक लोग लापता हैं ? क्या सरकार इसकी इनक्वायरी कराने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल मुझसे नहीं मिला। हां, कुछ लोगों ने यह कहा कि उनके पेड़ बावजूद रोकने के उन्होंने काट डाले।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---इस प्रकार के जो साम्प्रदायिक जुलूस निकलते हैं उनका एक निश्चित मार्ग होता है। क्या यह घटना उस निश्चित मार्ग पर जाने से हुई या दूसरे मार्ग से लोगों ने जाने का प्रयास किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह मार्ग तो वही था लेकिन अभी तक ताजिये जाने का तरीका यह था कि एक के बाद दूसरा जाता था। इस बार ३ ताजिये साथ-साथ आये उन्होंने एक लाइन में चौड़ाई में इस बात की कोशिश की कि तीनों ताजिये निकालें तीन ताजियों के निकलने का रास्ता नहीं था। उसमें कुछ अड़चन पेड़ों से पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि पेड़ काट दिये जावें ताकि तीनों एक साथ ले जाये जावें। अधिकारियों ने यह समझाया कि बहुत दिनों से ताजिये आगे पीछे करके निकलते आये हैं वैसे ही ले जाइये। उन्होंने इस प्रकार निकालने से इंकार कर दिया और वहीं रुक गये। फिर उनको बहुत समझाया बुझाया गया। सायंकाल से लेकर सारी रात वे ताजिये वहां रुके रहे और इस बात का आग्रह करते रहे कि तीनों एक साथ ले जावेंगे नहीं तो जावेंगे नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने अपने हाथों से पेड़ों को काट डाला और चौड़ाई में ताजियों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और उस घटनास्थल पर पहुंचे जहां यह गोली चली।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मजमा मुन्तशिर करने के लिये लाठी चार्ज या अश्रुगैस का प्रयोग हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, लाठी चार्ज पहले किया गया था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। खूब ढेले फेके गये जिसमें १० पुलिस वाले घायल हुए और पुलिस की मोटर का ड्राइवर भी घायल हुआ।

श्री प्रतापसिंह---लाठी चार्ज करने पर कितने व्यक्ति घायल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१४ आदमी जख्मी हैं और दो आदमी गोलियों से मरे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो नाजायज मजमा था क्या उसके पास जायज नाजायज हथियार भी थे और क्या पुलिस के गोली चलाने से पहले उन हथियारों का प्रयोग किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनमें से बहुत के पास लाठियां थीं आजकल एक हथियार ढेला भी हो गया है। इसलिये ढेले चले और लाठियां चलीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो १४ व्यक्ति घायल हैं वे गोलियों से घायल हैं या लाठियों से या दोनों से? कितने लाठियों से घायल हैं और कितने गोलियों से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है कितने गोलियों से घायल हुए और कितने लाठियों से घायल हुए मेरे पास तो इतनी ही तफसील है दुर्भाग्य से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और १४ घायल हुए।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार इस वाकये के महत्व को देखते हुए इस वाकये की किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगी जो डिस्ट्रिक्ट जज से कम न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी इन्क्वायरी ए० डी० एम० (जुडीशियल) कर रहे हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने जबर्दस्ती पेड़ काट डाले हैं या यह झगड़ा किया है उन पर किस दफा के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि ४७ आदमी गिरफ्तार हैं। किस-किस जुर्म में मुकदमा चलाया जा रहा है इसकी तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विधान मंडल के कुछ सदस्यों ने सरकार के पास यह लिखकर भेजा है कि दोनों सदनों की एक कमेटी बनायी जाय और वह मौके पर जाकर इसकी जांच करे, क्योंकि मरने वालों की संख्या दो से अधिक बतायी जा रही है और यह भी कहा जाता है कि इस घटना के लिये पुलिस जिम्मेदार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि प्रदेश में निरंतर गोली वर्षा से मृत्युएं हो रही ह और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलायी जा रही हैं, ऐसा न होने पाये इसके लिये कमेटी बनायी जायगी जो मौके पर जाकर इस बात की जांच करे कि गोली चलाने की कोई आवश्यकता भी थी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रदेश मे निरंतर गोलीवर्षा तो नहीं हो रही है दुर्भाग्य से कभी ऐसा हो जाता है जिसका हमें भी बड़ा अफसोस रहता है कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कि ऐसी घटना होती है। उसकी जांच के बारे में जो सरकारी तरीका है उसके अनुसार जांच हो रही है। इसके अलावा और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उनको इसकी इत्तला है कि इस बाग के मालिक और ताजियेदारों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट था कि जब ताजिये निकलेंगे तो उसके बीच में जो शाखा आ जायगी तो इकरारनामे की रू से उसको काट दिया जायगा इसीलिये दरख्त की शाखा छांट दी गयी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसका पूरा मौका दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बाग को उखाड़ देने का कोई मौका नहीं दिया। रह गयी एग्रीमेंट की बात, ऐग्रीमेन्ट के मुताबिक उनको पूरा-पूरा मौका दिया गया कि जिस प्रकार अब तक ताजिये निकलते रहे उसी प्रकार से निकाल लिये जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उत्तर में कहा गया है कि एक जगह रात भर ताजिये रखे रहे तो उसी जगह पर गोली चली या उससे आगे चल कर पीपल के पेड़ के पास, जहां उसकी डाल काटी गयी वहां गोली चली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---डाल काट कर तीनों ताजियों के लिये रास्ता बनाया गया बावजूद पुलिस रोकने के और वे आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहां एक मस्जिद थी, एक मन्दिर भी था और वहीं पीपल का एक पेड़ भी था। तीनों ताजियों के रास्ते के लिये उन्होंने पीपल के पेड़ पर चढ़ कर उसकी डालें काटनी शुरू कर दीं। तब उस जगह गोली चली ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने राउंड गोली चली और किसके आदेश से चली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आदेश के लिये तो वहां मैजिस्ट्रेट मौजूद थे और राउन्ड कितनी चली यह नहीं मालूम है। दो व्यक्ति उस घटना से मरे इसकी सूचना मैंने निवेदन कर दी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगें कि जब शुरू में परम्परा के विरुद्ध एक ही लाइन में तीन ताजिये ले जाने के लिये कुछ लोगों ने मांग की तो उन लोगों को, जो उसमें प्रमुख लोग थे, पुलिस ने गिरफ्तार करके इस पूरे मामले को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनको तो बहुत समझाने की कोशिश की गयी क्योंकि वे शाम से लेकर सारी रात वहां ताजिये रखे पड़े रहे । वहां सरकारी आफिसर्स मौजूद थे और उनसे बहुत आरजू मिन्नत की कि जो पुराना रिवाज है उसी के मुताबिक वे ताजिये निकालें लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए और दूसरे दिन वे, बावजूद इस आदेश के तीनों ताजियों को एक साथ लेकर आगे बढ़े ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वे डालें या पड़ काट रहे थे और उन्होंने रास्ता बनाया तो उस समय पुलिस कहां थी ? क्या वह उन स्थानों पर मौजूद नहीं थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जब वे बागात काट रहे थे तो वहां पुलिस मौजूद थी और बहां मजिस्ट्रेट भी थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लहरपुर, सीतापुर के जिलाधीश ने एक अमन कमेटी कायम कर रखी थी, बाद में उस अमन कमेटी के सदस्यों को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पेड़ काटे गये थे या पेड़ की कुछ डालें काटी गयी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा खयाल है कि डालें भी काटी गयी थीं और पेड़ भी काटे गये थे। उसकी कोई तफसील तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ काट गय वे किसी व्यक्ति के थे और क्या उसने इस बात की कोई शिकायत की थी कि ये लोग हमारे पेड़ काट रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शिकायत करने की बात क्या थी। वह तो सामने देखा जा रहा था कि पेड़ काटे उन्होंने।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोली सब-इंस्पेक्टर ने चलायी या किसी पुलिस कांस्टेबिल ने चलायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना नहीं है कि किस व्यक्ति ने गोली चलायी।

तारांकित प्रश्न

समाज कल्याण कार्यों की मूल्यांकन समिति का कार्य तथा महिलाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक कानून का प्रवर्तन

*१—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या समाज कल्याण विभाग के कार्य की प्रगति आदि की जांच करने के लिये सरकार कोई कमेटी बिठाने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस कमेटी के कार्य क्या-क्या होंगें और उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१५ पर)

*२—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि भारत सरकार के महिलाओं (लड़कियों) के अनैतिक व्यापार निरोधक कानून को प्रदेश में, सक्रिय रूप में लागू करने के लिये ३० जून, १९५९ तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है और इस वित्तीय वर्ष में क्या-क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ को सक्रिय रूप से लागू करने के लिये ३० जून, १९५९ तक लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, देहरादून तथा अल्मोड़ा जिलों में उक्त ऐक्ट की धारा १३ के अन्तर्गत १५ स्पेशल पुलिस आफिसर नियुक्त किये गये। सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य तथा उत्तर रक्षा सेवा योजना के अन्तर्गत स्थापित एक उद्धार गृह तथा १२ जिला शरणालय एवं प्रवेशालयों को उक्त ऐक्ट की धारा २१ के अन्तर्गत प्रोटेक्टिव होम्स (protective homes) घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में नये प्रोटेक्टिव होम्स खोलने तथा कुछ नये जिलों में स्पेशल पुलिस आफिसर नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मूल्यांकन समिति जिसकी स्थापना हुई है, वह स्थापना कब हुई और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तारीख तो मैं इस समय नहीं दे सकूंगा जिस दिन कि इसकी सूचना निकाली गयी वैसे इसकी स्थापना जून के महीने में हुई और उसकी ३ बैठकें भी हो चुकी हैं १८, २० और २१ जुलाई को।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की गयी ? क्या कोई सिद्धान्त तय किये गये थे इस कार्य के लिये या जैसा सरकार ने स्वयं उचित समझा वैसी नियुक्त कर दी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उसका आधार मूलतः यही था कि जो लोग समाज कल्याण के कार्य में रुचि रखते हों या जो सोशल वेलफेयर प्राब्लम्स के विशेषज्ञ हों, ऐसे लोगों को रखने की चेष्टा की गयी है जैसे कि इस समिति के प्रेसीडेन्ट प्रोफेसर काली प्रसाद हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नये प्रोटेक्टिव होम्स खुलने वाले हैं वह कितने खुलने वाले हैं और कहां-कहां खुलने वाले हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---नये प्रोटेक्टिव होम्स तो जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा खुलते जायंगे। फिलहाल दो के खुलने की बात है, कहां कहां खुलेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस कमेटी की स्थापना हुई है उसके टर्म्स आफ रेफेरेन्स क्या हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह विषय तो प्रश्न के उत्तर में संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में बता दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---टर्म्स आफ रेफेरेन्स में यह है कि समाज कल्याण विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको देखा जाय, उनकी विस्तृत कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विवेचन किया जाय, उनका विश्लेषण करें और यदि उनके सम्बन्ध में कोई नये सुझाव हों तो उनको दें, कोई आलोचना हो तो उसको बतायें। जो कमियां हों उनका निर्देशन करें और एक टेक्निकल नो हाऊ, जो हमारे पास में उपलब्ध साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो बाकी वर्ष हैं उनमें क्या काम किया जाय। इसके अलावा मोटे तौर पर जो हमारी कार्य प्रणाली है आज तक की उसमें इन दो नये वर्षों में कोई सुधार या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कमेटी उसके सम्बन्ध में भी हमको निर्देशन दे। तीसरी चीज यह है कि हमारी जो समाजवादी समाज की रचना है उसको दृष्टि में रखते हुए, हमारी जो कार्यप्रणाली है उसके सम्बन्ध में यदि हमको कोई राय दे सकें तो वह भी हमको कमेटी दे। खासतौर से यह जो हमारा सोशल वेलफेयर का कार्य है और जो समाजवादी समाज की रचना है उसे दृष्टि में रखते हुए, उसमें किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, उसके बारे में भी समिति हमको बता सकती है। इसके अतिरिक्त वह नये सुझाव भी दे सकती है। हमारे प्रदेश की सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का तथा हमारे प्रदेश के समाज कल्याण के कार्य में क्या रिश्ता हो, दोनों कैसे कोआर्डिनेट किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में भी समिति हमको सुझाव दे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इसमें कहा गया है कि कुछ जिलों में स्पेशल पुलिस नियुक्त करने का विचार है। तो क्या सरकार ने तय कर लिया है कि किन-किन जिलों में वह नियुक्त की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुछ जिलों से सुझाव आये हैं जिन पर विचार हो रहा है। आगरा जिले के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसे सुझाव हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कितने प्रोटेक्टिव होम्स कायम हैं और किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---एक तो देहरादून में है, लेकिन वह ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में कार्य कर रहा है। इस तरह के १२ और हैं उन १२ जिलों में जिनके नाम मैं इस समय नहीं दे सकता हूं।

श्री प्रतापसिंह---भविष्य में जो होम्स खोले जावेंगे वे किस आधार पर खोले जावेंगे ? क्या इसके लिये कोई जांच या सलाहकार समिति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसे विभाग जरूरत समझेगा वैसे खुलेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---अभी एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने फरमाया कि कमेटी के सदस्य वे होंगे जो विशेषज्ञ हों या दिलचस्पी रखते हों। सरकार के पास यह जानने के क्या साधन है कि कौन से लोग विशेषज्ञ हैं और कौन से दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार के पास कुछ साधन हैं जिनके द्वारा वह निर्णय करती है और निश्चय लेती है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी उस कमेटी के टर्म्स आफ रेफेरेंस में यह भी बढ़ाने की कृपा करेंगे कि सर्वप्रथम ऐसी महिलाओं का जो बिलकुल आवासहीन हैं सर्वेक्षण कर दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---विचार करूंगा ।

श्री झारखंडेराय---इस कानून की सीमा में जो लड़कियां आती हैं उनके वैकल्पिक जीवन साधन के लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुछ को प्रोटेक्टिव होम्स में स्थान दिया गया है जहां आवास का प्रबन्ध है। ट्रेनिंग -कम-प्रोडक्शन सेंटर देहरादून में है जहां सिलाई, बुनाई, अम्बर चर्खे का कार्य सिखाने की व्यवस्था है। वहां सीखने के बाद वे जीवन में प्रवेश कर सकती हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी को सूचना है कि इस कानून के लागू होने के बाद इस तरह की लड़कियां निश्चित मोहल्लों से भाग कर शहर के विभिन्न कोनों और गलियों में चली गई हैं और यह अनैतिक व्यापार दूर-दूर तक समाज में फैल चुका है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या उपाय सोचा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---निश्चित सूचना नहीं है। कभी-कभी कुछ अफवाहें सुनने को मिलती हैं। निश्चित सूचना मिलने पर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

*३---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित होने के कारण २१ अगस्त, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण श्री इस्तफा हुसैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---कल मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न भेजा गया था, उसको मैं अभी तक पूरी तरह से देख नहीं सका हूं। उसमें जो शिकायतें हैं उनकी मैं जांच कर रहा हूं उत्तरों के बारे में, इसलिये मैं कल ही उसका निर्णय दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत भोटियों का व्यापार बन्द होने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार दो प्रश्न आये हुए हैं। उसमें से पहला प्रश्न जो श्री प्रतापसिंह जी ने उठाया है उसको मैं स्वीकृति देता हूं। दूसरा प्रश्न जो श्री उग्रसेन जी का है, उसके लिये मैं अनुमति नहीं देता हूं। श्री प्रतापसिंह का इस प्रकार है---"मैं आपकी आज्ञा से प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के अनुच्छेद ५२ के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा में भोटियों का तिब्बत से व्यापार जो उन का मुख्य उद्यम है, बंद होने के कारण तथा प्रदेशीय सरकार की ओर से कोई समुचित प्रबन्ध न होने के कारण भोटियों में आजीविका उपार्जन की एक नई विकट उत्पन्न परिस्थिति की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना।"

इसमें यह है कि भोटिये व्यापार बन्द होने के कारण अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विकट परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर आज वक्तव्य देना चाहेंगे या किसी और रोज ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं अभी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप अभी दे दें, वह पूरक प्रश्न भी पूछेंगे।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः यह प्रश्न न अविलम्बनीय है और न कोई नया प्रश्न है। यह परिस्थिति तो उत्पन्न उस दिन हुई थी जिस दिन कि तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ था, उसको कई साल हो गये, इसलिये कोई विकट परिस्थिति अब उत्पन्न हो गई ऐसी बात उचित नहीं है। बहरहाल जब कि चीन वालों का तिब्बत पर कब्जा हुआ उस वक्त से हमारे व्यापारी जो वहां व्यापार करने जाते थे उनके व्यापार में बाधा पड़ने लगी। इसका कारण तो चीनी अधिकारी ही जानते होंगे लेकिन वह इस बात को बहुत प्रोत्साहन नहीं देना चाहते थे कि भारतीय व्यापारी तिब्बत में जायं और जिस तरह से कि वह वहां हजारों वर्ष से व्यापार करते आते थे उसी तरह व्यापार करते रहें, यद्यपि उन्होंने भारतीय लोगों के व्यापार को बिलकुल बन्द नहीं किया क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि जो तिब्बत के उस भाग में भारत में सुगमता से पहुंच सकती हैं परन्तु फिर भी हमारा व्यापार वहां कम होता गया और भारत सरकार व प्रादेशिक सरकार का ध्यान इस तरफ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जमाने में वहां के लिये १५ लाख रुपया ग्रान्ट के रूप में और १५ लाख रुपया ऋण के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ। इसके अलावा ७० लाख रुपया वहां सड़कें बनाने में खर्च किया गया, इसलिये कि अगर उस प्रदेश में रोजगार और व्यापार बढ़ाना है और जीविका के साधन उत्पन्न करने हैं तो सड़कों की बहुत जरूरत है ताकि वहां रोजगार पैदा हों और सामान तैयार हो और वह व्यापारिक केन्द्रों तक पहुंचाया जा सके। तो जैसा कि मैंने बताया यह ७० लाख रुपया सड़कों पर और ३० लाख रुपया दूसरे कामों पर खर्च हुआ। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस क्षेत्र के विकास के लिये १ करोड़ रुपया मंजूर हुआ। उस एक करोड़ रुपए को किस तरह से खर्च होना है उसका कुछ थोड़ा सा अन्दाजा इस साल जो खर्च होने वाला है उससे हो सकता है। जो रुपया कि मेडिकल फेसिलिटीज या सांस्कृतिक विकास के लिये दिया जायगा उसको मैं छोड़े देता हूं क्योंकि उसका व्यापार या रोजगार से कोई संबंध नहीं है। मैं केवल उस रुपए का ही जिक्र करता हूं जिसका संबंध रोजगार और व्यापार के विकास से है। पशुपालन या एनीमल हस्बेंडरी के लिये साढ़े ६ लाख रुपया, ऊन का व्यापार बढ़ाने के लिये ढाई लाख रुपया, फलों के विकास और उनका व्यापार बढ़ाने के लिये १ लाख रुपया, जड़ी बूटियों के विकास के लिये डेढ़ लाख रुपया, जंगलों के विकास के लिये ५०,००० रुपया, छोटे सिंचाई के कामों के लिये ५० हजार रुपया, और व्यापारियों को ऋ देने के लिये एक स्कीम ७५ हजार रुपये की रखी गई है, आगे जरूरत पड़ी तो और बढ़ाया जा सकता है ताकि जो व्यापारी है कुछ और रोजगार करना चाहें तो मदद मिले। इसके अलावा एक और चीज है जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखने में उसका संबंध उद्यम और जीविका से नहीं मालूम होता है लेकिन वह भी संबंधित है। वह है शिक्षा के लिये साढ़े तीन लाख रुपया। क्योंकि शिक्षा के न होने से सिवाय भेड़ बकरी पालने के और कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सब जोड़ कर इस साल का खर्च १६--१७ लाख रुपये के ऊपर आता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी इसी तरह से हम रुपया रख सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया यह कहना अनुचित है। सरकार ने बराबर इस तरफ ध्यान दिया है और लोगों के लिये जीविका के साधन एकत्रित किये हैं कि अगर चीन से व्यापार बन्द हो जाय तो भी लोग बेकार न रहें इस बात का प्रत्यत्न किया जाता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि वहां के भोटियों का जितना व्यापार तिब्बत से होता था वह अब बन्द हो गया है? तो इसको केन्द्रीय विषय समझ कर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क्या लिखा, वह तो न जाने कितनी लिखा पढ़ी हुई है। हमने भी लिखा और केन्द्रीय सरकार खुद भी समझती है कि क्या-क्या रोजगार वहां पहाड़ पर चलाये जा सकते हैं। हमने भी लिखा और उन्होंने भी सोचा। कोई मतभेद हो हमारा उनका, ऐसी बात नहीं है।

*वक्ता ने भा ण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को पता है कि अल्मोड़ा जिले के भोट के रहने वाले दो व्यापारियों को हाल में कम्यूनिस्टों ने बन्द कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष—जेल में बन्द किया है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—गिरफ्तार कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष—इससे यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो १७ लाख रुपये का व्यय बतलाया वह सारा रुपया डेवलपमेंट में खर्च किया जायगा । तो भूमि की व्यवस्था या इंडस्ट्री की कुछ व्यवस्था की गई है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझा नहीं । डेवलपमेंट में खर्च किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह—मैं स्पष्ट कर दूं, श्रीमन् । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि कहीं पर औषधालय खुल रहे हैं, कहीं पर सड़क बन रही है । प्रश्न यह है कि व्यापार बिलकुल बन्द हो गया है, तो उनकी रोजी का क्या प्रबन्ध है ? सड़क बन रही है तो सड़क बनने से भेंड़ भी नहीं चरेंगी । मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके भोजन का क्या प्रबन्ध है ? खाने को न मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का कभी यह खयाल नहीं होग कि जितने आदमी हैं सबको मुफ्त खाना बांटा जाय । भेंड़ पालने की बात सोची जा रही है, वह एक साधन है । उनसे ऊन होगी, उसका रोजगार करेंगे, वह एक साधन हुआ । फल पैदा करने लगेंगे तो वह भी जीविका का साधन हुआ ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—इस बात को देखते हुए कि भोटियों का मेन व्यापार कैरियर ट्रेड था, यहां से तिब्बत ले जाना और तिब्बत से इधर लाना, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही वह तो विकास की दृष्टि से कही जिसका लाभ कुछ समय पर्यन्त होगा, तत्काल उनको लाभ देने के बारे में सरकार ने क्या विचार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि यों तो सारे का सारा पहाड़ डेफीसिट एरिया है । ऐसी बात तो है नहीं कि सब लोग भूखे मर रहे हों—भगवान न करे कि ऐसा हो—अगर ऐसी सूरत पैदा हुई तो जरूर सहायता दी जायगी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तिब्बत में जब से चीन का अधिपत्य हुआ तब से भोटियों का व्यापार बन्द हो गया है और हमारे प्रदेश को भोटियों के रोजगार में बाधा पड़ने से आर्थिक हानि हुई है तो तिब्बत पर चीन की सुजरेनिटी न मानी जाय इस संबंध में प्रान्तीय सरकार ने कोई सलाह दी थी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार की सूचना के अनुसार जब १९५० में तिब्बत में कम्युनिस्ट शासन की शुरूआत हुई उस समय से भोटियों के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा या तिब्बत में लामाओं का विद्रोह हुआ उस समय से बुरा प्रभाव पड़ा ? इसकी जानकारी करा सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि लामाओं के विद्रोह से माननीय सदस्य का मतलब हाल की घटनाओं से है तो उससे कोई बुरा असर नहीं पड़ा । वह उसी समय से प्रभाव पड़ा है जब से तिब्बत में कम्युनिस्टों का शासन हुआ ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कैरियर ट्रेड उनका था उस संबंध में उस क्षेत्र में भारत सरकार की सड़कें बन रही हैं और प्रदेशीय सरकार द्वारा भी सड़कें बन रही हैं। तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि उन लोगों को, जो सड़कों पर सामान ढुलाई करने का कार्य है, उसमें उनको विशेष सहूलियत दी जाय ? इस पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, विचार किया। हम ऐसा कर ही रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस पर ध्यान देगी कि इन भोटियों को तराई-भावर में जमीन देकर वहां बसाने की व्यवस्था की जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहले तो तराई-भर में जमीन बहुत कम है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि जो जहां रह रहा है उसको वहां से हटाया जाय। बल्कि वे वहीं रहें और वहीं उनको रोजगार और व्यापार दिया जाय और वहीं फूलें-फूलें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि जो जड़ी, बूटियों के उद्योग के बारे में कहा इसके लिये १९५६-५७ में भी २,००,००० रुपये रखा गया, लेकिन वह पूरा का पूरा लैप्स हो गया ? १९५८ की आडिट आब्जेक्शन में यह बात आयी और जो सड़कें बनने जा रही हैं, बागेश्वर से जो सड़क बन रही है उसको १० साल हो गये वह अभी तक पूरी नहीं हुई। इस काम को जल्दी कराने के लिये कोई कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट मानती है कि यदि तिब्बत पर चीन का अधिकार न हुआ होता तो भोटियों का रोजगार बन्द न हुआ होता ?

श्री अध्यक्ष—आप असंगत बात कर रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण हरदम किया करते हैं। यह व्यापारिक क्षेत्र है।

श्री प्रतापसिंह—जो ७५,००० रुपये कर्जे की योजना सरकार ने बनायी है वह कर्जा जिस आदमी के नाम पर जमीन और जायदाद होती है उसी को दिया जाता है। तो क्या भोटियों के लिये उस नियम का ऐक्सेप्शन माना जायगा या उसी नियम के मुताबिक कर्जा दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पूरे नियम इस वक्त नहीं कह सकता। वैसे यह है कि व्यक्तिगत रूप से कोई कर्ज चाहे तो १,००० रु० और कोआपरेटिव सोसायटी को ४,००० रु० दिया जा सकता है।

कार्यवृत्त में छपी अशुद्धि का शोधन

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आज फिर छपाई की गलती है। कार्यवृत्त जो है इसमें गलत छपाई हो गई। एक प्रस्ताव जो अस्वीकृत हुआ था-उसको स्वीकृत दिखा दिया गया। न्याय मंत्री के भाषण के उपरान्त प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ उसको स्वीकृत छाप दिया गया। आप अपनी प्रति में अस्वीकृत कर लें। मैं भी एक शुद्धि-पत्र निकलवा दूंगा।

जानकारी की मांगें

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं, श्रीमन, निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने कत्ल के संबंध में, लार, थाना भरारा, जिला देवरिया, से सम्बन्धित एक प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष—आप कल देंगे तो पुनः विचार करूंगा। आज तो मैंने नामंजूर कर दिया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय त्रिलोकीसिंह जी को वह सूचना दे दी कि लीगल ऐडवाइजर की ओपीनियन क्या थी जो उन्होंने.....

श्री अध्यक्ष—मैं यहां प्रश्न करने की आपको इजाजत इसलिये नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण—प्रश्न यहां फिर शाम को उठ जायगा ।

श्री अध्यक्ष—उत्तर तो आपके जो पड़ोस में बैठते हैं वहां जाकर उनसे पूछ लें।

श्री राजनारायण—मैंने कहा था कि चिट्ठी लिख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप उनसे ही पूछ लीजिये ।

क्वीन्स कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ की पढ़ाई बंद करने के संबंध में सूचन

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्री राजनारायण जी ने यह कहा था कि आदेश यह गया था कि तुम्हारे लड़के भर्ती किये जायंगे और फिर आने पर वह कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि तुम भरती नहीं किये जाओगे। इसमें मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि प्राधानाचार्य ने या किसी अधिकारी ने किसी प्रकार का मौखिक या लिखित आश्वासन किसी को नहीं दिया था और न इसकी सूचना दी थी कि कक्षा ७ में इस वर्ष भरती होगी और कक्षा ७ में इस वर्ष जो १४ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे उनमें से ४ विद्यार्थी उसी कक्षा में नाम लिखाने आये थे तो प्रिन्सिपल ने कहा कि इस वर्ष कक्षा ७ नहीं खुल रही है, दूसरी जगह नाम लिखा लीजिये ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कक्षा ७ में कुछ विद्यार्थियों के नाम लिख भी लिये गये थे और बाद में जब ११ जुलाई को स्पष्ट शिक्षा विभाग से आदेश गया कि ७ वें दर्जे की पढ़ाई नहीं होगी तब उनकी फीस वापस की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि कल यह प्रश्न पूछा गया था कि लोगों से कह दिया गया था कि आपके बच्चे भर्ती किये जायंगे और गार्जियन्स जब ले कर आये तो कह दिया गया कि भरती नहीं करेंगे, मैंने मालूमात की तो मालूम हुआ कि प्रधानाचार्य ने किसी को भी मौखिक या लिखित आश्वासन नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष—उनका प्रश्न यह है कि प्रधानाचार्य ने कुछ लोगों को भरती कर लिया था और फिर उसके बाद नाम काट कर उनकी फीस वापस कर दी, यह किसी अखबार में छपा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह उनका नया प्रश्न है । फिर इस विषय पर जानकारी हासिल कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप कृपा कर उस अखबार की कटिंग माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिये ।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा ।

*उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९

खंड ४—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—कल उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, में संशोधन पर राय ले ली गयी थी। अब मुख्य खंड पर राय लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

* १ अप्रैल, १९५९ की कार्यवाही में छपा है ।

†४ अगस्त, १९५९की कार्यवाही से ।

खंड ५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १०७ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १०७ की उपधारा (४) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के रूप में होंगे तथा महापालिका के दो और पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी समिति नामोदिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे।"

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं खंड ५ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं:—

"खंड ५ के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ से ५ तक के शब्द 'मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो सभापति के रूप में होंगे तथा' निकाल दिये जायं।"

श्रीमन्, आप देखें कि यह जो धारा १०७ का संशोधन हमारे सामने उपस्थित है प्रतिबन्धात्मक खंड के संबंध में उसके शब्द आपके सामने मौजूद हैं और यह जिस धारा से संबंधित है उसको पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं। यह धारा १०७ यद्यपि बहुत लम्बी-सी है किन्तु उसके संबंध में स्पष्टीकरण आपके सामने रखना आवश्यक है। धारा १०७ में हमारी महापालिका में अधिकांश जो अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग होंगे उनकी नियुक्ति के संबंध में दिया हुआ है। मैं आपके सामने थोड़ा-सा यह स्पष्ट कर दूं कि आपकी इन नयी महापालिकाओं में जो सब से बड़ा अधिकारी एक प्रकार से कार्यकारिणी के संबंध में है वह है नगराधिकारी। ये नगराधिकारी संशोधन के अनुसार धारा ५८ के मुताबिक नियुक्त होते हैं और धारा ५८ में लिखा हुआ है कि मुख्य नगराधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा। और इसके अनेक अधिकार हैं। किन्तु नियुक्ति के बारे में यह भी कहा गया है जो कि इस धारा की उपधारा (२) में है कि "मुख्य नगराधिकारी प्रथम बार में तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदासीन रहेगा और उसकी नियुक्ति एक बार में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये समय-समय पर नवीकृत की जा सकती है।" इसका अर्थ यह निकला कि यह नगराधिकारी ३ वर्ष के लिये पहले नियुक्त किया जायगा और उसकी सेवायें ३ वर्ष के लिये फिर नवीकृत की जा सकती हैं। यानी ६ साल के लिये यह नगराधिकारी किसी भी महापालिका में रखा जा सकता है जब कि स्वयं महापालिका ५ साल की अवधि रखती है। तो हम कह सकते हैं कि नगराधिकारी एक मजबूत अधिकारी होगा।

इसी प्रकार से जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनके बारे में धारा १०६ में है। नगराधिकारी के साथ दो अधिकारी और होंगे जिनमें से एक उप और दूसरा सहायक के रूप में होगा। इनके अलावा विशेष तौर से स्वास्थ्य अधिकारी अभियन्ता है। इन सब की नियुक्ति के बारे में यह सिद्धान्त रखा गया है कि इनकी नियुक्तियां करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श ले लिया जाय किन्तु यह परामर्श लेते समय भी सरकार का हाथ रहेगा ही। यह सही है कि मुख्य नगराधिकारी के अलावा जो और अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति के बारे में सारा निर्णय लोक सेवा आयोग द्वारा ही होगा लेकिन धारा १०७ की उपधारा (२) में यह दिया हुआ है :—

"२०० रुपया मासिक से अन्यून प्रारम्भिक वेतन वाले अन्य पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से विहित रीति के अनुसार की जायगी।"

इसका मतलब यह हुआ कि २०० रुपये से अन्यून पाने वाले अधिकारियों के बारे में लोक सेवा आयोग परामर्श देगा लेकिन वह भी सरकार की बताई हुई रीति-नीति के अनुसार। फिर इसी की उपधारा (३) में दिया हुआ है कि :—

"उपधारा (१), (२) तथा (५) में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़ कर अन्य सब नियुक्तियां उपधारा (४) के अधीन संगठित चुनाव करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेंगी, और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार :—

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी को होगा।"

श्री अध्यक्ष—मुझे आप अपना संशोधन जरा समझा दीजिये कि अगर सभापति यह नहीं होगा आपके हिसाब से मुख्य नगराधिकारी या नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो जब सभापति शब्द आपने निकाल दिया तो फिर इसमें समिति बनाई जायगी उसमें दो और पदाधिकारी का क्या अर्थ होता है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप क्या कह रहे हैं, पहले यह बताइये कि दो और पदाधिकारियों का क्या अर्थ होगा ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसका उल्लेख निर्वाचन समिति से संबंध रखता है। इसकी व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसके देखने से स्पष्ट हो जायगा कि यह अन्य पदाधिकारी निर्वाचन समिति के पदाधिकारी होंगे। वही बात मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—सभापति कौन होगा ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इसी को बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन को पढ़िये। अगर मंजूर हुआ तो उन शब्दों को हटाकर जितना वाक्य रह जाता है, उसका क्या अर्थ रह जाता है ?

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्तियों के संबंध में जो उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा महापालिका के दो और पदाधिकारी होंगे जिनको कार्यकारिणी समिति नामोद्दिष्ट करेगी और इस समिति का सभापति मुख्य नगर लेखा परीक्षक होगा।" इसमें से आपने सभापति को छोड़ दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इसलिये छोड़ दिया है कि निर्वाचन समिति के निर्वाचन का प्राविजन धारा ४ में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी में मुख्यनगराधिकारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिये नियुक्ति करनी हो, होंगे। मुख्य नगराधिकारी तथा उनके अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोद्दिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा। यह स्पष्ट दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—यानी आप कहते हैं कि वह रिडडेंट है, अनावश्यक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां, रिडडेंट तो है ही और सरकार मान ले तो ठीक है। इसके अलावा सैद्धान्तिक रूप से भी मैं आपत्ति रखता हूं। वह यह है कि महापालिका का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्शन सरकार के हाथ में है। नगराधिकारी सरकार द्वारा बाकी २०० रुपये से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तथा इससे नीचे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

के कर्मचारियों के लिये एक सिलेक्शन समिति बनाई गई है। इसमें चार आदमी रहेंगे। एक मुख्य नगराधिकारी, जिस विभाग के लिये नियुक्ति करनी हो उसका अध्यक्ष और दो आदमी कार्यकारिणी समिति द्वारा नामोद्दिष्ट होंगे। इन चार आदमियों की समिति में दो आदमी कार्यकारिणी द्वारा नामजद हैं। यदि इसका सभापति मुख्यनगराधिकारी को या उस विभाग के अध्यक्ष को बना देते हैं तो एक प्रकार से दो-दो वोट दोनों के हो जायेंगे और तीसरा कास्टिंग वोट सभापति का हो जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सिलेक्शन कमेटी में कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य होंगे और चार आदमियों की सिलेक्शन समिति बनेगी। उन चार आदमियों में भी चुने हुये सदस्यों की राय प्रिवेल नहीं करेगी बल्कि राय प्रिवेल करेगी सरकार के बनाये हुये पदाधिकारियों की यानी नगराधिकारी तथा तत्कालीन विभागीय अध्यक्ष। नगराधिकारी और विभागीय अध्यक्ष दोनों सरकार के अधिकारी हैं। दो ही आदमी ऐसे हो सकते हैं जो कार्यकारिणी समिति द्वारा नामोद्दिष्ट हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में टाई पड़ने पर सरकार के नामजद नगराधिकारी या विभागीय अध्यक्ष की ही वायस प्रिवेल करेगी। इसमें यह होना चाहिये कि नगराधिकारी या विभागीय अध्यक्ष को सभापति होने के लिये अनिवार्यतः न रखा जाय बल्कि उनमें से सदस्यों की भी सभापति होने की सम्भावना रखी जाय। होगा इसमें यह कि कार्यकारिणी के जो सदस्य होंगे वह जनता के चुने हुये और कार्यकारिणी द्वारा नामजद किये हुये होंगे। तो जो यह नियुक्तियां होंगी उनमें सीधे जनता के प्रतिनिधियों की आवाज होगी अन्यथा दो सौ से कम की नियुक्तियों में भी सारा प्रतिनिधित्व सरकार के ही नामजद किये हुये लोगों का ही होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये शब्द हटा दिये जायं "मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक जैसी भी दशा हो सभापति के रूप में होंगे तथा" अन्त में यह हो जायगा, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनायी जायगी उसमें महापालिका के दो और पदाधिकारी जिनको कर्यकारिणी समिति नामोद्दिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे" यह रह जायगा। इसका यह परिणाम होगा कि इन चार आदमियों में से कोई भी आदमी सभापति बनाया जा सकता है। चाहे तो सरकार अपनी गलती को स्वीकार कर ले। इस बात को मान ले कि यह रिडंडेंट है। लेकिन मेरी यह भी प्रार्थना है कार्यकारिणी के बनाये हुये सदस्यों को सेलेक्शन कमेटी में प्रेजाइड करने का राइट हो। इससे यह लाभ होगा कि वह कास्टिंग वोट दे सकेंगे और जब टाई हो तो सरकार अधिकारियों की टाई न प्रिवेल कर सके बल्कि जनता के प्रतिनिधियों को वायस प्रिवेल कर सके। यही मेरा उद्देश्य है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान से अवस्थी जी का भाषण सुना। मालूम होता है कि वह कुछ उलझ गये हैं। एक बहुत छोटा सा संशोधन है और यह सिर्फ उस परिस्थिति के लिये है जब कि नगराधिकारी के विभाग का सेलेक्शन होता हो तो उसमें मुख्य नगराधिकारी और लेखा परीक्षक होगा। चूंकि हेड आफ दि डिपार्टमेंट और होना चाहिये और वह खुद ही हेड आफ दि डिपार्टमेंट है तो दो ही व्यक्ति हो सकेंगे। इसलिये ऐसी व्यवस्था की गयी है वरना पहले मेरा भी यही खयाल था कि यह इस स्थिति को कवर कर लेता है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जिनमें सिर्फ दो ही व्यक्ति रह जायं। उसे प्रोवाइड करने के लिये यह संशोधन रखा गया है। यह बहुत छोटा सा संशोधन है। बहुत ज्यादा विचार करने की बात है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मुझे मंत्री जी की बात सुन कर यह मालूम पड़ा कि उलझन की शिकायत मेरी तरफ नहीं उनकी तरफ है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एक दूसरे से उलझ गये हैं। यह सही बात है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप देखें कि इसमें शब्द स्पष्ट हैं, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा

सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनायी जायगी ।" यह उल्लिखित समिति बनायी जायगी । यह सारी उल्लिखित समिति जो है यह धारा ४ में है । उसमें उल्लिखित है कि सभापति भी बनेगा । यह अनुल्लिखित नहीं है । यह जो सेलेक्शन कमेटी है वह उल्लिखित दफा ४ के मुताबिक है और उसमें लिखा हुआ है कि उसमें दो तो होंगे ही । उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुख्य नगराधिकारी या उसका नामांकित व्यक्ति, तो वह तो उसमें मौजूद है । दो बातें उसमें पहले से ग्रान्टेड हैं । अब तीसरी चीज नयी जोड़ी जा रही है और उसमें सिर्फ यह बात आयी कि दो आदमी कार्य-कारिणी समिति के द्वारा हों । यह चीज नयी हो सकती है । यह जो नयी चीज जोड़ी गयी उसके जोड़े जाने से या तो यह उसको दोहरा दिया गया लेकिन उसके अलावा भी मेरा कहना यह है कि जो दो आदमी जोड़े जायेंगे उनमें से भी किसी को सभापतित्व करने का मौका मिले । यह तो इतना साफ है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मंत्री जी इसको समझ क्यों नहीं पाते ।

(श्री विचित्रनारायण शर्मा के उठने पर)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप उनको बोल लेने दीजिये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरा खयाल है कि मैं साफ कर दूं तो वह जरा और टु दी प्वाइंट आ जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--नहीं, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं । साफ करने से वह और उलझ जायेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं तो उनको इंटरवेन करने का मौका दे रहा था । ऐसा है श्रीमान् जी कि मंत्री जी को समझने में दिक्कत यह रहा करती है कि उनके खयालात बहुत ऊंचे हुआ करते हैं और नीचे उतर करके सोचने में उनको कठिनाई होती है । स्पष्ट है उसके अन्दर जो कि धारा ४ में दिया हुआ है उसको देखें तो दो बातें मिलती हैं । एक तो यह कि सेलेक्शन कमेटी होगी और उस सेलेक्शन में दो आदमी रहेंगे ही । दूसरे यह कहा गया है कि वह जो सेलेक्शन कमेटी होगी उसमें सभापति का आसन मुख्य नगराधिकारी या अध्यक्ष आक्यूपाई करेगा। दो बातें दी हुई हैं । अब उसके बाद प्रोवाइजो का लगाना तभी जरूरी होता है जब कि कोई चीज शेष रह जाय, कोई क्लेरिफिकेशन रह गया हो । मेरा कहना यह है कि उसमें उसका रिपीटेशन तो होता है ही लेकिन उसके साथ ही एक बात और है । मुझे धारा ४ को संशोधित करने का मौका नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं कहता कि इसको इसमें से हटा दिया जाय। लेकिन वह नहीं हो सका तो मैं यहां यह चाहता हूं कि इसमें जो दो आदमी आयें उनमें से कोई भी सभापति हो सके। अगर यह स्वीकार कर लिया जाय तो यह हो जायगा कि उन दो आदमियों में से भी किसी को मौका मिल सकेगा कि वह सभापति हो सके । इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय । इससे उन दो रिप्रिजेंटेटिव्ज को भी सभापति होने का मौका मिलेगा जो कि एक सुन्दर प्रणाली होगी ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, अगर सब-सेक्शन (४) को पढ़ा जाय तो साफ हो जायगा दी सेलेक्शन कमेटी शैल रिफर टु .....

श्री अध्यक्ष--आप हिन्दी में पढ़िये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उपधारा (५) में उल्लिखित समिति सेलेक्शन कमेटी में मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिये नियुक्ति करनी हो, होंगे। मुख्य नगराधिकारी तथा उसकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोद्दिष्ट किया हुआ सदस्य चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा। अब, श्रीमन्, इसमें कंसीव यह किया गया है कि तीन व्यक्ति होंगे सेलेक्शन कमेटी में । एक नगराधिकारी, एक मुख्य लेखा परीक्षक और एक व्यक्ति जो कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट होगा । अब जब हेड आफ दि डिपार्टमेंट होगा लेखा परीक्षक खुद तो उसके लिये प्राविजन कर दिया गया है इसमें कि उस परिस्थिति में लेखा परीक्षक खुद उसका सभापति होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---और दो व्यक्ति और होंगे क्योंकि दफा ४ में दो ही व्यक्ति होंगें । जब कि लेखा परीक्षक के डिपार्टमेंट के आदमियों की नियुक्ति का सवाल होगा तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट वही होगा और लेखा परीक्षक भी वही होगा । तो दो व्यक्ति ही रह जाते हैं । इसलिये यह प्राविजन किया गया है । उस हालत में लेखा परीक्षक हेड होगा यानी चेयरमैन होगा । दो व्यक्ति उसके साथ और होंगे । जो डिफिकल्टी वास्तव में लेखा परीक्षक के मातहत डिपार्टमेंट के नौकरों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में उठती थी वही नगर अधिकारी के यहां काम करने वालों के सम्बन्ध में उठ सकती है । यदि इंजीनियरिंग विभाग की बात है तो वहां पर वह तीन हो जाते हैं । लेकिन जहां पर नगर अधिकारी हेड आफ दि डिपार्टमेंट खुद है वह डिफिकल्टी तो अपनी जगह रह जाती है तो उसको रिकवर करने के लिये इस प्राविजो में यह प्राविजन कर दिया गया है कि लेखा परीक्षक और नगर अधिकारी दोनों उस हालत में रहें । यह इतनी सिम्पुल सी बात है कि जिसके समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ से ५ तक के शब्द "मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो सभापति के रूप में होंगे तथा" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६ व ७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १२६ का संशोधन

६---मूल अधिनियम की धारा १२६ की उपधारा (१) में :---

(१) शब्द "नियत दिनांक से" के पश्चात शब्द "तथा राज्य सरकार के किन्हीं तदर्थ निदेशों के अधीन रहते हुये" रख दिये जायं ।

(२) खंड (क) में शब्द "जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दें निकाल दिये जायं; तथा

(३) खंड (ख) में शब्द "प्राधिकारी के" तथा शब्द "समस्त" के बीच में शब्द "नगर (City) में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध में" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ४०४ का संशोधन

७---मूल अधिनियम की धारा ४०४ के प्रतिबन्धात्मक खंड में "इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९११" के स्थान पर "फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८० का संशोधन ।

८---मूल अधिनियम की धारा ५८० की उगधारा (१) में शब्द "नियत दिन के पश्चात् १२ महीनों तक" के स्थान पर शब्द "उस अवधि में जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय किन्तु जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के आगे तक न हो" रख दिये जायं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, खंड ८ में मेरा संशोधन है जिसके शब्द ये हैं

"खंड ८ की पंक्ति ३ के शब्द 'दो वर्ष' के स्थान पर शब्द '१८ माह' रख दिये जायं।"

यदि मैं आपकी अज्ञा से ५८० को पढ़कर सुना दूं तो यह और भी स्पष्ट हो जायगा क्योंकि यह उसी के सम्बन्ध में है वह इस प्रकार है कि—

"यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल आज्ञा देकर यह निर्देश कर सकती है कि यह अधिनियम नियत दिन के पश्चात् १२ महीनों तक ऐसे अनुकूलनों सहित चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जो आवश्यक तथा इष्टकर समझे जायं।"

इस कठिनाई को दूर करने के अधिकार में सरकार को जो १२ महीने की अवधि तक था उसमें कुछ वृद्धि की गई है। उसमें २ साल कर दिया गया है। तो मैं आपके सामने वास्तविक दिक्कत जो कि इस कानून में अपनाई गई है रखना चाहता हूं। इस कानून को बने साल भर के करीब होता है। अभी तक चुनाव नहीं हो पाये हैं। चुनाव का समय बढ़ता जा रहा है। अब अक्तूबर में किये जाने की घोषणा है। जिस प्रकार की घोषणा पहले की गई थी उस घोषणा को यदि हम सत्य रूप में लेते तो यह चुनाव मई या जून में हो गये होते और उस हालत में यह जो कठिनाई सरकार को दिखाई पड़ी वह कठिनाई सही मानी जाती और १२ महीने तक वह कर सकते थे किन्तु यदि अब हम उनकी बात को सत्य मानें तो अक्तूबर में ये चुनाव होने वाले हैं। इस तरह से सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये जो अवधि बढ़ाने जा रही है मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। या तो हम सरकार के इरादे को सत्य मानें कि अक्तूबर तक चुनाव होंगे और अगर अक्तूबर तक चुनाव करते हैं तो उसके लिये १८ महीने रखना उचित ही होगा और यदि उनकी अवधि में परिवर्तन हो सकता है जैसा कि यह मालूम है कि बाहर से उनका इरादा कुछ होता है और अन्दर से कुछ होता है तो फिर किस किस चीज को सही माना जाय, तो यह कठिनाई दूर करने का अधिकार सरकार को देना भी कठिनाई उत्पपन्न करता है। आपने देखा कि यूनिवर्सिटी के संबंध में जितने भी अध्यादेश और कानून आये उनका उद्देश्य कठिनाई निवारण करना था लेकिन वह तमाम कठिनाइयां दूर करने से कठिनाई पैदा होती गयीं। सरकार जितना समय बढ़ा रही है उतना नहीं बढ़ाना चाहिये और यह काम १८ महीने में हो जाना चाहिये। यह मेरा छोटा-सा संशोधन है और मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह इसको उचित समझेगी और स्वीकार करेगी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर मैं इस संशोधन को स्वीकार कर सकता। लेकिन इधर का जो अनुभव हो रहा है उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि इतनी कठिनाइयां आ सकती हैं कि १२ महीने का समय पर्याप्त न हो और इसके लिये ही उसको बढ़ा कर दो साल का किया जा रहा है। खाम ख्वाह सरकार इसको इस्तेमाल करेगी ऐसा नहीं है। दिक्कतें पड़ेंगी और सदन में आकर उनका निवारण नहीं हो सकता। चूंकि ११ महीने का समय कम लगता है इसलिये ऐसा किया जा रहा है और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि कोई गैरजरूरी चीज ला नहीं सकेंगे। हमारी सर्विसेज को एक करने की बात है, कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में हैं, कुछ और दूसरे विभागों में हैं, उनका एकीकरण करने के लिये काफी दिक्कत पड़ रही है, लेकिन चूंकि सदन से एक प्रस्ताव पास हो चुका था और उसमें एक संशोधन हो चुका था कि फिर से उनका स्क्रीनिंग हो तो इसलिये ऐसा हुआ। हम कम से कम जितना हस्तक्षेप करना पड़े उतना ही करना चाहते हैं उससे ज्यादा नहीं। इसलिये हमारे इस आश्वासन को मान कर दो साल का समय दिया जाय, नहीं तो दिक्कतें पड़ेंगी। इस स्थिति में आशा करता हूं कि अवस्थी जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकार अक्तूबर में चुनाव करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध है क्या, इस संबंध में माननीय मंत्री जी के भाषण से कुछ प्रकट नहीं हुआ। दूसरी-दूसरी बातें कह कर सरकार ने प्रकट रूप में नहीं बतलाया कि चुनाव वह निकट भविष्य में कर रही है। और इसी संबंध में यह अवधि बढ़ाने का संशोधन था। यदि हमें निश्चित रूप से मालूम हो जाता कि चुनाव अक्तूबर में होंगे तो अधिक सुविधा होती।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव पोस्टपोन करने की दृष्टि से इसके अन्दर कोई बात या भावना नहीं है। वैसे यह संशोधन तो आया ही है इसलिये कि अवस्थी जी जिस पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं उसके लिये कुछ सुविधा हो सके। लगे हाथों गंगा स्नान हो रहा है इसलिये इसको भी पास करा लिया जाय इस विचार से यह लाया गया है। जून में चुनाव होने वाले थे और वह क्यों टल गये यह सब को मालूम है। अगर वह होते तो भी यह रहता। चुनाव कब कराये जायेंगे इसके साथ इसको मेहरबानी करके आप न जोड़ें और गवर्नमेंट की नेकनीयती पर विश्वास रखें कि वह चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कहां तक विश्वास करें? तीन तीन दफा विश्वासघात हुआ है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विश्वासघात हुआ है तो अकेले हम उसके दोषी नहीं हैं। राजनारायण जी भी दोषी हैं। फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि चुनाव कराये जायं। वह चाहते थे कि बदनामी दूसरों को मिले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इच्छा चुनाव को पोस्टपोन करने की नहीं है और इस आवश्वासन के साथ वह आशा है कि अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे बहुत ही दुख है कि मुझे माननीय विचित्रनारायण जी की बात का खंडन करना पड़ रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि वह वृद्धावस्था में हैं इसलिये उनकी स्मरणशक्ति क्षीण हो सकती है....

श्री अध्यक्ष—व्यक्तिगत नहीं।

श्री राजनारायण—मैंने किसी बयान में, बाहर इस सदन में, लिखित पत्र द्वारा, या फोन द्वारा एक बार नहीं अनेक बार उनसे कहा कि आप चुनाव कराइये। यहां तक कि जब २० मई को विचित्रनारायण जी का बयान अखबारों में निकला, मैं उस समय मेरठ में था। तब भी हमने वहां से खत लिखा, अखबारों को बयान दिये कि चुनाव किया जाना चाहिए और जल्दी कराया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि विचित्र नारायण जी को ही नहीं बल्कि जिन-जिन लोगों ने उनकी सहायता की हो कि ये चुनाव टाले जायं मैं सभी की भर्त्सना करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति ३ के शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "१८ माह" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९ व १०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ५८१ में अंक "१९४८" के पश्चात् एक कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "तथा" के पहले "यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की अनुसूची २ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची २ के पैरा १० के उप-पैरा (२) की संख्या बदल कर (३) कर दी जाय और निम्नलिखित को उप-पैरा (२) के रूप में रख दिया जाय:—

"(२) उक्त ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्त के पूर्ण विराम को कोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा उसके पश्चात निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड बढ़ाया गया समझा जाय :—

"Provided that this sub-section shall not apply to any land acquired under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 except—

(*a*) land acquired under sub-section (4) of section 348 of the Adhiniyam, and

(*b*) buildings in the actual occupation of the owner or occupied free of rent by a releative of the owner, and land appurtenant thereto, and

(*c*) gardens not let to tenants but used by the owners, as a place of resort."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में संशोधन किया जाय; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

अतएव, भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न था कि जो प्रस्तावना और शीर्षक में विधेयक का नाम है वह पूरा पढ़ा जाना चाहिये था, वह न कह कर केवल "उपर्युक्त विधेयक" कह दिया, यह ठीक नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं नाम पढ़ने में मंत्री जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, पूरा पढ़ना चाहिए।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिक (संशोधन) विधेयक, १९५९ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—विरोध तो आप कर चुके, जरा संक्षेप में कीजियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसलिए विरोध कर रहा हूं कि इसमें कुछ मौलिक संशोधन रखे गये और उनको सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया और विरोधी दल के दिल में जो शंका थी वह ज्यों की त्यों आज भी मौजूद है। इन सभी कारणों को देखते हुए और विशेष तौर से इसमें जो प्राधिकारी के सम्बन्ध में संशोधन था वह भी स्वीकार नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इन कारणों से मैं समझता हूं कि यह विधेयक सदन द्वारा पारित होने के लायक नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महानगरपालिका का जो विधेयक अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है जैसा कि बहुत दिनों से प्रदेश की जनता लालायित होकर इसकी ओर निहार रही है और जहां तक वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और आगरा, इन ५ महानगरों में रहने वाली जनता का सम्बन्ध है वह जनता यह समझती थी कि कोई ऐसा अधिनियम हमारे सामने आयेगा जिससे हम अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करेंगे और नागरिकता के जो मूल अधिकार हैं उन्हें प्राप्त करते हुए सही माने में जनतांत्रिक प्रणाली पर चल पायेंगे, श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि इसके जरिये उनकी वह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। क्या ही अच्छा हुआ होता यदि माननीय मंत्री जी हम लोगों की बातों को मान कर सही माने में जनता के जनतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाला विधेयक बनाये होते। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

अगर आप देखें तो आपके नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी थी, जो खेर कमेटी के नाम से मशहूर है। उसने भी स्वायत्त शासन सम्बन्धी व्यवस्थाएं किस तरह से प्रचालित हों, संयमित हों, नियमित हों, उसके बारे में अपनी बहुत-सी सम्मतियां प्रकट की हैं। पूरी एक किताब छपकर रखी है। उसको भी देखा जाय कि किस हद तक इस विधेयक में हम उसको समावेश करा पाये हैं। हम समझते हैं कि उसके मूल पर कुठाराघात हुआ है और जो मौलिक तत्व जनतंत्र में जनता पर जाने चाहिये वह नहीं गये हैं। एक मूल चीज और है श्रीमन्, वह मैं बहुत थोड़े में ही आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो मूल अधिनियम था वह तो पारित हो चुका है, अब सिर्फ संशोधन आये हैं।

श्री राजनारायण—मैं संशोधनों पर ही आ रहा हूं। संशोधनों के जरिये बहुत बातें आई हैं। हमने बहुत कोशिश की श्रीमन्, कि जो लोग सजा पाये हुये हैं उनके सम्बन्ध में सरकार अच्छी तरह से धारायें गिनाये कि किन धाराओं के अन्तर्गत यदि उनकी सजा होगी तो वह इससे

वंचित रहेंगे। बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं गिनाई गई और कह दी गई वही पुरानी बात जो कि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में है कि दो वर्ष तक जिनकी सजा हो गई हो, चाहे किसी भी दफा में हुई हो वह सब वंचित रहेंगे। इस संशोधन के जरिये सरकार ने यह बात कराई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जनतांत्रिक भावना को स्थान नहीं दिया गया है। कौन-कौन दफायें हैं जिनमें सजा होने पर लोगों को वंचित किया जाय? एक 'मारल टर्पीट्यूड' का शब्द चल गया है जिसकी अभी परिभाषा नहीं हुई है। गैर सामाजिक जो अपराध है उनको हम और आप या इस समाज के दूसरे जानकार लोग और माननीय मन्त्री जी स्वतः इस बात को जान गये हैं कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिनको अनैतिक माना जाना चाहिये। इसलिये कौन से असामाजिक अपराध हैं उनको धाराओं में लिखते ताकि जनता के लिये गुंजायश हो जाती। भुक्तभोगी तो हम लोग ही हैं जिनकी आन्दोलन में ३२-३२ महीने की सजा हो गई, सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की। तो हमारी जनता की स्थिति जहां पहले थी वहीं अब भी रह गई है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को अब भी चुनावं कराने से पूर्व अवसर मिल सकता है। जैसा कि अभी अवस्थी जी ने कहा कि उनकी भी इच्छा नहीं और इस सरकार की भी इच्छा नहीं कि चुनाव में देर हो और किसी भलेमानुस को किसी के इन्टेन्शन्स में नहीं जाना चाहिये। हम किसी के इन्टेन्शन्स में नहीं जाना चाहते। सरकार की इच्छा जरूर होगी जबकि माननीय मन्त्री जी बराबर कह रहे हैं तो हम क्यों न मानें कि वह जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। जब सरकार चुनाव कराने के लिये कटिबद्ध है और जल्दी करना चाहती है तब तो ८-७ वर्ष हो गये और अगर जल्दी न कराना चाहती तो क्या होता, इसको जरा आप समझें और माननीय मन्त्री जी समझें।

इन सब बातों को देखते हुये हम इतना ही कहेंगे कि जनतन्त्र के जो मूल सिद्धान्त है उस ओर नहीं जाया गया है। जनतन्त्र में प्रभुसत्ता जनता में सन्निहित होती है, जनता के पास रहती है। जनता उस शक्ति का एक हिस्सा निकाल कर अपने प्रतिनिधि को देती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय विचित्रनारायण जी के लिये मैं यह कहने की धृष्टता नहीं करूंगा कि वह नहीं जानते, वह गांधी जी के पास बहुत दिनों तक रह चुके हैं उनकी कार्यप्रणालियों को सीख चुके हैं और चल भी चुके होंगे, मेरा मूल प्रश्न यह है कि जनतन्त्र में शक्ति जनता के पास रहेगी या कोई सुप्रीम एथारिटी सारी पावर लेकर के चलेगी, दोनों में परस्पर विरोध है। हम कहते हैं कि जनतन्त्र में शक्ति जनता के पास रहेगी और वह उसका एक हिस्सा अपने प्रतिनिधि को दे सकती है। क्या इस विधेयक में जिसका रूप अब अधिनियम का होने जा रहा है, इस बात की कहीं गुंजायश है। और जब तक इस बात की गुंजायश न हो तब तक कोई भी विधेयक जनतांत्रिक सिद्धान्तों की कसौटी पर पूर्णरूप से खरा नहीं उतर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी पुनः इस पर विचार करें और कोई एक ऐसा संशोधन जल्दी लायें जिससे जनता को मूल अधिकार हासिल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं फिर सरकार से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक संशोधन विधेयक लाकर, चुनाव कराने के पूर्व, जो इसमें अनियमिततायें रह गई हैं, जनता के अधिकारों का जिस हद तक अपहरण हो गया है उन सबको दूर करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अध्यक्ष महोदय, पहले जो संशोधन इस सदन में लाया गया था उसकी मैं स्वयं कोई जरूरत नहीं समझता था लेकिन जब मैं उसको लाया हूं मुझे आशा थी कि जो एक मात्र पार्टी पहले प्राविधान से असंतुष्ट थी, वह भी उससे संतुष्ट हो जायगी। पहला प्राविधान यहां भवन में बदला गया था। पहले वह सेलेक्ट कमेटी में गया था और वहां एप्रूव हुआ था। मोतीलाल जी अवस्थी वहां मौजूद थे, उनकी अनुमति थी। उसके बाद यहां पर वह बदल दिया गया कुछ सज्जनों की इच्छा पर। लेकिन जब बदला हुआ रूप कौंसिल में गया तो वहां उसमें बाधा आयी और मुझे ऐसा लगा कि उससे कुछ लोगों को अवश्य

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

ही असुविधा होगी और ओरीजिनली जिस रूप में सेलेक्ट कमेटी ने उसे पास किया था उसी को हमने मान लिया। लेशमात्र भी इसमें और कोई सवाल नहीं उठा। मेरी यह समझ में नहीं आया कि इसमें नीयत किस जगह खराब थी। ऐसा हिन्दुस्तान भर में हो रहा है और आगे भी यह निरापद है, ज्यादा मतभेद न होगा। मैं समझता हूं इसमें किसी संशोधन को लाने की जरूरत नहीं है। अनुभव के बाद अगर कोई अड़चन देखी गयी तो जरूर उस पर विचार किया जायगा लेकिन इस स्टेज पर नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ (The U. P. Zila Parishad Bill, 1959) को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

श्रीमन्, इस सदन को थोड़ा पूर्व का इतिहास मालूम है कि किस तरह से पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को समाप्त करके अन्तरिम जिला परिषद् बनाये गये थे, उनके ऊपर काफी बहस इस सदन में हुई थी। किस तरह से वह किया गया, वह भी निवेदन किया गया था। उसके पीछे यह दृष्टि थी कि हम सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करें और अधिक से अधिक जनता का सहयोग और संपर्क हासिल करें। इसी दृष्टि से इस विधेयक को लाने की बात थी। मुझे खेद है कि इससे पूर्व यह विधेयक सदन के सामने न आ सका, इसमें अनिवार्य रूप से कुछ देरी हुई। उसमें शायद हमारी कुछ सुस्ती भी रही हो, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है अधिक से अधिक जल्द इसको यहां लाने की कोशिश की गयी फिर भी इसको इससे पहले न ला सके। एक तरह से यह अच्छा ही हुआ कि इस अगस्त के महीने में यह बिल यहां आ रहा है। अगस्त का महीना हमारी आजादी के इतिहास के लिये बहुत महत्व रखता है। १९४२ में "भारत छोड़ो" आन्दोलन इसी अगस्त महीने में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने "करो या मरो" आन्दोलन भी इसी महीने में शुरू किया था। इसके अलावा सन् ४७ में इसी महीने में हमें आजादी प्राप्त थी। उस आजादी की जीती-जागती मूर्ति देहातों में स्थापित करने के लिये यह विधेयक यहां लाया जा रहा है। स्वाधीनता सिर्फ राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं समझी जाती है, स्वाधीनता के पीछे एक विचार है कि हर व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिये स्वतंत्र हो। केवल राजनैतिक बंधनों से ही वह मुक्त न हो बल्कि सारे सामाजिक और आर्थिक बंधन, जिनकी वजह से अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे काम करना पड़ता है, उन सब से वह मुक्त हो। यह भावना स्वाधीनता की लड़ाई के पीछे थी जिसे लेकर इस देश में हम लोगों ने आजादी प्राप्त की थी। तो अभी तक १० ही १२ साल इस आजादी को आये हुए हुए और एक देश जिसका इतिहास हजारों साल पुराना हो, उसके लिये १० साल के समय का बड़ा भारी महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी एक दृष्टि से १० साल बहुत होता है और जो हम सब कुछ चाहते थे, जो उतावलापन हमारे अन्दर था, जो आशायें हमारे देश को थीं उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी तक हम पर्याप्त उन्नति, प्रगति नहीं कर सके हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये। इस विधेयक को लेकर सोचा यह जाता है कि हमारा नियन्त्रण यहां से जो है, और यहां जो शासन केन्द्रित है उसका हम विकेन्द्रीकरण करें और जन आधारित शासन संस्थायें कायम करें। हमने पंचायत राज की स्थापना इसी दृष्टि से की थी और मुझे खुशी होती है कहते हुए कि बावजूद उन सब आशंकाओं के जो उस कदम को उठाते समय हमारे मन में थीं और बावजूद उन थोड़ी दिक्कतों और असफलताओं के जो कहीं-कहीं हमें एक दो जगह मिलीं, सब मिलाकर हमारी ये पंचायतें अच्छा काम कर रही

हैं। उनमें कोई कमी नहीं है, यह मैं नहीं कहूंगा लेकिन उन्होंने हमारे इस स्वायत्त शासन के अनुभव को आगे बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं और वह एक नींव हो सकती है हमारे और आगे कदम बढ़ाने के लिये और निर्माण के लिये, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि इन ग्राम पंचायतों और इस केन्द्र के बीच में कौन-सी ऐसी कड़ी होनी चाहिये जिसके ऊपर सत्ता का हस्तान्तरण हो सकता है। एक प्रस्ताव आया कि जिले की बहुत बड़ी इकाई हो जाती है, उसके साथ जनता का उतना निकट का संपर्क नहीं रह पाता है, उनके प्रश्न में थोड़ी देर हो जाती है, इसलिये जिले के पहले कोई छोटी इकाई हो जिसका जीवित संपर्क जनता के प्रश्नों के साथ और उनके नियंत्रण के साथ हो सके और इसलिये यह सुझाव हुआ है कि ब्लाक के स्टेज पर सत्ता का हस्तान्तरण किया जाय। इस प्रश्न पर हमने बहुत विचार किया और जहां इसके पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है वहां हमने यह अनुभव किया कि वास्तविक सत्ता का हस्तान्तरण करने के लिये जितनी जिम्मेदारी और योग्यता की जरूरत है वह शायद हमको हर ब्लाक स्तर पर न मिल सके और इसलिये यह समझा गया कि जिला जिसका एक पुराना इतिहास है, जो हमारी संस्कृति, हमारे मानस में, हमारे दिमाग के अन्दर एक स्थान बना चुका है, उस स्तर पर अगर हम सत्ता का हस्तान्तरण कर सके तो पहले कदम की दृष्टि से यह ज्यादा सफल हो सकता है और उपयोगी हो सकता है। हमारा अनुभव है, कांग्रेस में भी हमने देखा है और मेरा खयाल है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद दूसरी पार्टी जिन लोगों ने बनायी है उन्होंने भी यह अनुभव किया होगा कि जिले के स्तर पर हमको योग्य कार्यकर्त्ता और प्रतिनिधि मिलते हैं लेकिन ब्लाक स्तर पर हमको आवश्यक योग्य व्यक्तित्व नहीं मिल पाता। इन सब बातों को सोचते हुए हमने यह समझा कि जिले के स्तर पर ही सत्ता का हस्तान्तरण करना ज्यादा अच्छा होगा। यह भी खयाल किया गया कि ऐसे भी मौके आ सकते हैं, गोकि हम अभी वह चीज नहीं सोच रहे है, कि जब हम पुलिस की शक्ति के हस्तांतरण की बात भी सोंचे। इस दृष्टि से भी जिला स्तर पर यह चीज निकट भविष्य में सोची जा सकती है लेकिन हर ब्लाक लेविल पर करना इस समय कम से कम हमारे दिमाग में नहीं आ सकता है। यह सब सोचने-समझने के बाद बिचार हुआ कि जिले के स्तर पर ही हस्तांतरण किया जाय और इसी दृष्टि से यह विधेयक उपस्थित किया जा रहा है। हम मानते हैं कि जो हमारे ब्लाक हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमारे प्लानिंग के काम में, रचना के काम में, लोगों में उत्साह पैदा करने के काम में उनका अच्छा कार्य रहा है, हम नहीं चाहते कि भविष्य में हम उन्हें किसी तरह से भी कमजोर करें। इस समय हम उन्हें कोई कांस्टीटयूशनल रूप तो नहीं दे रहे हैं, कोई स्टेचूटरी रूप हम नहीं दे रहे हैं फिर भी हम उनको बनाये रखना चाहते हैं, हम उनकी उपयोगिता बनाये रख कर और बढ़ाना चाहते और चाहते हैं कि जैसा अब तक ब्लाक्स का काम चला उससे भी अच्छा चले यह हमारी भावना है। हमें आशा है कि पंचायतों और जिले के बीच में यह ब्लाक्स काफी उपयोगी काम कर सकेंगे इसलिये आगे चल कर कोई परिवर्तन करना पड़ेगा तो इस तरह की बात सोची जायगी। फिलहाल हम पंचायतों और जिले के बीच में एकता स्थापित रखना चाहते हैं। इसी दृष्टि से हम यह विधेयक लाये हैं। इसकी मोटी-मोटी बातें मैं बताये देता हूं। हमारी मंशा तो यह है कि आगे चल कर काफी अधिकार हम जिला परिषद को दें दे लेकिन अभी हर विभाग यह तय नहीं कर पाये कि किस दर्जे तक वह अपने कामों का जिला स्तर पर हस्तांतरण कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते थे कि इसमें देर न लगे और कानून बन जाय इस वक्त यह प्राविधान रखा गया है। जैसे–जैसे जो-जो विभाग ठीक समझेंगे कि हम इतनी जिम्मेदारी परिषदों को देना चाहते है वह बाद में दे सकेंगे, उसका प्राविधान इसमें है।

जहां तक प्लानिंग का संबंध है, जैसा सदन को मालूम है, हम पहले भी कह चुके हैं कि उसी नीति को कायम रखा गया है। इसके अलावा जो अधिकार अभी अन्तरिम जिला परिषद को नहीं हैं वह दो अधिकार और दिये जा रहे हैं। एक तो यह कि पंचायतों का और दूसरा टाउन एरियाज का नियंत्रण। पहले तो विचार यहां तक था कि छोटी म्युनिसिपै-

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

लिटीज और नोटिफाइड एरियाज भी दे दिये जायं और उनका प्रबन्ध भी उन्हें दे दिया जाय। लेकिन बाद में विचार हुआ कि जिला परिषदों की जो प्रकृति है वह अभी ग्रामीण नेचर की है और शहरों के प्रश्नों को शायद वहां इतना महत्व और इतना विचार न मिल सके जितने के कि वह मुस्तहक हैं। इसलिये विचार हुआ कि केवल टाउन एरियाज व पंचायतों का हस्तांतरण हो लेकिन म्युनिसिपैलिटीज का फिलहाल अभी नहीं होना चाहिये। अगर इन दो चीजों में सफलता प्राप्त हुई और नतीजा अच्छा निकला तो हम उस पर भी विचार करेंगे कि छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज एक लाख या ५०,००० आबादी के नीचे की हस्तांतरित कर दें। जहां तक इस विधेयक का संबंध है वहां अभी हम उन को इतना ही दे रहे हैं। वहां पंचायतों के प्रश्न हल होंगे, पंचायतों के बाई लाज वह पास कर सकेंगी और कौन से कर वह लगाएं इसकी भी जिला परिषद् में उनको अनुमति मिलेगी। उनके मार्फत कुछ काम कराना है, कोई सम्मिलित काम कराना है तो जिला परिषद् पंचायतों की सहायता से यह करा सकेगी, इसका भी हम इसके अन्दर प्राविधान कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक ग्राम समाज और ग्राम सभा अलग थीं और लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से एक अलग कमेटी थी। अलग-अलग विभाग का अलग-अलग प्रबन्ध होता था उनके अन्दर एकता नहीं थी। अब चूंकि हम एक इकाई चाहते हैं और सत्ता उस इकाई को देना चाहते हैं। इसलिये भूमि का प्रबन्ध और जो स्वायत्त शासन के मसले हैं उनका प्रबन्ध दोनों एक ही संस्था को दिया जाय, उसका एक ही नाम रहे, और भूमि प्रबन्धक समिति पंचायत की एक सब कमेटी की तरह से काम करे, वह भी हम इसके अन्दर ले आए हैं ताकि गांव के अन्दर जो हम नींव डालना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से डाल सकें और उसे पुष्ट कर सकें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि भूमि प्रबन्ध का जो कार्य होगा वह ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अन्तर्गत होगा या बाहर से होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा मतलब कहने का यह था कि भूमि प्रबन्धक समिति भी ग्राम सभा की पंचायत जो बनेगी जिसे कार्यकारिणी कहते हैं, उसकी एक उप-समिति हो जायेगी। उसको ग्राम सभा चुनेगी और उसके अधीन ही वह काम करेगी।

जहां तक सरकार के किसी आदेश का ताल्लुक है, वह सरकार से संबंधित विभाग उसको आदेश देंगे। लेकिन ग्राम सभा एक इकाई रहेगी।

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि कुछ अधिकार अभी भी हमने सरकार के हाथ में रखे हैं और उसकी सफाई में मुझे थोड़ा-सा निवेदन करना पड़ेगा। जहां आदर्श में हम यह समझते हैं कि अधिक से अधिक सत्ता और शक्ति इन स्थानीय संस्थाओं को देनी चाहिए वहां आज जिस तरह से इन संस्थाओं का काम चल रहा है, जिस तरह से शक्ति का प्रयोग करते हैं, हम उसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मेरे लिये यह दुःख की बात है और हमारे सब के लिये शर्म की बात भी है कि जितने संतोषजनक तरीके से इनका प्रबन्ध होना चाहिए था वह आज नहीं हो रहा है। यह सही है कि शायद उनको अधिकार बहुत अधिक नहीं है। लेकिन जितने साधन उपलब्ध हैं, जितनी शक्ति उनके पास है, उसका उपयोग भी सेवा की दृष्टि से जो होना चाहिए था वह नहीं होता है। काफी साधन, काफी समय, काफी शक्ति आपस के झगड़ों में, एक दूसरे को नीचे गिराने के प्रश्न को लेकर और नो कांफीडेन्स के प्रश्न को लेकर नष्ट होती है।

आज का कानून है कि एक साल के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे ही एक साल की अवधि खत्म होती है वैसे ही अविश्वास के प्रस्तावों की बाढ़-सी चली आती है और फिर चार महीने भी नहीं होते, दो महीने भी नहीं होते एक चुनाव हुए उसके थोड़े दिन के बाद ही पार्टी ऐलाइनमेंट्स बदल जाते हैं। जो मेजारिटी में चुनकर आता है वह माइनारिटी में अपने को पाता है और बहुत से अध्यक्षों को अपनी ताकत और पार्टी बनाकर

रखनी पड़ती है, अपने मेम्बरों की बहुत सी ऐसी मांगों को स्वीकार करके जिन्हें बहुत ज्यादा जायज और उचित नहीं कहा जा सकता। यह सब कुछ आज हो रहा है।

मेरी मुश्किल यह है कि जहां हम एक तरफ स्वायत्त शासन का अधिकार देना चाहते हैं, संस्थाओं को आजादी देना चाहते हैं वहां आशा हमसे यह की जाती है कि जितना हस्तक्षेप सरकार को करना चाहिये, उतना हस्तक्षेप करें। आश्चर्य की बात यह है इस विषय में कोई भी पार्टी शायद ऐक्सेप्शन नहीं है। हर पार्टी यह चाहती है अगर मुखालिफ दल का प्रेसीडेंट है और वह खराबियां करता है तो हर पार्टी यह चाहती है कि सरकार दखल दे और हस्तक्षेप करे। चाहते हम यह हैं कि कम से कम हस्तक्षेप करें और अगर इन लोगों को आजादी देनी है तो हमें फिर इसके लिये तैयार रहना चाहिए कि ये कुछ न कुछ गलतियां जरूर करेंगे और हर एक गलती के ऊपर सरकार हस्तक्षेप करने लगेगी तो यह अधिकार देना बिल्कुल असफल रहेगा और अनावश्यक हो जायगा। ऐसी स्थिति में उचित यह है कि कम से कम हस्तक्षेप किया जाय और इसलिये सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है जहां देखती है कि पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, भूमि का दुरुपयोग हो रहा है या इतना अन्याय दूसरों के साथ किया जा रहा है जिसको सहन करना उचित नहीं है। या सर्विसेज के ऊपर कुछ अनियमिततायें की जा रही हैं जिनकी वजह से उन्हें कुछ परेशानी होती है। सिर्फ ऐसे मामलों में सरकार इंटरफियर करती है, करना चाहती है। वहां भी कोशिश करती है जहां तक बच सके बचाये। लेकिन जिस समय हम जिला परिषदों को बनाने की बात सोचते हैं उस समय इन घटनाओं से हम कतई बेखबर रह करके कोई भी शक्ति सरकार के हाथ में न रखें, यह हम नहीं कर सके। सिर्फ इतना मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं जो शक्ति हमने रखी है वह सिर्फ ऐसी स्थिति में जब कि यह महसूस किया जाय कि काफी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, तभी इंटरफीयर करने की बात रखी है वरना नहीं और तभी उसका प्रयोग करेंगे उसके अलावा नहीं। इस दृष्टि से अगर विधेयक को देखा गया तो यह समझा जायगा कि यह एक आगे का कदम है। उसमें गुंजाइश है कि हम उससे लाभ उठा करके स्वायत्त शासन को ज्यादा व्यापक और ज्यादा पुर असर बना सकें। उसके लिये हम सदन के सब माननीय सदस्यों का सहयोग आवश्यक होगा। जिस भावना से यह विधेयक लाया जा रहा है उस भावना से इसे हमें काम में लाना होगा और हमीं को नहीं बल्कि जो बाहर हैं, जो लोग इसमें भविष्य में आयेंगे उनको भी इस दृष्टि से इसे चलाना है। क्योंकि कोई भी संविधान, या कानून इन्सान को भला बनाने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। वह सिर्फ मौका दे सकता है, अवसर दे सकता है। वह अवसर देने का यहां प्रयत्न किया गया है उससे लाभ उठाना या न उठाना यह तो हमारे और जनता के हाथ में रहेगा और अगर हम ठीक वृत्ति से इन्हें चलायेंगे तो यह काफी अच्छी तरह से चल सकेंगे।

इनकी इस भूमिका में मैं थोड़े से डिटेल्स इस विधेयक की बाबत बतला देना चाहता हूं। अभी तक अन्तरिम जिला परिषद में एक आफिशियल प्रेसीडेंट है, आगे सदस्यों द्वारा ही चुना हुआ अध्यक्ष होगा। मैंने बार-बार इस सदन में यह आश्वासन दिया था और इस विधेयक में हमने उस आश्वासन को पूरा करने की कोशिश की है। परिषद् की सारी शक्ति एक प्रकार से अध्यक्ष के हाथ में होगी। उसकी मीटिंग्स का वह सभापति होगा। नियुक्तियां उसकी मार्फत होंगी। डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने में अन्तिम फैसला उसका होगा। जहां तक छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं उनका फैसला बेशक जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे उनकी मार्फत होगा, लेकिन उनकी अपील अध्यक्ष के पास आयेगी। हां, जिनमें अध्यक्ष स्वयं निर्णायक होगा उसकी अपील कमिश्नर के पास रखी गयी है। सर्विसेज पर उसका अधिकार होगा। जितनी भी दूसरी शक्तियां परिषद् के अन्दर हैं जिनकी व्याख्या नहीं हुई सब अध्यक्ष में होंगी। इतनी शक्तियां उसको देते वक्त यह जरूर खयाल रखा गया है कि रोजाना का कार्य अफसरों व कर्मचारियों की मार्फत कराया जाय ताकि उसके ऊपर रोज पार्टियां बदलने से जो असर पड़ सकता है वह न पड़ सके और अभी थोड़ी देर पहले यहां नगर महापालिका विधेयक का जो जिक्र किया गया था उसमें जो तरतीब, तरीके व प्रणाली हमने रखे हैं उन्हीं को हमने इसमें

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

अपनाया है। सारी बड़ी नौकरियां पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत एप्रूव होंगी और तब अध्यक्ष उनको नियुक्त करेगा। जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन व अध्यक्ष में मतभेद होगा वहां वह बात गवर्नमेंट को रेफर की जायगी। इसके अलावा हमने एक लेखा परीक्षक रखा है। इस वजह से कि अधिकारी के हाथ में ज्यादा पावर्स आ जाने की वजह से यह संभव है कि वह काम की बाबत जितना जरूरी नियंत्रण आवश्यक है उतना न रख सके तो यह लेखा परीक्षक उसे कर सके ताकि वह पूरी दृष्टि रखे कि काम किस तरह से हो रहा है, खर्चा किस तरह से हो रहा है और उसकी वह रिपोर्ट अध्यक्ष व परिषद् को देता रहे ताकि उस पर आवश्यक नियंत्रण, अधिकार रखा जा सके।

इलेक्शंस की बाबत इसमें प्राविधान रखा गया है कि जो पंचायतों के सदस्य होंगे उनकी मार्फत होगा, लेकिन इस विषय में सरकार की इच्छा यही है कि अगर हम बहुमत की प्रणाली से चुनाव करा सकें तो ज्यादा वांछनीय होगा। उसमें प्रश्न है सिर्फ खर्चे का और अगर उसे हम हल कर सके तो हम चाहेंगे कि बालिग मताधिकार से चुनाव हो।

श्रीमन्, यह विधेयक, जैसा कि मेरा प्रस्ताव है अगर सदन उसको स्वीकार करता है अभी संयुक्त प्रवर समिति में जायगा। वहां हमें काफी समय मिलेगा इसकी सारी डिटेल्स में छोटी-छोटी बातों को देखने का और अभी यह सदन भी इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करेगा, उससे भी हम लाभ उठा सकेंगे और उसी के प्रकाश में प्रवर समिति में इस पर विचार होगा और उसके बाद फिर यह सदन में आयेगा और जो प्रवर समिति में खामियां रह जायंगी उनको यहां पूरा किया जा सकेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--सदस्यता की बाबत कुछ नहीं कहा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उसकी बाबत भी कहता हूं और थोड़ा-सा रिसोर्सेज की बाबत भी कहना चाहता था कि हमारी दिक्कत यह है कि बहुत से काम हमारे साधनों के अभाव में नहीं हो पाते हैं, लेकिन साधनों की कमी आज इतनी है कि यहां इस सदन के अधिकार में जो पैसा है उसी में से कुछ निकाल कर के जिलों को दिया जा सकता है और यहां जो पैसा है वह यहां जो मांगे होती हैं उन्हीं कामों के लिये पर्याप्त नहीं मालूम होता और इसीलिये मेरे लिये यह बहुत कठिनाई हुई कि यहां से पैसा ले जाकर उनको दिला सकूं। कुछ जो प्लानिंग में खर्च होता है साफ है कि वह सारा पैसा इन परिषदों के पास जायगा और उन्हें उसे खर्च करने का अधिकार होगा। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि यह सदन कुछ ऐसे कर हो सकते हैं जिन्हें लगाने का अधिकार रखता है और उन्हें लगाने के लिये परिषदों को अधिकार दिया जायगा और वह इस सदन को समय-समय पर देखना होगा। थोड़ा सा लैन्ड रेवेन्यू के ऊपर लोकल रेट्स लगाने के लिये जिन पर अभी नहीं लगा हुआ है उसका विधान इसमें रखा गया है। इसी तरह से रिसोर्सेज कैसे बढ़ सकेंगे यह बहुत कुछ उन परिषदों को स्वयं देखना होगा कि पुराने टैक्सेज में किस तरह से इजाफा किया जा सकता है।

सदस्यों की तादाद २५-३० से लेकर ५०-६० तक ज्यादा से ज्यादा रखने का विचार है। बड़े जिलों में स्वभावतः ६० तक शायद नम्बर चला जाय और जो बहुत छोटे जिले हैं उनमें कम से कम २०-२५ तो रखने ही होंगे क्योंकि इससे कम रखने से बहुत छोटा बोर्ड हो जायगा। लेकिन यह चीज ऐसी है कि जिसे सेलेक्ट कमेटी में बहुत डिटेल में हम देख सकते हैं।

एक प्रश्न सिर्फ रह जाता है जिसे जानबूझ कर मैंने सबसे आखिर में रखा था। वह यह है कि इस माननीय सदन के जो सदस्य हैं, दूसरे भवन के जो सदस्य है और हमारी लोक सभा और राज्य सभा के जो सदस्य हैं उनका क्या स्थान, क्या भाग इसमें होना चाहिये। यह साफ है कि जिस दृष्टि से यह विधेयक बनाया जा रहा है उसको देखते हुये उनका कोई भी स्थान वहां नहीं हो सकता है और अगर कोई स्थान हो सकता है तो सिर्फ उसी दर्जे तक हो सकता है जहां

तक कि जिस संस्था को हम कायम करने जा रहे हैं जिससे हम आशा करते हैं कि वह हमारी भविष्य की व्यवस्था को बदलेगी। वह आज की व्यवस्था को कायम रखेगी ऐसा न समझा जाय। हम क्या निर्माण करना चाहते हैं उसमें बाधा तो नहीं पड़ेगी विधायकों को परिषद् में स्थान देने से यह देखना होगा। इस दृष्टि को रखते हुये, हम महसूस करते हैं कि अगर विधायकों का सम्पर्क इस संस्था के साथ कायम किया जा सके, खास तौर से जहां तक प्लानिंग का काम है, जहां तक रचना का काम है, जहां तक निर्माण का काम है तो कोई दोष नहीं होगा। इसकी बाबत बहुत से विचार अभी आ रहे हैं और हमारे सामने भी कई तरह के विचार आये कि इनको मेम्बर्स बनाया जाय लेकिन पावर टू वोट न रहे। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो बड़े बड़े जिले हैं उनमें ९०–१०० तक तादाद पहुंच जायगी, और एक ऐसी संस्था जिसके इतने सदस्य होंगे, तो ऐसी बाडी हो जायगी कि जिसके अन्दर ताकत नहीं होगी और इतनी डिसपर्स हो जायगी कि वह ठीक से फंक्शन नहीं कर सकेगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—बेकार का खर्चा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बेकार का खर्चा जरूर कहा जा सकता है लेकिन विधायकों की जितनी शक्ति है, जितने भी काम हैं, बिगाड़ने के लिये हैं और कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं हो सकता है, इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि विधायक चाहें तो कंस्ट्रक्टिव और यूजफुल परपज भी अदा कर सकते हैं बशर्ते कि परिषद् के सदस्यों के व्यक्तित्व को वह दबा न दें। इन दोनों चीजों को हमें देखना है।

यह विषय ऐसा है जिसे मैं चाहूंगा कि पार्टी की दृष्टि से न देखा जाय। पार्टी तो बदलती रहेंगी लेकिन यह विधेयक जिसे हम बना रहे हैं सैकड़ों साल तक रह सकेगा। न जाने कितने एलाइनमेंट्स होंगे, न जाने कौन यहां बैठेगा और कौन वहां बैठेगा, यह विधेयक हमेशा कायम रहेगा। हम लोग ढाई साल पूरे कर चुके हैं और जब तक चुनाव होगा दो ही साल बाकी बचेंगे। इस दृष्टि में से हमें देखना चाहिये कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं? जो बन रहा है वह ५–१० साल के लिये नहीं बन रहा है बल्कि हमेशा के लिये बन रहा है। ईश्वर करे यह संस्था पनपती चले और इस देश की आजादी और स्वतंत्रता कायम रह सके और यह संस्थायें अपनी जगह पर काम करती रहें। इस दृष्टि से हमें देखना है कि क्या तरीका हो सकता है? हमने जो सबसे निरापद तरीका समझा वह इस बिल में दिया हुआ है और वह यह है कि एक नियोजन समिति हो, जिसमें सब विधायक भाग ले सकें और जो परिषद् के सदस्य हैं वह भी इसमें आ सकें। साल में तीन चार बार इसकी बैठक हो। सारा आयोजन ज्यादातर दिल्ली में ही तय हो जाता है। बहुत थोड़ी इधर-उधर करने की बात रह जाती है। फिर जो यहां से एलाटमेंट कर देते हैं उसमें बहुत कम गुंजायश रह जाती है कि किस क्षेत्र में कौन सा काम हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कहीं बांध बनना है तो पहाड़ तथा नदियों आदि की स्थिति पहले से निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता है। यदि नहर बनानी है तो जहां सुविधा है वहीं बन सकती है। लेकिन फिर भी कुछ दर्जे तक गुंजायश रहती है और विधायक लोग उन निर्णयों को प्रभावित करने में अपने व्यक्तित्व, अपनी आला काबिलियत का अपने ब्रूट फोर्स का नहीं, अपनी संख्या का नहीं, वोट का नहीं लेकिन अपनी आला अक्ल का, अपनी परसुएशन शक्ति का असर डाल सकें। वह वास्तव में भलाई के लिए होगा। हम उस युग के मानने वाले हैं जहां आयडियाज और लाइट को शट आउट नहीं किया जाता है। विचार हमारे सामने आ सकते हैं। हम सुनें और सुनने के बाद जो उचित हो निर्णय करें। हमारी दृष्टि में जो सुझाव प्राइवेटली दूसरी तरफ से आये हैं उनमें हमें अभी तक यही मिला है और हम अभी तक यह ठीक समझते हैं।

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया, यह बिल प्रवर समिति के पास जा रहा है। काफी समय हमें मिलेगा। कहा तो यह भी गया है कि हम इसको जनमत के लिए भेज दें लेकिन उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। वर्षों से इसका जिक्र अखबारों में है और सब जगह है। लीडिंग आर्टिकिल भी लिखे गये हैं। लोग राय दे चुके हैं। कोई बड़ा भारी सजेशन आने वाला है, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

नहीं कर सकते हैं। उद्देश्यों में कोई फर्क है नहीं। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं, कितना रिजर्व अपने पास रखें, कुछ रिसोर्सेज का सवाल आ सकता है। यह पब्लिक के सामने भी है और प्रवर समिति के सामने जा ही रहा है। सरकार भी सुझावों पर विचार करेगी और प्रवर समिति भी विचार करेगी ; यह बिल प्रवर समिति से लौट कर जब माननीय सदन में आयेगा तो उस समय तो सब को इस पर विचार करने और संशोधन करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम और समय न खो कर, काफी समय जा चुका है, उस तरफ के माननीय सदस्य यही समझते हैं कि सारा दोष हमारा है, लेकिन मैं इस समय गुण दोष पर विचार नहीं कर रहा हूं, प्रश्न सिर्फ इतना है कि समय काफी जा चुका है और अनावश्यक समय नष्ट न करें। जल्दी से जल्दी प्रवर समिति बैठ सके और इस पर विचार करे और जल्दी से जल्दी उसकी सिफारिशों के साथ यह विधेयक इस सदन के सामने आ सके इस कामना और प्रार्थना के साथ मैं यह अपना प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि यह स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें दो प्रकार के संशोधन हैं। एक तो प्रवर समिति को भेजने के लिए है, दूसरा है जनमत संग्रह के लिए। प्रवर समिति में जाने के लिए पहला संशोधन श्री देवकीनन्दन विभव का है। वह इसको उपस्थित करेंगे। बाकी जो संशोधन हैं उनमें सिर्फ यह दिया हुआ है कि ४० रोज में रिपोर्ट आ जानी चाहिए, किसी में एक महीना दिया हुआ है और किसी में १५ अक्तूबर तक तथा किसी में तीन सप्ताह के लिए है। जो ये संशोधन लाना चाहते हैं उन माननीय सदस्यों को मैं बोलने का मौका जरूर दूंगा। लेकिन संशोधन उस में उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह निश्चित हो जाता है कि प्रवर समिति में जाना है तो मैं एक दफा पूछ लूंगा कि कितने रोज में रिपोर्ट को आना है। लेकिन हर एक को १५ रोज, १० रोज इस तरह के प्रस्तावों को रखने की और उस पर राय लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। तो एक तो देवकीनन्दन विभव जी का और दूसरा अभयराम जी का यही दो संशोधन प्रस्तुत होंगे। देवकीनन्दन विभव जी शायद स्वयं अपना संशोधन उपस्थित करेंगे और अभयराम जी का संशोधन श्री नन्दराम गुप्त जी उपस्थित करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, क्या यह तीसरा नहीं प्रस्तुत होगा जनमत संग्रह के लिए घुमाने का ?

श्री अध्यक्ष—जनमत संग्रह के लिए जो है वह अभयराम जी का है, उसे वह उपस्थित करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, एक अर्ज है मेरी। कहीं भी यह नियमों में नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी की अवधि कम हो जैसे माननीय अभयराम जी ने कहा है कि तीन सप्ताह के लिए घुमाया जाय और उसको पहले लिया जाय जिसकी अवधि ज्यादा हो, उसको बाद में लिया जाय .....

श्री अध्यक्ष—वह तो जैसे नोटिस आता है हमारे पास उसी के हिसाब से रखते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो श्रीमन्, सबसे पहला संशोधन इस विधेयक पर मेरा प्रस्तुत हुआ था, जितने भी हैं बाकी के वह सब बाद में प्रस्तुत हुए हैं।

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से जो मैंने संशोधन का नोटिस दिया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो दो माह में अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख उपस्थित करे।

श्री अध्यक्ष—यह तो बिलकुल आपका अलग संशोधन है। यह नहीं आ सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव—तो वह दो माह की जगह एक माह ही रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर आप संयुक्त प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं तो आपको बाद में बोलने का मौका मैं दूंगा। फिर प्रतापसिंह जी पहले अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव—तो श्रीमन्, मैं वही प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, को इस सदन की एक सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख उपस्थित करे।

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सम्मुख है वह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डिजरेली ने एक दफा कहा था—सेंट्रलाइजेशन किल्स पब्लिक फ्रीडम। केन्द्रीयकरण जनस्वातन्त्र्य का घातक होता है।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह पीठासीन हुए।)

गांधी जी ने हमारे सम्मुख बार-बार कहा था कि इस देश में जो सत्ता स्थापित होगी उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। श्रीमन्, इंग्लैंड का इतिहास जो कि संसार के इतिहास में जनतंत्र के प्रयोग के लिए सबसे प्राचीन समझा जाता है, हमारे सामने है। आज से कोई शताब्दी पहले का वह प्रयोग है। लेकिन उसके इतिहास में हम यह भलीभांति जानते हैं कि आज से सवा सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले यानी सन् १८३५ तक उस देश में जो शासन व्यवस्था थी उसमें केन्द्रीय सरकार के हाथ में न तो सड़क बनाने की जिम्मेदारी थी, न अस्पताल का काम उनके जिम्मे था, न शिक्षा का काम उनके हाथ में था और यही नहीं बल्कि शान्ति और व्यवस्था का काम भी उनके हाथ में नहीं था। असल में उसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। १८३५ के बाद उन्होंने स्वायत्तशासन का श्रीगणेश किया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इतिहास उस देश में प्रारम्भ होता है और वहां पर जो काउन्टी कौंसिल या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल या म्युनिसिपल कारपोरेशन इत्यादि का निर्माण हुआ वह सब स्थानीय स्वराज्य की रूपरेखा थी।

श्रीमन्, उसमें हमारे देश का इतिहास कुछ भिन्न है। हमारे यहां जिला बोर्ड का प्रारम्भ हुआ या हमारे देश में जो म्युनिसिपैलिटी का प्रारम्भ हुआ वह एक दूसरे भिन्न दृष्टिकोण से हुआ। इस देश में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी और लोगों में शासन में भाग लेने के लिये एक प्रबल मांग पैदा होती जा रही थी। ब्रिटिश हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड का एक विशिष्ट रूप मार्लेमिन्टो के अनुसार यहां आया। वह एक योजना थी जो हिन्दुस्तानियों के हाथ में दी। आप सब जानते हैं कि इन सब चीजों के होते हुये भी हमारे देश के गांवों की व्यवस्था एक ऐसे रूप में थी जो कई शताब्दियों से—मैं तो कहूंगा कि हजारों वर्षों से—हमारे देश में जो ग्राम-व्यवस्था स्थापित हुई उसमें इस देश में अनेक शासन बदले। हिन्दुओं का शासन आया। मुगलों का शासन आया और उसके बाद और डाइनेस्टी के बाद डाइनेस्टी बदली और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन भी देश में आया लेकिन ग्रामों की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत देश की काफी जनता प्रभावित होती थी, वह भी उसी तरह से प्रभावित होती रही। इसका रूप हम कुल एशिया के दूसरे देशों में भी देख रहे हैं। पुरानी संस्कृति का देश जैसे कि चीन है, उस चीन में भी ग्रामों की वही व्यवस्था थी जो कि विभिन्न युगों में चीन की व्यवस्था के ऊपरी सेट अप के बदलते रहने पर वहां की ग्राम व्यवस्था का रूप नहीं बदलता रहा। वह अब कुछ बदलता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस देश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड जो स्थापित हुये उसका जनतंत्र के प्रयोग से कोई खास सम्बन्ध नहीं था। वह केवल एक थोड़ा-सा अधिकार था। एक विदेशी

[श्री देवकीनन्दन विभव]

सत्ता, जो इस देश में थी, उसने इस देश के कार्य में कुछ प्रगति लाने के लिये हिन्दुस्तानियों को वह अधिकार दिया ।

आज जब कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, जबकि देश की सत्ता यहां के नागरिक और ग्रामों के एक एक व्यक्ति के हाथ में आ गई तब उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और उन म्युनिसिपल बोर्ड के लिए जो कि स्वशासन संस्थाएँ थीं, यह आवश्यक था कि उनका रूप परिवर्तित होता । इन १०, १२ सालों में जो कुछ प्रयोग हुये और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये कुछ प्रयोग किये गये जिसमें आपकी पंचायतें, ग्राम सभा और दूसरी दूसरी चीजों की रूपरेखा बनायी गयी । श्रीमन्, अब देश में इस बात की आवश्यकता थी कि इन सब का समन्वय किया जाय और समन्वय करके हम जनतंत्र की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें कि जो गांव से लेकर केन्द्र तक एक संगठित और इस तरह की प्रणाली हो कि जिसमें जनता की भावनाओं का प्रादुर्भाव हो सके । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बिल हमारे सामने इसी कार्य के लिये आया है और खास तौर से आप को मालूम है कि इस में डुप्लीकेशन था । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उपयोगिता नष्ट हो गयी थी, क्योंकि एक काम दो, तीन स्तर पर विभाजित हो गया था । सड़क का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी करता था, गवर्नमेंट भी पी० डब्ल्यू० डी० से करने लगी थी और वही काम प्लानिंग कमेटी द्वारा भी थोड़ा बहुत होने लगा था । इसी तरह अस्पताल और शिक्षा का काम भी बट गया था । शिक्षा की जो मांग और प्यास इस देश में बढ़ रही थी उसका परिणाम यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो ढंग और साधन थे वे उसके लिये अपर्याप्त हो गये और बावजूद इसके कि प्रदेशीय सरकार की तरफ से उनको शिक्षा कार्य में सहायता दी जाती थी, फिर भी उनकी ८० प्रतिशत आय इसी काम में खर्च होने लगी और उसके बाद भी अध्यापकों का स्तर ऊंचा हो, शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, यह जो जनता की मांगें थीं उनकी पूर्ति उससे नहीं हो रही थी । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल और सड़कों की हालत तो दयनीय होती जाती थी और दूसरे कामों के लिये उसके पास पैसा नहीं था और उसके बाद उस व्यवस्था में सदस्यों और पार्टियों के आपस के संघर्ष से जो वैधानिक कमजोरियां हमारे सामने आयीं उनको दूर करना भी आवश्यक था । तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस विधेयक की आवश्यकता थी ।

हमारी प्लानिंग कमेटी पहले बनी । उसके बाद यह देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग कमेटी में कोआर्डिनेशन होना चाहिये । उसके लिये एक अंतरिम ज़िला परिषद् का निर्माण किया गया और अन्तरिम जिला परिषद् में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग कमेटी को मिला दिया गया । तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिला परिषद् का रूप अब होने वाला है वह पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बिलकुल भिन्न होगा । हो सकता है कि कुछ काम जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किया करते थे, वह जिला परिषदें भी करें, लेकिन जिला परिषद् का जो महत्त्व है और जो उसका काम होगा वह मेरा खयाल है कि अधिक व्यापक होगा । पंचायतों का एक महान् प्रयोग हमारे देश में हुआ, हमारे प्रदेश में उनको अधिक महत्त्व दिया गया, लेकिन पंचायतों से जो समस्याएँ गांव में पैदा हो गयी हैं, जो कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं उनको सुलझाने की आवश्यकता है और जैसे वह जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिन कठिनाइयों के कारण उनको दूर करके उनको सुलझाने की आवश्यकता है । उन सब का कोआर्डिनेशन, समन्वय करने का कार्य आपकी जिला परिषद के पास होगा । इसलिए मैं कहता हूं कि जिला परिषद् के इस रूप की जो रूपरेखा इस विधेयक में तैयार कर रहे हैं उसमें बहुत गहनता, गम्भीरता से सोचने की जरूरत है । जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, उसमें कई सवाल निहित हैं । एक सवाल यह है कि आया उसका गठन मंडल के आधार पर होना चाहिए या ब्लाक के आधार पर होना चाहिए या एक जिले के आधार पर होना चाहिए । इसी तरह से उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष हो, या परोक्ष रूप से किया जाय । उसके बाद यह भी है कि उसमें सरकारी मैशीनरी का क्या अधिकार हो और जनता से चुने हुए व्यक्तियों का क्या स्थान हो जिससे कि कार्य भी सुचारु रूप से चले और अधिकारियों से ओवर रिडिन न हो जाय ।

मुझे एक चीज एक जिले की याद है और मैं समझता हूं, दूसरे जिलों में भी ऐसा होता होगा कि किस तरह से वहां के जिला बोर्ड के सेक्रेटरी वहां की राजनीति ही बिलकुल बदलने में एक बड़े इंस्ट्रूमेंट हुए। यही नहीं कि उसने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अपनी पार्टी बनायी, लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के रूप को भी बदल दिया और कभी एक पार्टी में उसका संयोग था, कभी दूसरी पार्टी से। इस तरीके से उसने राजनीति को अपने शिकंजे में कसने का प्रयास किया। यह कोई एक जिले की बात नहीं है और भी जिलों की बात हो सकती है। तो सब समस्याएं हैं। हो सकता है कि आप जो पावर जिला परिषद् में दे रहे हैं यदि अधिकारों का आप नियंत्रण न करें, उस डेमाक्रैटिक कांस्टीट्यूशन के ढांचे को अच्छी तरह से संगठित न करें तो उसका परिणाम यह हो सकता. है कि एक अधिकारी जो कि सेंट्रल पोजीशन में हो जिला परिषद् के, वह आपके एम० एल० एज० को भी एक ताक में रख दें, सारे जनमत की आवाज को ताक में रख दे और जिला परिषद् को अपने हथकंडों से संचालित करे और संचारित करे. . . .।

श्री अधिष्ठाता—मैं विभव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके और मंत्री जी के प्रस्ताव में भेद केवल इतना है कि वह चाहते हैं कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को यह बिल सुपुर्द किया जाय और आपका प्रस्ताव यह है कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को नहीं, सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। तो बेहतर यह हो कि पहले आप इस भेद को जरा स्पष्ट कर दें सदन को कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, फिर उसके बाद तो इस बिल की जितनी खामियां हैं वह बतायी जा सकती हैं, वैसे बिना संशोधन पेश किये हुए भी। तो इस भिन्नता पर रोशनी डाल दें।

श्री देवकीनन्दन विभव—मेरे संशोधन में और मंत्री जी के प्रस्ताव में एक खास विभिन्नता यह है कि मैं यह चाहता हूं कि रिपोर्ट के आने की एक अवधि निश्चित होनी चाहिए। आप जानते हैं कि सदन में इंटेरिम जिला परिषद् के निर्माण के संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो रूप है उस पर भी काफी विचार विनिमय हो चुका है। अब जिले में जो व्यवस्था चल रही है, मेरे खयाल से उसमें अत्यन्त आवश्यक है कि हम उसको जल्दी से जल्दी लायें। तो ऐसी हालत में मेरा जो संशोधन है वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट दो महीने के अन्दर अवश्य प्रस्तुत हो जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—वैसे आपने कोई मियाद न रखी हो तब भी तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट आनी चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप कृपया यह बतायें कि माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में भेजने का रखा है उसके आप विरोध में क्यों हैं? यह बात तो आप तब भी कर सकते थे कि टाइम मुकर्रर नहीं है वह मुकर्रर कर दिया जाय, लेकिन आप तो चाहते हैं कि इसको इस सदन की सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव है कि ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, उस पर आप रोशनी डालें।

श्री देवकीनन्दन विभव—मेरी खास मंशा यह थी कि सिलेक्ट कमेटी जल्दी से जल्दी अपना मत इस सदन को प्रकट कर दे। अगर उसमें ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमेटी ही हो जाय तो उससे मुझे कोई खास एतराज नहीं होगा ....

श्री अधिष्ठाता—तो आपका मतलब यह है कि जो आपने प्रस्ताव में रखा है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय वैसा आप पेश नहीं करना चाहते।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैंने प्रस्तुत तो उसी तरह से किया है। प्रस्तुत न करने की बात तो अब रही नहीं, क्यों कि वह तो मैंने प्रस्तुत कर दिया है। बाकी यह कि उस पर मेरा ज्यादा जोर नहीं है। मैं तो इसी पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि कमेटी में दो महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, विभव जी अपनी बात का ही विरोध कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---आपके प्रस्ताव में एक महीना है, आप बराबर दो महीने की चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको शायद ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी की बात समझा नहीं पा रहा हूं। इसमें बड़ा भारी भेद यह है कि माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव में यह है कि यह बिल ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय और आप कह रहे हैं कि इस सदन की सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय। तो या तो आप यह कहें कि उसको आप वापस ले रहे हैं या आप कहें कि हम अपने प्रस्ताव पर स्थिर हैं। और अगर आप अपने प्रस्ताव पर स्थिर हैं तो फिर आपको इस सदन को बताना चाहिये कि माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव के आप विरुद्ध क्यों हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय विभव जी ने जब अपना प्रस्ताव रखा था तो उस समय माननीय अध्यक्ष कुर्सी पर बिराजमान थे, उनसे आज्ञा मांगी थी, परन्तु वह आज्ञा मिली नहीं कि वह मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन कर सकें और उन्हें अपना प्रस्ताव रखने की आज्ञा मिली थी। तो उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसी पर बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव कुछ पेश किया है और मंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं, यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं समझता हूं कि जिन थोड़ी सी बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाया गया वह इस समय काफी है और जहां तक डिटेल्स का सवाल है, वह जब बिल सदन के सामने फिर आयेगा तब मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---अब नम्बर ५ पर माननीय अभयराम जी का संशोधन माननीय नन्दराम जी पेश करेंगे।

***श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक १९५९, को जनमत संग्रह के हेतु वितरित कर दिया जावे। यह मत संग्रह आगामी तीन सप्ताह में प्राप्त करके उस पर आधारित प्रतिवेदन सहित विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाये।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना और इस विधेयक को भी बड़े ध्यान से पढ़ा और इस पर विचार किया है। मंत्री जी के कहने के लिये और विधेयक में रखने के लिये सत्ता के विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया गया है और जो वास्तव में होना चाहिये। जब तक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं होता है तब तक हमारे देश में समता नहीं आ सकती है, विषमता बनी रहेगी और समाज सुखी व सम्पन्न नहीं हो सकता है, परन्तु कहना कुछ है और वास्तविकता और है। इस विधेयक का विकेन्द्रीयकरण की ओर कोई झुकाव नहीं है। इसे पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि यह विधेयक हमें केन्द्रीयकरण की ओर ले जा रहा है और सत्ताधारियों के हाथ में बांधना चाहता है।

श्रीमन्, अधिक न कहकर मैं इसकी कुछ धाराओं की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें चुनाव प्रत्यक्ष न कराके ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा चुनाव की प्रणाली रखी गई है। ग्राम पंचायतों के चुनाव ही सही मायने में अवैधानिक हैं, क्योंकि वे हाथ उठाकर होते हैं, एक आदमी उतनी बार हाथ उठा सकता है जितने उम्मीदवार हों। वहां अक्सर सही आदमी को वोट नहीं मिल पाता है, बल्कि जो शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जिनकी लाठी में कुछ दम होता है, जो गुंडाशाही के बल पर होते हैं, वे वोट पा जाते हैं, या वहां जातीयता के आधार पर वोट होता है। वहां सही प्रजातांत्रिक ढंग से वोट हो ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं पाता है। वहां तो जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। जिसकी सत्ता वहां होगी उसी की यहां भी होगी।

दूसरे, ग्राम पंचायतों में जहां २५० की आबादी है वहां १५ सदस्य होते हैं और जहां २,५०० की आबादी है वहां २५ ही होते हैं। २,५०० तो २५० के मुकाबले में १० गुना होता है जब कि सदस्य दुगुने भी नहीं होते। इसलिये वह सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा। वहां निर्धनों के या छोटी जाति वालों के प्रतिनिधि नहीं आ पाते हैं। पिछड़ी जाति और छोटी जाति वाले, जैसे धानुक, पासी, चमार, नाई, धोबी हैं, वहां आ ही नहीं पाते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा वक्ता महोदय से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री नन्दराम—मेरे खत्म करने के बाद पूछें।

श्री अधिष्ठाता—यह उनकी मर्जी पर है। वह नहीं मौका देना चाहते इस समय। इसलिये महीलाल जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा वैधानिक प्रश्न है। अभी वक्ता महोदय ने छोटी जाति और बड़ी जाति का सवाल उठाया।

श्री नन्दराम—या तो माननीय मित्र गलत समझे हैं या मैं कहने में गलती कर गया हूं। छोटी जाति से मतलब है तादाद में कम।

फिर, जितने भी जिला स्तर के अफसर हैं वे उसके सदस्य होंगे। जब आज के अन्तरिम जिला परिषद् में एम० पी०, एम० एल० एज० और परिषद् के सदस्य होते हैं तभी जिला अफसर हमको बोलने नहीं देते और अपनी मनमानी बुलवाने की कोशिश करते हैं, पास कराने की कोशिश करते हैं। जब उसमें ये सदस्य नहीं रहेंगे और सरकारी अफसर उसके सदस्य होंगे और ग्राम पंचायतों के लोग सदस्य होंगे जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, यद्यपि अफसरों को मत देने का अधिकार तो नहीं होगा तो भी वे अपनी इच्छा के अनुसार मत करा लेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार बुलवा लेंगे। तो यह विकेन्द्रीयकरण नहीं, बल्कि डिक्टेटरशिप कायम होगी।

ग्राम पंचायतों के चुनाव तो छोटे होंगे, ग्राम जनता का जो चुनाव होगा वह बालिगमताधिकार से होगा, वह बड़ा होगा। जनता को समझाने का अधिकार होगा, लेकिन यहां थोड़े से सदस्यों का चुनाव होगा। थोड़े से आदमियों को डराया भी जा सकता है और डराये भी गये हैं। थोड़े से आदमियों का अपना स्वार्थ होता है, वे उसे मनवाने के लिये वोट देंगे और वोट लेने वाले लोग उनका स्वार्थ साधन करेंगे। इसमें सही प्रतिनिधित्व न होकर, सही चुनाव न होकर स्वार्थ का साधन होगा।

दूसरे आज सारे देश में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का सवाल चल रहा है। सोशलिस्ट पार्टी का नारा है चौखंभा राज्य का जिसमें एक तो सत्ता केन्द्र की हो, उसको थोड़े अधिकार हों, एक सत्ता राज्य की हो उसको पूरे अधिकार हों, एक जिला परिषद् हो जिसको कुछ अधिकार हों और एक ग्राम पंचायत हो जिसको पूरे अधिकार हों। जिनका इसमें जिक्र भी नहीं किया गया है न उसके अधिकार में पुलिस ही रखी गयी है तथा जिलाधीश के अधिकार और उसका पद ज्यों का त्यों रखा गया है। जब तक जिलाधीश मौजूद है तब तक जिला परिषद् क्या है? इसके अलावा २७५ धारा में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह जिला परिषद् को खत्म भी कर सकती है। यह तो एक तरह की डिक्टेटरशिप हो गयी। वहां भी एसी सरत हो सकती है जैसी केरल में हुई। इसके अलावा सदस्यों की योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि वे लोग जो दो वर्ष से ज्यादा की सजा काट चुके होंगे वे उसके सदस्य नहीं हो सकेंगे। खास तौर से हमारी पार्टी के लोग तो अक्सर जेलों में जाया ही करते हैं, हर साल उसका सत्याग्रह चलता ही रहता है। मेरे ही जिले प्रतापगढ़ में लोगों को पिछल सत्याग्रह में

[श्री नन्दराम]

३१–३१ महीने की सजा हुई है। अगर ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को चुनाव में भाग न लेने दिया जायगा तो वह चुनाव किसी प्रकार से भी सही नहीं हो सकता है। इसके साफ मानी हैं कि एक पार्टी का एक छत्र राज्य हो। एक ही नहीं सभी पार्टियां सत्याग्रह करती हैं। इस प्रकार यह धारा बड़ी अनुचित धारा है।

साथ ही एक धारा और है जिसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह साबित हो कि वह किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तो उसको भी चुनाव लिये खड़े भी का अधिकार न होगा, लेकिन यह कैसे मालूम होगा? इसका नाप क्या होगा? आज पर एक पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वह कहीं बाहर से सलाह लेती है, बाहर के इशारे न चलती है, बाहर से धन लेती है। इसका मतलब होगा कि वह पार्टी खड़ी ही नहीं हो सकती। यह ऐसी बातें हैं जो जनतंत्र के लिये बड़ी ही अनुचित बात है। अगर इन बातों पर विचार किया जायगा तो मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा और संभव है माननीय मंत्री जी भी मेरे जनमत में वितरित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, ताकि अगर यह जनता में जाय तो लोग इसको पढ़ें, समझें, सोंचे, इस पर बहस करें और तब अपनी राय दें। ग्रांम पंचायतों और टाउन एरियाज को भी कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी कमाल की चीज यह है कि देना लेना कुछ नहीं और कहा जाता है कि यह अधिकार दिये जा रहे हैं और पैसा एक नहीं दिया जायगा। चाहे चले या न चले। हमारी सोशलिस्ट पार्टी का यह कहना है और सोशलिस्ट पार्टी ही नहीं श्री गोविन्द सहाय कमेटी की रिपोर्ट में है कि राजस्व का एक चौथाई भाग ग्राम पंचायतों को एक चौथाई भाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जाय। फिर यह क्यों नहीं दिया जाता? अगर यह दिया जाता तो वे सुचारु रूप से चलते। इसके अलावा अगर आवश्यकता होती तो और भी कर लगा लेते। तो ऐसी ही बातों पर विचार करने के लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसे जनमत लेने के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने स्वायत्त शासन मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने विधान सभा में प्रस्ताव पेश करते समय जो इस देश के सिद्धातों का वर्णन किया और उन्होंने यह बतलाया कि विकेन्द्रीयकरण के नीचे क्या आधार है। विकेन्द्रीयकरण की नीति इस देश में पहली चीज नहीं है जो आज हम इस प्रकार की बात करते हैं। हम तो देखते हैं कि इसका वर्णन हमारे यहां हजारों वर्ष पहले ही किया गया है कि विक्रेन्द्रीयकरण की सीमा विशद है। यह वर्णन है कि "नच दंड नच दंडक:" सुधर्मणैव रक्षन्ति, निज धर्मम्, परस्परम।" कोई राजा हीन ही रहता था, कोई राजसत्ता हीन ही रहती थी। जिस राज पथ पर चलने का उसमें संकेत किया गया है उसी तरफ चलने के लिये इस विधेयक में भी संकेत किया गया है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि सही में वह क्या व्यवस्था हो? यह जो सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हम करने जा रहे हैं, पहले ग्रामों का जो जीवन है, जिस नागरिक जीवन की इसमें कल्पना की गयी है, उसकी एक सीमा जिला स्तर पर ली जा रही है। मूल प्रश्न यह है कि जहां एक बात ठीक है कि जिला परिषद् में ग्रामीण नागरिक आयेंगे तो उनका आउट लुक उनका दृष्टिकोण विस्तृत होगा वहां यह बात भी विचारणीय है कि उनको परिषद् में लिये जाने के लिये क्या सही व्यवस्था हो। आज इस विधेयक के अन्दर हमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखायी पड़ती जिसके अन्दर हम आशा रख सकें कि उसका यह दृष्टिकोण होगा, क्योंकि आजकल के आर्थिक संसार में हर मनुष्य पैसे से गाइड हो रहा है, इसलिये कहा नहीं जा सकता कि इस नीति से कहां तक सफलता मिलेगी। कहीं ऐसा विकार न हो जाय कि हम उसी के शिकार हो जायं। इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि जिले के स्तर पर उसका विकेन्द्रीयकरण हो जाय।

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के उस सिद्धान्त का हार्दिक स्वागत करता हूं जिस भावना से उन्होंने इसे इस सदन के सामने रखा। इस विधेयक में दो, चार बातें ऐसी हैं जिनकी

ओर संकेत मात्र कर देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । पहले ग्राम सभाओं में जो भूमि प्रबन्धक समिति थी उसको हम इसके द्वारा कार्यकारिणी समिति में परिणत कर रहे हैं । माननीय मंत्री महोदय के सामने वे सारी बातें होनी चाहिये थीं जैसे उसका सेक्रेटरी जो है वह लेखपाल था जिसे खसरा खतौनी तैयार करना पड़ता था और अब भी पंचायत राज के अन्दर उसे देना ही पड़ेगा । तो मेरा खयाल है कि उसका एक अविकल रूप होना चाहिये और दोनों की एक ही सत्ता होनी चाहिये । दोनों का निरीक्षण यंत्र जो है वह पृथक् पृथक् है, तो दोनों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । भूमि सम्बन्धी चीजों को ओर माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान दना चाहिये जिससे उसके अन्दर कोई ऐसी अव्यवस्था न आ जाय कि वहां फोर्जरी होन लगे और बार बार विधेयक में परिवर्तन करना पड़ें । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सर्विसेज की नियुक्ति में अध्यक्ष और पब्लिक सर्विस कमीशन में मतभेद हो तो उसमें स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से ऐग्री नहीं करता हूं कि सूबे में बैठ कर दृष्टिकोण अच्छा रहेगा । व्यापक होगा पक्षपात नहीं होगा । वहां पर उस परिषद् को होना चाहिये । परिषद् बैठती तो विकेन्द्रीयकरण का स्वरूप प्रखर हो उठता है । इस तरह से हम फिर जहां से चले उसी जगह पर पहुंचते हैं, इसलिये मैं तुच्छ बुद्धि का आदमी इस को उचित नहीं मानता ।

एक बात यह है कि परिषद् को बनाते समय जहां हम यह सिद्धान्त रखते हैं कि एम० एल० ए० चूंकि चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता इसलिये उसको नहीं रख सकते । यह उचित नहीं है । उस का संकेत एम० एल० ए० के लिये ही है । कहा जाता है कि वह संकेत करेगा और किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करेगा । जो उपपत्ति दी जाती है उस में तो साधक विषयों का मंडन और वाधक विषयों का खंडन किया जाता है । मनु भगवान् ने कहा है कि 'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम ।" ऐसी भाषा के प्रयोग से हमें दुःख होता है, उस का प्रयोग न होना चाहिये था । यद्यपि उसमें सत्य अधिक नहीं है । मैं मानता हूं कि प्रदेश में एम० एल० ए० का दृष्टिकोण व्यापक होता है, वह सेवा के उद्देश्य पूरक कार्यों में रत रहता है, फिर भी यह कहना कि वह प्रभावित करेगा उचित नहीं है, यद्यपि स्पष्टतः यह बात नहीं कही गई है, लेकिन संकेत उसी ओर है कि एम० एल० ए० वहां पर बैठने पर वातावरण को मेघाच्छन्न कर देगा । मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से विधान सभा का सदस्य वहां सब को प्रभावित करेगा ? मैं ऐसी बात नहीं मानता, वह तो विकास कार्यों में और सहायक ही होगा । इस तरह का विवाद तो नियोजन समितियों आदि से भी खड़ा हो सकता है ।

जिन शब्दों से इस विधेयक को जोड़ा गया है वे बड़े लचीले शब्द हैं । हर चीज स्पष्ट रूप से इसमें साफ हो जाती तो अति उत्तम था, नियम बनाते समय हर चीज को किस प्रकार से रखा जायगा यह हम नहीं जानते । मेरा विश्वास है कि एक एक क्षेत्रीय एम० एल० ए० के सम्बन्ध में दो तीन क्लाक्स पड़ते हैं । धारा ९८ के अन्तर्गत जो परिषद् बनेगी उसमें विधान सभा सदस्य का होना अति आवश्यक था जिससे वह भी अपने दृष्टिकोण को वहां रख पाता, उस में तो उनको अनिवार्य रूप से रखना चाहिये था और मेनडेटरी प्राविजन रखना चाहिये था इसका सम्बन्ध केवल विकास से है, इसलिये इस में किसी प्रकार के भय या शंका की बात भी नहीं है । जहां तक एम०पीज० का सम्बन्ध है उन के लिये जो नया कानून दिल्ली में बना है कि जब वे कम्युनिटी ब्लाक में जायं तो वहां के अधिकारी उनके लिये वाहन का प्रबन्ध करें और राज्य पत्रों को दिखलायें । एक एम० पी० का सीमा क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, लेकिन एक एम० एल० ए० जो जन-सेवक होता है जिस की धमनियों में सेवा की भावना धधकती है, जिस की हड्डियों में सेवा कार्य के लिये एक उत्सुकता होती है उसको क्लाक्स से वंचित करना श्रेयस्कर न होगा । मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । अनेक ऐसी बातें हैं जिनका प्रवर समिति में विस्तार से उल्लेख और विचार हो सकेगा, इसलिये प्रवर समिति में भेजने का बड़ा उत्तम संकल्प है । यह वहां जाना चाहिये और पूर्ण रूप से इस पर विचार होना चाहिये ।

(इस समय २ बजे मध्याह्नोत्तर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए ।)

[श्री रामलखन मिश्र]

वहां अनेक और भी विचार हैं जिनका समावेश हो सकेगा । हमारा विश्वास है कि किसी हठ या दुराग्रह को प्रश्रय न मिलेगा और निर्मल बुद्धि और स्वस्थ्य चित्त से सब लोग बैठकर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि उसमें सत्याश होता है, व्यापकता के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से अनेक बाते हैं जो इस विधेयक में लाना है और लानी चाहिये। और वह प्रवर समिति में कार्य पूरा हो जायेगा । इस कारण मैं और विस्तार से चर्चा नहीं करता हूं केवल यही कह देना चाहता हूं कि जो सुझाव है मंत्री जी को उनको पर्याप्त रूप में समावेश करना चाहिये, लेकिन भविष्य में जो चित्र हमारे मंत्री जी बनाना चाहते हैं, जिसकी कल्पना है, उसके ऊपर मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उनकी दृष्टि में सदा ऐसी बातें रहेंगी ।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से उस प्रस्ताव की ताईद करता हूं जिसके जरिये यह गुजारिश की गई है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय । आपसे पहले जो अधिष्ठाता महोदय यहां पर बैठे हुये थे उन्होंने इस बात की तरफ जोर दिया था और इशारा किया था कि जब मंत्री जी का यह प्रस्ताव था कि ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी के सिपुर्द यह बिल किया जाय तो हमारी तरफ से यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि सिर्फ इस हाउस की सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय, तो इसकी क्या वजूहात है । श्रीमन्, जो हमारे नियम हैं उनके बिना पर इस हाउस को अधिकार है कि चाहे किसी बिल को इस हाउस की कमेटी के सिपुर्द करे चाहे ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द करे। इसी तरह से विधान परिषद् को भी इस बात का अधिकार नियम के अनुसार है । इस सदन की जो कमेटी होती है वह कमेटी, हम लोगों की राय में, अगर अकेली बैठे तो ज्यादा बेहतर काम कर सकती है ।

जो बिल की खास खास बातें हैं अब उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । हम इस बिल को देखते हैं तो मालूम होता है कि इससे पहले जो तीन-चार फंग्शन्स मुखतलिफ कानून की बिना पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हुआ करते थे, उन सबको मिलाकर यह कानून बनाया गया है । इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंग्शन्स जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट के अनुसार पहले जिले में हुआ करते थे उनको एक जगह पर रखा गया है । कुछ अख्तयारात जो टाउन एरियाज कमेटी को थे वे भी इसमें जिला परिषद् को दिये जा रहे हैं । कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अभी तक पंचायत के थे, ग्राम सभा के थे, लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटी के थे । वह जिला परिषद् को दिये जा रहे हैं । साथ ही साथ जितने भी प्लानिंग के काम हैं वे जिला परिषद् को दिये जा रहे हैं । इस वजह से इस कानून की बड़ी अहमियत है । यह कानून वह है जिसका हमें एक अर्से से इंतजार था । सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ था और आम तौर पर ४ वर्ष बाद १९५२ में दूसरा चुनाव हो जाना चाहिये था, लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एजीटेशन के बाद, इस सदन में कहे जाने के बाद और तमाम भरोसों के बाद जो सरकार की तरफ से दिये गये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव मुल्तवी होते रहे, और उसकी वजह यह दी गई कि एक ऐसा कानून इस सदन में लाया जायेगा जिसके जरिये से डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर होगा। ऐसा बिल हम इस सदन में लाने वाले हैं इस वजह से हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं करा रहे हैं ।

इस बिल का जो पहला हिस्सा है जहां पर यह लिखा गया है कि यह बिल क्यों बनाया गया है और जो आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स हैं अगर उन्हें हम देखते हैं तो मालूम होता है कि जहां तक सरकार का मकसद है, कागज पर ऐलान है, पब्लिक के सामने अखबारों के जरिये से जो कहना है वह यकीनन यही है कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्स होगा, लेकिन जब कानून देखते हैं, विधेयक को देखते हैं तो हमें बड़ी मायूसी होती है । अगर श्रीमन्, इजाजत दें तो इतना अर्ज कर दूं "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला।" हम सुनते थे एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कायम होगी, पूरा डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्स कर दिया जायगा । वहां के चुने हुए आदमियों को उस जिले के मामले में पूरा अधिकार होगा,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन मायूसी यह देख कर के हुई खास तौर से कि जो ऐक्सटर्नल कन्ट्रोल चैप्टर नम्बर १० है, उससे बड़ी मायूसी होती है, जिसके जरिये इसमें इस बात का एलानकिया गया है कि जनता का कोआपरेशन हम हासिल करना चाहते हैं और वह चीज हासिल करने का डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा तरीका है डायरेक्ट इलेक्शन। खुशी है कि मंत्री जी इस बात को माने हैं, उन्होंने भी जहां तक अखबारों में ऐलान किया पब्लिक को धोका देने की नीयत है। उसमें यही कहना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन कहा कि माली हालात की वजह से कुछ नहीं कर सकते। जिस सरकार का १०० करोड़ का बजट हो, वह सरकार जो तमाम बेतुके कामों के लिये लाखों रुपया खर्च करती है, नैनीताल जाने में लाखों रुपया खर्च करती है, मंत्रियों की हर साल मोटरें बदलने में, बंगलों की तामीर में खर्च करती है, पुल बनते हैं बह जाते हैं, सड़कों के लिये रुपया बजट में पास होता है, लेकिन मुकाम पर सड़क नहीं बनती और बिल का भुगतान हो जाता है, जो सरकार इस तरह से रुपया खर्च करती है वह आज जम्हूरियत के बुनियादी उसूल को सिर्फ इसलिये कुरबान कर रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मंत्री जी इस बात की कसम खायें हैं यहां आने के पहले कि वे विधान के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसे मुन्तखिब किये हुए नुमाइन्दों को इस किस्म का लचर जबाव पेश करना किस तरीके से जैर देता है? सही वजह यह नहीं है। असल बात यह है हमारी सरकार आये दिन ऐसे काम करती है जिनके जरिये से जम्हूरियत का खून होता है। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट १९५३ के मातहत प्रेसीडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता था, हर आदमी को मेम्बरों के साथ साथ प्रेसीडेंट को चुनना पड़ता था, लेकिन जब सरकार ने देखा कि ७० फीसदी कांग्रेस के प्रेसीडेंट नहीं चुने गये तो ऐक्ट में तरमीम कर दी। जब देखा कि अरबन पापूलेशन कांग्रेस सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करने को तैयार है तो कानून बदल दिया और कहा गया कि अब प्रेसीडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट होगा यही वजह है जो इस कानून के पीछे भी काम कर रही है। यही सही मकसद है जिसको आप इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिये छुपा करके सदन के सामने पेश करना चाहते हैं।

अब जिस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन्स हुए है, पहले इस सदन में विरोधी दल के सदस्यों की तादाद २५ या ३० थी अब उनकी तादाद १४४ हो कर के सरकार के ऊपर दफा १४४ की तरह लगी हुई है। इसके अलावा सरकार देख रही है कि जो बाई-इलेक्शन्स होते हैं उनमें कांग्रेस के उम्मीदवार हार रहे हैं। इसी वास्ते सरकार सोचती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया तो बहुत से जिलों में कांग्रेस हार जायेगी। इसलिये डायरेक्ट इलेक्शन न करके इनडायरेक्ट किया है। इसमें इलेक्टर्स कौन कौन होंगे? अगर दफा ४ देखें तो इसमें जिला परिषद् के मेम्बर होंगे, जो गांव पंचायत के सदस्य होंगें, इसमें वे लोग होंगें जो टाउन एरिया कमेटी के मेम्बर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के मेम्बर हैं, इनके द्वारा चेयरमैन चुना जायगा। यह इलेक्टोरल कालेज कैसा बनेगा? यह ऐसा बनेगा जो बिल्कुल सरकार के कब्जे में रहेगा। जिसके ऊपर सरकार का कब्जा पूरा रहेगा। इस वास्ते कि पंचायत राज्य ऐक्ट के मुताबिक सरकार को इस बात का अधिकार है कि ग्राम पंचायत के जिस सदस्य को वह चाहे सीधे सीधे निकाल सकती है और म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अनुसार जो नोटिफाइड एरियाज के मेम्बर चुने जाते हैं उनके मेम्बरों पर सरकार का कंट्रोल है। एक दरख्वास्त दे दी जाय कि इस मेम्बर ने मकान के सामने तामीर की है बगैर नोटीफाइड एरिया की इजाजत के, सरकार उसे रोक सकती है।

अलीगढ़ का हाल का किस्सा है। वहां के प्रेसीडेंट के खिलाफ नो कांफिडेंस मोशन था। २ मेम्बर जिन्होंने प्रेसीडेंट के खिलाफ दस्तखत किये थे उनको प्रेसीडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसीडेंट के खिलाफ वोट देने के पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। ये जो तौर तरीके हैं उनकी बिना पर हमें यकीन है कि यह जो आप कह रहे हैं स्पीच में कि हम डायरेक्ट इलेक्शन चाहते हैं यह इसलिये कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इस देश की पब्लिक ओपीनियम जो है और यहां

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

तक कि आपके पीछे बैठने वाले जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये, लेकिन आपका असल मकसद तो कुछ और है और वह असल बात नहीं है जो आप अपनी स्पीच में कह रहे हैं। दफा ६ में लिखा है कि टर्म ५ साल का होगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो साल भर के लिये बढ़ा सकती है। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिला परिषद् में भी जब टर्म बढ़ाने के अधिकार की बात आती है तो हमें परेशानी हो जाती है। इस वास्ते होती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में केवल ६ महीने का आपने अधिकार लिया था तो आपने ६ वर्ष लगा दिये। इसमें तो आप शुरू से ही साल भर का अधिकार ले रहे हैं। यह सही है कि बाद में आपने प्राविजन लगा दिया है ज्यादा टर्म बढ़ाना हो तो हाउस के सामने उस लाना होगा, लेकिन मंत्री लोग प्रेस्टिज इश्यु बना कर मेम्बरों पर दबाव डालते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। हमारे उधर के बैठने वाले ९ मंत्रियों को प्रेस्टिज इश्यु पर मोटरें और बंगले खोने पड़े। लिहाजा मैं यह चाहूंगा कि टर्म किसी हालत में भी जिला परिषद् का न बढ़ाया जाय चाहे जितनी बड़ी एमर्जेंसी हो जाय। मैं अमेरिकन कांस्टिट्यूशन का हवाला इस सिलसिले में दूंगा। वहां प्रेसीडेंट का टर्म ४ वर्ष का होता है। श्रीमान को ज्ञान होगा कि लड़ाई हो रही थी, लेकिन अमेरिका में इलेक्शन हुआ। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति किसी देश में और क्या हो सकती थी कि वर्ल्ड वार सैकिंड हो रही हो, लेकिन अमेरिका के कांस्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इलेक्शन होगा, लिहाजा प्रेसीडेंट का इलेक्शन हुआ। इसलिये कोई वजह नहीं है कि इस किस्म के अधिकार गवर्नमेंट को दिये जायं।

इसके अलावा गवर्नमेंटल कंट्रोल के बारे में मुझे कुछ कहना है, खास तौर से गवर्नमेंट कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में दफा १० में जिक्र किया गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट कंट्रोल इसलिये रखा गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज में देखा गया कि वे ठीक तरह से काम नहीं करते और पार्टी में नो कांफिडेंस मोशन आ जाता है, इसलिये उसकी फंकशनिंग ठीक नहीं है। अगर, मान्यवर, इजाजत दें तो मैं पूछ सकता हूं कि आपकी पार्टी में खुद आपके खिलाफ दस्तखत नो कांफिडेंस के लिये नहीं कराते फिरते। इसलिये नो कांफिडेंस का बहाना लेकर यह कहना कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर मेम्बरों की इंटरफियरेंस ज्यादा होती है, इसलिये गवर्नमेंट का इंटरफियरेस जरूरी ह यह बात मरी समझ में नहीं आती। सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल हो वहां तक सोचा जा सकता है, लेकिन चैप्टर १० में ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है और उसका कंट्रोल होने के मानी है कि जिस बुनियाद पर—डिसेंट्रालाइजशन के आधार पर यह बिल बनाया गया है—उसके खिलाफ यह बात जाती है।

आज सबसे पावरफुल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसके पास पुलिस पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और इस बिल में उसको मुख्तलिफ तरीकों से अधिकार दिये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट लेविल का अफसर होने की हैसियत से वह जिला परिषद् का एक मेम्बर होगा, उसको ऐड्रेस करने का अख्तियार है, एकाउन्ट्स चेक करने का अख्तियार है और सेक्शन २७३ की रूं से वह जिला परिषद् द्वारा पास किये हुये किसी प्रस्ताव के एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। तो इतनी वाइड पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे देना खास तौर पर तब जब कि आपका आइडियल यह है कि जिला परिषद् एक तरह से डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट होगी किसी तरीके से मुनासिब बात नहीं मालूम होती। हमारी तरफ से तो मांग इस बात की है कि सही मानों में जो आपका उसूल है तभी पूरा हो सकता है जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस जिला परिषद् के मातहत होकर रहें जिस तरीके से कि आई० जी० और कमिश्नर के ऊपर अधिकार इस पूरे लेजिस्लेचर को हासिल है। हमारी गुजारिश है कि अगर आप सही मानों में पावर को डिसेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस को जिला परिषद् के मातहत होकर काम करना चाहिये। जब मैं पुलिस पावर्स के बारे में कह रहा हूं तो मैं उस कमेटी का हवाला देना जरूरी समझता हूं जिसके प्रेसीडेंट इस सदन के अध्यक्ष महोदय थे और जिसके मेम्बर इस कैबिनेट के एक डिप्टी मिनिस्टर श्री सुल्तान आलम खां थे और मिस्टर

सी० बी० गुप्त भी थे। सी० बी० गुप्त का तजकिरा इसलिये किया जा रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस दल दो हिस्सों में बँटा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि दोनों गुटों के आदमी इस मामले पर सहमत हैं कि लोकल बाडीज को पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन दे देना चाहिये। यह रिपोर्ट सन् १९३७ की है जो खेर कमेटी के नाम से मशहूर है। उसका पैरा ३० इस सब्जेक्ट से डील करता है और आपकी इजाजत से मैं उसके दो, चार जुमले पढ़ देना चाहता हूं—

"We are of opinion that every district and municipal board should be required to have its own police for the purpose of (1) protecting public property, (2) preventing and suppressing nuisances, (3) controlling traffic, (4) enforcing rules, regulations, by-laws and orders issued under the Act, and (5) co-operating in the maintenance of public peace and safety. In our opinion rules relating to the training, discipline and appointment of such police should be framed by Government in consultation with the local self government board whose appointment we have recommended in chapter VIII."

आज माननीय मंत्री जी को विश्वास नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट जो अब चुन कर आयेगी वह इस काबिल होगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को बरदाश्त कर सके। श्रीमन्, सन् १९३७ में जबकि यहां विदेशी सरकार थी तब तो यह समझा गया कि यहां के लोग लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट चलाने के काबिल हैं, लेकिन सन् १९४७ में आजादी होने के बाद १२ वर्ष में मंत्री जी ने बजाय इसके कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आर्ट में हमको ज्यादा ट्रेनिंग दी होती इतने दिनों बाद इस सरकार ने लोगों के दिलों में सिर्फ डिमारलाइजेशन पैदा किया है, सिर्फ लोगों को गैर-जिम्मेदारी सिखाई है। यह इस सरकार के माथे के ऊपर एक कलंक का टीका है और सदन में इसका जिक्र करते हुए उसका सिर शर्म से झुक जाना चाहिये।

यह मेरा हर्गिज मकसद नहीं है कि लोकल बाडीज को पूरे तरीके से आजाद कर दिया जाय। मैं मानता हूं कि किसी न किसी स्टेज पर चेक होना चाहिये और इस सिलसिले में यही कहूंगा कि लोकल बाडीज और प्राविंशल गवर्नमेंट का सम्बन्ध ऐसा ही होना चाहिये जैसा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्राविंशल गवर्नमेंट का है। ऐक्सट्राआर्डिनरी इमर्जेन्सी में कोई चेक जरूर होना चाहिये। इसी उसूल की बिना पर कांस्टीट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट्स पर सेंटर का एक चेक रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेसीडेंट की एक्सट्राआर्डिनरी पावर्स का चेक रखा है। इसी उसूल पर मैं चाहूंगा कि जब आप गवर्नमेंटल कंट्रोल रखें तो कम से कम रखें और इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि एक बोर्ड होना चाहिए और वह एक औटोनोमस बाडी होनी चाहिये। इस तरह से इसका नाम लोकल सेल्फ कमीशन या कुछ भी रख दिया जाय। इस तरह से एक बोर्ड होना चाहिये।

श्रीमन्, जो सुझाव खेर कमेटी की रिपोर्ट में है उसकी तो मैं हिमायत नहीं कर सकूंगा, लेकिन यह आइडिया मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस कमेटी के अध्यक्ष जो हमारे ऐवान के भी अध्यक्ष हैं, उस कमेटी ने इसके बारे में जो कुछ कहा है उसकी तरफ मैं ऐवान का ध्यान दिलाऊंगा। १९३७ में जब फारिन हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उस वक्त तो जरूरी था कि लोकल बाडीज औटोनोमस हो जायं, लेकिन आज आजादी के बाद तो और भी जरूरी हो गया है कि उनको औटोनोमस फंक्शन करने की इजाजत दी जाय। श्रीमन्, मैं उस पोरशन को पढ़ देना चाहता हूं। वह इस तरह है :—

"Hitherto Government have exercised supervision and control over local bodies through District Officers and Commissioners. These officers have not generally taken sufficient interest in the problems affecting local bodies; often owing to the fact that they had their own heavy duties to perform . Moreover public opinion is now emphatically against any control being exercised by Government servants in the administration of Local bodies as this has led to unwarranted interference by them in their internal

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

affairs. Quite apart from the above considerations the growing complexity of problems affecting local bodies has made it absolutely neccessary that the control and guidance over them should be in the hands of a body composed of people having intimate experience of their working and some trained experts, who can give undivided attention to their duties".

श्रीमन्, आज से २६ वर्ष पहले जिस कमेटी में हमारे अध्यक्ष थे, श्री सुल्तान आलम खां तथा श्री सी०बी० गुप्त, उसने रिकमेन्ड किया था कि एक बोर्ड बनाया जाय और सारा कंट्रोल लोकल बाडीज का उसको दे दिया जाय। १९३७ में इस देश में आजादी नहीं आई थी उस वक्त मांग थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और प्रांविंशियल गवर्नमेन्ट का इनमें इंटरफियरेंस न हो। उस वक्त तो लोकल बाडीज महज इसलिये बनाई गईं थीं कि लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग दी जाय। श्रीमन् आज हम इस दशा में हैं कि अपने देश का इंतजाम करते हैं। मंत्री जी की जुबान से यह अल्फाज सुनते हुये ताज्जुब होता है कि हम पूरे हिन्दुस्तान का निजाम चला सकते हैं। आज मंत्री जो पूरे हिन्दुस्तान का निजाम चला सकते हैं, लेकिन क्या जिले में एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो जिले का इंतजाम न चला सके। यह कहकर आप पब्लिक से भरोसा उठा रहे हैं। जैसा कि राज्यपाल ने अपनी तकरीर में तजकिरा किया था कि डेमोक्रेसी में कांफीडेंस होना चाहिये उसको तकरीर के जरिये उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये एक बोर्ड कायम किया जाय जिसमें लोकल बाडीज के रिप्रेजेन्टेटिब्स हों, गवर्नमेन्ट के होने चाहिये, और उसका प्रेसीडेंट हाई कोर्ट का जज होना चाहिये। डेवलपमेंट के काम के लिये डेवलपमेंट कमिश्नर और एजूकेशन का कोई एक्सपर्ट भी इस बोर्ड में रख दीजिये ताकि वह बोर्ड पूरे तरीके से गाइडेंस करे कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। सुपरविजन देने से क्या फायदा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पार्टी पालिटिक्स में इंडल्ज करते हैं। केवल विरोधी दल और कांग्रेस पार्टी में ही नहीं, बल्कि जो कांग्रेस के अन्दर खुद पार्टी बन्दी है आज कल के जिलाधीश इसमें हिस्सा लेते हैं। एक ग्रुप के आदमी अगर शासन में हैं तो दूसरे ग्रुप के आदमियों से उनको तशफ्फी होती है। अपने जिले का मुझे यही तजुर्बा है। जितनी शिकायत मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से है उतनी ही शिकायत कांग्रेस के कुछ एम०एल०एज० को उनसे है, क्योंकि एक ग्रुप से वह अपने को वास्ता किये हुये हैं। इसलिये एक बोर्ड बना कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ जितनी इनक्वायरी हो, जितना भी कंट्रोल हो, फाइनेंशल अलाटमेंट हो उस बोर्ड के द्वारा किया जाय ताकि पब्लिक को कांफीडेंस हो सके कि उनके नुमाइंदे ठीक तरह से काम कर रहे हैं।

इसके बाद एलेक्शन पेटीशंस के बारे में भी कुछ अर्ज करना है। इसमें दफा ३७ से ५५ तक एलेक्शन पेटीशन का जिक्र है। मुझे केवल यह अर्ज करना है कि इसमें सेक्शन ५२ में जो करप्ट प्रैक्टिसेज हैं उसके बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि इसके बारे में बाद में रूल्स बना देंगे। अगर दफा ३७ से ५५ तक पढ़ी जायं तो मालूम होगा कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट की नकल हैं। जहां तक इसका सवाल है कि जो असल कानून है उसके आधार पर आपने बना कर रखा है इसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मेरा सुझाव सिर्फ यह होगा कि करप्ट प्रैक्टिसेज वही रखिये जो रिप्रेजेंटेशन आफ पिपुल्स ऐक्ट में हैं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि करप्ट प्रेक्टिसेज अगर असेम्बली और पार्लियामेंट में और रखिये और म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और रखिये तो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर किराये की गाड़ी करना असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शन में नहीं है। वे मोटर, लारी, ट्रक हवाई जहाज ला कर अपने वोटर को पहुंचा सकते हैं। इससे पब्लिक की ट्रेनिंग नहीं होती। म्युनिसिपैलिटी का वोटर यह नहीं जानता कि पार्लियामेंट के या असेम्बली के एलेक्शन में यह नाजायज है। वर्क्स की भी इससे ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिये मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें कि जो रूल्स उन्होंने बनाये हैं वह दफा १२३ रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के बिलकुल मुताबिक नहीं है।

इसके बाद कुछ प्रोसीड्योर के बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं। सेक्शन २९८ इस सिलसिले में है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर उस वक्त तक कोई दावा नहीं होगा जब तक दो महीने की नोटिस न दे दी जाय। यह मसला श्रीमन्, गवर्नमेन्ट के सूट्स के बारे में एक्स्ट्रा आर्डिनरी प्रिविलेज का, ला कमीशन के सुपुर्द था। सीतल बाद कमेटी ने इस पर यह सिफारिश की है कि स्टेट के खिलाफ या लोकल बाडोज के खिलाफ जो सूट्स हों उनमें एक्सट्रा आर्डिनरी नोटिस की जरूरत नहीं होनी चाहिये। यह जरूर है कि उनको आर्डिनरली कुछ अपार्चुनिटी मिलनी चाहिये और अगर ऐसा नहीं हुआ कि आप उनको रीजनेबिल नोटिस न दें तो उनको कास्ट नहीं मिलनी चाहिये, लेकिन सूट इस बिना पर हरगिज डिसमिस नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सदन में जो लोग कचहरियों से वाकिफ हैं वह जानते हैं उसका मतलब यह है कि आपको नोटिस मिल जाय, आप पेपर्स वगैरह देख लें, लेकिन यह कभी नहीं होता है। हां, एक टेक्निकल ग्राउन्ड डिफेंस का जरूर लेते हैं कि नोटिस इनवैलिड है। कहीं यह कह दिया कि यह सेंट्रल गवर्नमेन्ट से रिलेटेड है, कहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्यों लिख दिया, कहीं यह कहकर नोटिस गलत बतला देते हैं जैसे कि पंचायत राज ऐक्ट हमने पास किया उसमें प्रधान आया है, अब यह कि आपने चेयरमैन क्यों लिख दिया। तो इस किस्म की टेकनिकल बातें होती हैं।

अब दूसरा जो इसमें स्फियर ऐडमिनिस्ट्रेशन का है इसमें मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि लोकल बाडीज को बजाय इसके कि सेल्फ गवर्नमेन्ट दी जाय डायर्की की तरह की चीज उनको दी जा रही है। मांटेग्यू चेम्बसफोर्ड रिफार्म सन् १९१९ में जो हुआ था उसमें यहां डायर्की पहले पहल हुई। १९३५ के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के पहले वही डायर्की सन् १९१९ से यहां चल रही थी। तो श्रीमन्, इसमें हम जो इस वक्त देने जा रहे हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज करने की बात कही जाती है, जहां यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पावर्स पब्लिक को होनी चाहिये, वहां १९५७ में यह हमारी पापुलर गवर्नमेन्ट वह चीज पब्लिक को देने जा रही है जो कि सन् १९१९ में एक विदेशी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को दी थी। कैसे शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है? कितने ज्यादा ग्रीडी हैं आप पावर के कि आप किसी तरह से भी अपने हाथ की पावर को ट्रांसफर करने के लिये तैयार नहीं हैं? इसमें श्रीमन् वही डायर्की है। उस जमाने में जब डायर्की का सिस्टम आया तो जितने हमारे बड़े बड़े नेता थे सबने उसको अपोज किया। उस वक्त पंडित मोतीलाल जी थे, उन्होंने अपोज किया, गांधी जी ने विरोध किया। तो आज सन् १९५९ में ४० साल के बाद इस तमाम शोरगुल के बाद कि आप पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं, पूरी तरह से लिबर्टी देना चाहते हैं, इतना ही दे रहे हैं जितना कि आज से ४० साल पहले एक विदेशी सरकार ने हमको दिया था। उसमें क्या था? कुछ एलेक्टेड मेम्बर्स होते थे, कुछ नामिनेटेड मेम्बर्स होते थे। कुछ को गवर्नर नामिनेट करता था। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी। हर आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं था। इनकम की बेसिस पर एलेक्टोरोल बनते थे। डेढ़ सौ से ऊपर के जो मालगुजार होते थे वही वोट दे सकते थे। वैसा ही इसमें भी है। १९१९ के ऐक्ट में भी डाइरेक्ट एलेक्शन नहीं था, पापुलर फ्रेंचाइज नहीं था। वह इस समय भी नहीं है। एडल्ट फ्रेंचाइज इस समय भी आप नहीं रख रहे हैं। उसमें भी आफिसर्स एसोशियेट किये जाते थे, बाकायदा नामीनेटेड मेम्बर्स हुआ करते थे इस बिना पर कि होम मेम्बर हैं, श्रीमन्, राजा महाराजसिंह इसी बिना पर नामिनेटेड मेम्बर थे, सर सी० वाई० चिन्तामणि भी इसी तरह के नामिनेटेड मेम्बर थे। उसी तरफ से आपने भी आफिसर्स को एक्स-आफिश्यो मेम्बर करके रख दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफिसर, सिविल सर्जन, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ये जितने भी आफिसर्स हैं उसके मेम्बर होंगे जिस तरह से कि होम मेम्बर बनाये जाते थे। इतना फर्क हो गया है कि उनको वोट देने का अधिकार था, इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल वही है आप भी एडल्ट फ्रेंचाइज से एलेक्शन नहीं करायेंगे, वह भी नहीं कराते थे। आफिसर्स का एशोशियेशन उसमें भी था, इसमें भी है। वह नामिनेट किये जाते थे, आप भी वही कर रहे हैं।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

जहां तक डेवलपमेण्ट का ताल्लुक है उसमें मुझे यही कहना है कि पब्लिक कोआपरेशन के बिना कोई डेवलपमेण्ट सफल नहीं हो सकता, गोविंदसहाय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात पर खास तौर से जो दिया गया है कि जब तक पब्लिक कोआपरेशन नहीं होगा तब तक पब्लिक को यह एहसास नहीं होगा कि हमारा डेवलपमेन्ट हो रहा है तब तक डेवलपमेन्ट कभी भी सकसेस फुल नहीं हो सकता ।

डीटेल्स के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि इसमें वही सब रूल्स वगैरह जो कि वक्तन फवक्तन जी०ओ० वगैरह ईश्यू होते रहे हैं, वही सब एक जगह इकट्ठा करके उन्हीं को कोडीफाइ करके कानून की शक्ल में पेश कर दिया गया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसी तरीके से वगैर पब्लिक कोआपरेशन के हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जिस तरह से आप पब्लिक कोआपरेशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश यह है कि वह किसी तरह से कामयाब नहीं हो सकती । इन सब बातों के साथ मैं मंत्री जी से इस बात की गुजारिश करूंगा कि जब सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द यह मसला जाय तो जो बातें मैंने यहां पर कहीं हैं उनकी तरफ खासतौर से ध्यान दिया जाय क्योंकि कोई चीज मैंने यहां पर पार्टी स्पिरिट से कि चूंकि आपकी पेश की हुई चीज की मुझे मुखालफत करना है और यह मेरा फर्ज है, इस जज्बे से हरगिज मैंने यहां पर तकरीर नहीं की है, बल्कि जो उसूली बातें हैं उनको ही मैंने इस सदन के सामने पेश किया है। मंत्री जी भी इस चीज को मानते हैं और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि डाइरेक्ट एलेक्शन हों और उनको पुलिस फोर्स की ज्यादा पावर देना चाहिये। एक प्राविजन भी इसमें रखा गया है कि टाइम टु टाइम वहां की हालत को देख कर पावर डेलिगेट करते जायेंगे । मेरी गुजारिश यह है कि हमारा देश बड़ा लम्बा चौड़ा है। उसके साथ इस तरह से नहीं होना चाहिये कि जैसे मां की गोद से निकला कोई बच्चा हो । पहले उसको मां का दूध दिया जाय और फिर बकरी का और फिर ग्लैक्सो का दूध उसको पिलाये । अगर आप जवान हैं तो देश की हुकूमत करने के काबिल हैं और हुकूमत कर सकते हैं। लिहाजा रफ्ता रफ्ता पावर देने की जो बात कही गई है और रफ्ता रफ्ता काम देने की जो बात है उससे देश के पब्लिक के नुमायन्दों का अपमान कर रहे हैं। पब्लिक के ऊपर आपका भरोसा है। अगर आपका यह सही जज्बा है तो उनको सही अखित्यार दीजिये और सही मायनों में पावर को डिसेन्ट्रलाइज कीजिये। अगर आप उनको पावर देना चाहते हैं तो उसको स्टेजेज में न रखिये। एक दम पूरा एक्सपेरिमेंट कीजिये। जिस तरह से कि सन् १९४७ में हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई थी जब कि देश का पार्टीशन हुआ और तरह तरह की दिक्कतें हमारे सामने आईं, लेकिन उन सब जिम्मेदारियों को हमारे लीडरों ने कामयाबी के साथ बरदाश्त किया। उसी विश्वास के साथ आप भी पब्लिक के ऊपर विश्वास कीजिये। जिस विश्वास के साथ लार्ड माउन्ट बेटेन ने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर विश्वास किया था यही समझ कर आप उनको एकदम पावर दीजिये स्टेज बाई स्टेज नहीं। आप पूरा डिसेन्ट्रलाइज कीजिये और कंट्रोल अपना रखिये बोर्ड के द्वारा। अगर आप यह देखते हैं कि आपका एक्सपैरिमेंट फेल होता है तो वह यकीनन हमारे लिये अफसोस की बात होगी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पार्टी कंसीडरेशन और अपने गुट के लोगों को पावर में रखने की खातिर यह कानून न बनाया जाय। इस तरह से आप इसको बनायें कि पब्लिक के हाथ में पावर जाय और वहां के लोग इसके ऊपर काम करें। आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिये कि अगर डाइरेक्ट एलेक्शन होगा तो उत्तर प्रदेश के ५२ जिलों में से कुछ में आपका कंट्रोल निकल जायगा और आपका नुकसान होगा या कहीं कम्युनिस्ट आ जायेंगे या पी० एस० पी० वाले आ जायेंगे या जनसंघ वाले आ जायेंगे और आपका नुकसान होगा, आप पब्लिक पर ट्रस्ट कीजिये। आपके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट है। आप भी उन पर ट्रस्ट कीजिये और उनको पावर दीजिये। यह बिल्कुल गलत है कि उनके ऊपर भरोसा न किया जाय और उनसे कहा जाय कि तुम भरोसा करो। इन सब बातों के ऊपर सेलेक्ट कमेटी में विचार किया जाय बस मेरी यही गुजारिश है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस बिल का स्वागत करता हूं। जो इस बिल के लाने की हिस्ट्री है उसके ऊपर हमें अच्छी तरह से विचार करना होगा। लगभग ३६ साल का अरसा हुआ जब देश के अन्दर विदेशी शासन था तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून सिद्धान्त रूप में आया था। इस लम्बे अरसे में देश के भीतर बहुत बड़े परिवर्तन हुए। जो उस समय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वह आजादी आने के बाद काफी बदल गई। इन पिछले सालों में यह नितान्त आवश्यक हो गया कि कुछ ऐसी संस्था इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्थान पर सोची जाय जो कि इस समय के अनुकूल हो और उन्हीं विचारों की तहत में एक नयी विचारधारा शुरू हो गयी। साथ ही साथ हमारे देश में हम लोगों ने जनतांत्रिक पद्धति द्वारा समाजवादी समाज की रचना का संकल्प किया। प्रदेश में भी ग्राम पंचायतों को इकाई मान कर पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतें बनायी गयीं और सारे देश को योजनाबद्ध कार्यक्रम बना कर उन्नत करने का विचार सामने आया। तो इन सभी विचारों की तहत में इस बात की भी आवश्यकता हुई कि नये विचारों पर भी सोचा जाय। आप उपाध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि जनतांत्रिक पद्धति को स्वीकार करने के बाद, समाजवादी समाज की रचना का संकल्प करने के बाद यह उस पद्धति की आवश्यकता मानी गयी कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाय। जब हमने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को मान कर प्रदेश में देखा तो ऐसा लगा कि प्रदेशीय स्तर पर एक सरकार जो जनता द्वारा चुनी हुई है, बनी हुई है और उसके सुपुर्द बहुत बड़े बड़े काम हैं। इसके साथ-साथ गांव के स्तर पर गांव पंचायत की एक छोटी सी इकाई है। उसकी सीमा सीमित है और उसके साधन भी सीमित हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार के स्तर के लिये बहुत छोटे हैं, लेकिन गांव पंचायत के साधनों को देखते हुए बहुत बड़े हैं। इसलिये यह सोचा गया कि इन दोनों के बीच में किसी एक ऐसी कड़ी का प्रादुर्भाव हो कि जो जनतांत्रिक पद्धति को सुचारुरूप से संचालित करे। जैसा आपको और सदन को मालूम है, इस समय यह विचार जनतंत्र के पोषकों के दिमाग में चल रहा था और मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है, बल्कि मुझे तो गर्व है कि यह प्रश्न हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द के दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि इस सदन के इसी सत्र के नहीं, सन् १९५२ से, जब से मैं आया हूं तब से उनके विचार सुनता आया हूं और उन्होंने कई बार इस सदन में इस बात का स्पष्टीकरण किया कि वह चाहते हैं कि प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया जाय। मगर उसकी रूपरेखा अब तक स्पष्ट नहीं हो पायी और हमने देखा कि इस विचार को नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल ने भी पकड़ा और उन्होंने इस तरह का विचार सरकारों को दिया कि वह इन लाइनों पर चल कर सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करें, यह जो प्रस्तुत बिल मंत्री जी द्वारा हमारे सामने आया है यह उन्हीं सब कठिनाइयों और इतिहास से प्रेरित होकर उनके हल के लिये हमारे सामने प्रस्तुत है।

इस बिल के अन्दर जब हम विचार करने चलते हैं तो देखते हैं कि वैसे तो मनुष्य निर्मित कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी कोशिश इस बात की की गयी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इस बात का समावेश हो कि जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय हर काम में, और साथ ही साथ विकास के कामों में लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाय।

अभी तक हमारे प्रदेश में जहां तक विकास के कार्यों को करने का तरीका है वह यह है कि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज गवर्नमेंट के जी० ओ० के अनुसार बनाई जाती हैं और उनका कार्य आप देखें कि कोई स्थायी नहीं है। तो इस बात को भी स्थायी करने के निमित्त उनका भी इसमें ख्याल रखेंगे और यह मानी हुई बात है कि इन्हीं सब थिंकिंग्स को सर्वे करने के लिए बलवन्तराय कमेटी भी बैठी थी जिसने देश के पैमाने के ऊपर अपने खयालात जाहिर किये हैं कि विकास के कामों के लिए तो ब्लाक के स्तर पर एक कमेटी का रहना जरूरी है, लेकिन प्रशासनिक सत्ता को चलाने के लिए उन्होंने भी यह रिकमेंडेशन अपनी की है कि जिले के स्तर

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

पर ही प्रशासनिक सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए एक किसी भी संस्था का रहना आवश्यक है, क्योंकि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण सिर्फ यही नहीं है जैसा कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यों में या यह कि किसी मास्टर को तबदील कर दिया जाय या कहीं छोटे-मोटे काम करने हों, बल्कि यह रूपरेखा तो एक आमूल परिवर्तन होगा और इसके अन्दर जो कि बहुत बड़े-बड़े काम विकास के हैं वे इसी कानून के द्वारा संचालित होंगे।

साथ ही साथ यह भी ऐलान किया गया है कि जब बीच की इकाइयां कुछ मजबूत हो जायं तो उनको प्रशासनिक ढंग से जैसे कप्तान पुलिस है, उसको भी जिला परिषद् के मातहत रख कर शासन चलाया जाय। यह लक्ष्य है दूर का। तो इतनी बड़ी-बड़ी ताकतों के देने का इस जिला परिषद् के अन्दर इस सरकार का मंशा है श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि अभी जो मेरे माननीय सदस्य एक आध साहब बोले, उन्होंने यह टीका की कि इस बिल के अन्दर विकेन्द्रीयकरण की कहीं गन्ध ही नहीं है, बल्कि हमारे गुप्त जी ने तो यह कहा कि यह बिल तो केन्द्रीयकरण का बिल है, विकेन्द्रीयकरण तो सत्ता का इस बिल से होता नहीं। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने पढ़ने की कोशिश की कि पता नहीं किस नियम से, धारा से यह अर्थ निकला कि इसमें सत्ता को केन्द्रित करने का प्रयास सरकार कर रही है। इसमें तो यह है कि जो भी कार्य होंगे उनके लिए दो प्रकार की जिला स्तर पर कमेटीज बनाने का सुझाव है। एक तो यह होगा कि कुछ सदस्य पंचायतों द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा जिले के स्तर पर चुनाव द्वारा आयेंगे, वह मिल कर एक जिला परिषद् बनायेंगे। जिला परिषद् बनने के बाद वह कार्य संचालन अपना करेंगे। साथ ही साथ वहीं पर उसका अपर हाउस कह लीजिये या और कोई कमेटी कह लीजिये, बराबर की एक विधायकों की कमेटी होगी जिसमें विधायक और चुने हुए परिषद् के लोग मिल करके अपने जिले की योजनाओं पर विचार करेंगे और तय करेंगे कि कौन सा पुल पहले नम्बर पर होना चाहिए, कौन सी सड़क का दूसरा नम्बर होना चाहिए। इस तरह से नियोजित तरीके से कार्य करने का उनको अवसर होगा। सरकार को उसमें कहीं अधिकार आम तौर पर नहीं है कि वह कमेटी या जिला परिषद् अपने जिले के प्लांस जो तय करे उसमें कोई गड़बड़ी करे या ऊपर से नियंत्रण करे। वे दोनों कमेटियां स्वेच्छापूर्ण होंगी। इस प्रकार से सरकार ने अपनी सत्ता निकाल करके कुछ सत्ता उन लोगों के हाथ में दी जो अभी तक ओवरलुक्ड थे और जो उन्हीं कार्यों को कर सकते थे जो प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्देशित होते थे। वे स्वयं स्वेच्छा से बैठकर अपने प्रश्नों को हल कर सकेंगे, उसकी उनको शक्ति मिलेगी। तो मैं इन विचारों के तहत में यह समझता हूं कि यह ज्यादती होगी अगर सिर्फ हलके तौर से कह दिया जाय कि इसमें तो विकेन्द्रीयकरण का नाम नहीं, बल्कि उल्टे केन्द्रीयकरण के लिये यह बिल है।

श्रीमन्, इस बात को सुन कर मुझे दुख हुआ। श्री जरगाम हैदर ने इस बात पर जोर दिया कि जो पंचायतों द्वारा चुनाव है वह गुप्त मंत्रणा है अपनी गुटबन्दी कायम करने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस तरह का लांछन सरकार पर लगाने जाते हैं तो उसके लिये कहीं पर न्यायसंगत युक्ति भी होनी आवश्यक है। इस बिल के अन्दर कहीं भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने वह गुप्त मंत्रणा रखी हो जिससे इन पंचायतों द्वारा चुनाव कराकर अपने गुट को कायम रखे। अगर मेरे मित्रों को याद हो, पिछली बार जब पंचायतों का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, बल्कि इस देश और प्रदेश के अन्दर जितनी पार्टियां हैं उन्होंने इस बात को मान लिया था कि हम इन पंचायतों के चुनाव में कोई दखल नहीं देंगे और न किसी ने दिया ही और उसके कारण वह चुनाव निष्पक्ष हुए अपने तरीके पर तो मैं नहीं समझता कि वह कौन-सा तरीका है, कौन-सा वह अधिकार है, कौन-सी वह गुप्त मंत्रणा है जिसके द्वारा सरकार इन पंचायतों के द्वारा चुनाव कराकर अपनी गुटबन्दी को कायम रखेगी। वह तो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और न किसी पार्टी से एफीलिएटेड हैं। जब चुनाव हो तो यह पार्टीज के ऊपर है कि वह अपनी बात को लेकर, अपने प्रोग्राम को लेकर उनको एप्रोच करें और कामयाब हों, किन्तु यह कहीं-कहीं है कि अगर किसी पंचायत का सभापति या पंचायत का सदस्य किसी एक पार्टी

को वोट देता है तो दूसरी पार्टी से अनुशासित हो जायगा। ऐसा उसमें कहीं नहीं है।

इसमें श्रीमन्, साफ साफ बातें रखी हुई हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं भी कबूल किया था कि अगर यह चुनाव डायरेक्ट हो सके, बालिग मताधिकार से तो वह बेहतर है और मैं भी उससे सहमत हूं, लेकिन उसके अन्दर एक सवाल उठ जाता है और वह सवाल पैसे का है। अगर डायरेक्ट चुनाव कराते हैं तो कई लाख रुपये खर्च होते हैं। मैं जहां तक समझा हूं उसमें डायरेक्ट चुनाव कराने में लगभग ६०, ६५ लाख रुपया खर्च होगा। तो यह भी सोचने की बात है। इसमें दो बातें हैं। एक तरफ यह कि इतने धन को खर्च करके डायरेक्ट चुनाव करायें अथवा कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाय और जनता की भावनाओं का भी समावेश हो जाय। आज विशेष कर जब कि प्रदेश खर्चे के भार से दबा हुआ है, एक-एक पैसा निकाल कर, अल्पबचत योजनायें चलाकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या हम उस लक्ष्य को रोकें और उसमें से ६०, ६५ लाख रुपया निकालकर, कटौती करके चुनाव पर खर्च करें अथवा इस पद्धति को अपनायें। ये दो प्रश्न हमारे सामने हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जो चुनाव होगा इण्डायरेक्ट तरीके से उसमें कांग्रेस की यह मंत्रणा है कि हम उन संस्थाओं पर हावी हो जायं। इस बात से स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने भी विचार बता दिये, मंत्री जी के भी विचार उनके सामने हैं तथा उनकी बातों का भी उत्तर दे दिया।

इसके साथ-ही साथ माननीय सदस्यों को जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकारों के बारे में बड़ा ऐतराज रहा मानो कि बड़ा भारी तूफान बरपा होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार हर जगह काबू पाने के लिये कोई न कोई औजार निकाल ही लेती है। उनकी बात सुनने के पश्चात् मुझको बड़ी तकलीफ हुई। मैंने उस अध्याय के एक-एक क्लाज को ढूंढ़-ढूंढ़ कर पढ़ा। मैंने सोचा अगर वाकई में ऐसे अधिकार उसको हैं तो यह तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप होगी। अगर जिला मैजिस्ट्रेट को यह सरकार इतना पावरफुल बना देगी कि वह चाहे जिस कार्यवाही को इनवेलिड कर दे तो वह अन्याय ही नहीं अंधेर की बात होगी, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ने के बाद यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि उसको ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि जिला मैजिस्ट्रेट चाहे जो कर डाले और जन प्रतिनिधि वैसे ही बैठे रहें। इसमें केवल यह है कि अगर परिषद् कोई प्रस्ताव या काम ऐसा करे जो विधान के अथवा गवर्नमेंट आर्डर्स के प्रतिकूल हो तभी उसको इस तरह का अधिकार दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, अगर आप ही इस पर फैसला देने बैठें तो इस बात को आप बिलकुल न्यायसंगत करेंगे और इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है। इन परिस्थितियों के साथ इस बिल को देखना चाहिये। अगर यह ख्याल रखा जायगा कि हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं और इस तरह से अगर कोई काम किया जायगा तो राष्ट्र मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है और पहले ही दलदल में फंसा रह जायगा। माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम रहें या न रहें, हमारी पार्टी यहां रहे या न रहे, लेकिन डेमोक्रेसी का जो एक सिद्धांत है वह अवश्य रहना चाहिये, वह शीशे की तरह चमकता रहना चाहिये, ८ अगस्त, १९५९ की याद दिलाता रहना चाहिये और जनता यह देखे कि विधान सभा ने इस प्रदेश की जनता को एक नया मार्ग दिखाया था। हमें इसी ऊंची भावना से इस सारी चीज को देखना चाहिये।

इसके बाद मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि इस बिल में काफी बातें ऐसी हैं जो शुद्ध जनतांत्रिक हैं। उनमें से दो एक बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और व्याख्या करना चाहता हूं।

एक सेक्शन इसमें सरकार की ओर से यह रखा गया है कि इस विधान सभा के सदस्य इस परिषद् के वोटिंग मेम्बर रहें या न रहें। सरकार न एक प्रावीजन किया है कि टाउन एरिया के रिप्रेजेण्टेटिव और गांव सभा के सदस्य, जिला कोआपरेटिव बैन्क के सभापति, इस तरह के लोगों को मिलाकर जिला परिषद् बनेगी और जो जिले के आफिसर होंग उनको

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

वोटिंग का तो अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे उसमें बैठ कर ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामले में उनको सलाह देते रहेंगे और इस तरह से जिला परिषद् स्वतंत्र रूप से अपना कार्य संचालन करती रहेंगी ।

श्रीमन् इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जो लोग प्रादेशिक स्तर पर या दिल्ली के स्तर पर प्लानिंग, कमीशन में बैठते हैं और बड़ी बड़ी नीतियां और योजनाएं देश के लिये बनाते हैं तो उनके भी सम्पर्क और उनके भी बिचारों से जिला परिषद् को फायदा होता रहे, इस सिद्धांत को लेकर इसमें यह प्रोविजन किया गया है । इस विधेयक में लिखा है कि पार्लियामेंट के सदस्य , कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य, अपर हाउस के सदस्य, विधान सभा के सदस्य और साथ ही साथ परिषद् के ऐसे सदस्य जो एलेक्टेड होंगे, सभी मिल कर एक बाड़ी बनायेंगे जिनको आप अपर हाउस कह सकते हैं या कुछ और नाम धर लें । वैसे सरकार ने तो इस बिल में उसका नाम प्लानिंग कमेटी रखा है । तो प्लानिंग कमेटी में बैठकर वे बड़ी-बड़ी नीतियां तय कर सकते हैं । साथ ही साथ उस प्लानिंग कमेटी को यह अधिकार है, वे मास्टरों के ट्रांसफर्स में तो कोई दखल नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़े बड़े सिद्धांत होंगे, जो जगह-जगह काम हो रहे होंगे,उन पर नियंत्रण अवश्य रख सकती है कि कहां पर काम पूरा हुआ और कहां पर काम पूरा नहीं हुआ है । साथ ही साथ यह भी कि क्या कहां पर जरूरत है । मैं सदन के सामने निःसंकोच कहता हूं कि जिला परिषद् में मेम्बर रहते हुए अपने वोटिंग के अधिकार को छोड़ते हुए मुझे थोड़ा खलता जरूर है, लेकिन अगर हम उस उच्च सिद्धांत को सामने रखें जो कि हम प्रिवेल करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बिल में अपनी जगह पर जो सिद्धांत है वह बहुत ही उच्च सिद्धांत है , लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं इस बात को बहुत ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि यह इश्यू बहुत ही डेलिकेट इश्यू है , क्योंकि यह मेम्बरों के अधिकार के छीने जाने का सवाल है । ऐसी हालत मेरे एक साथी ने जो अभी मेरे ऊपर रिमार्क किया है, मैं भी चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में जब यह विधेयक जाय तो इस डेलिकेट इश्यू पर भी वहां अवश्य बिचार हो और बिचार करने के बाद जो नीति वे निर्धारित करेंगे वह तो हम सब को मान्य होगी ही । तो इस पर इस सदन में ज्यादा बहस के कंट्रोडिक्शन की गुंजायश नहीं है ।

साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल में अध्यक्ष की उम्र की एक लिमिट रखी है । उन्होंने यह रखा है कि जो जिला परिषद् का अध्यक्ष होगा उसके लिये यह जरुरी है कि वह ३५ साल की उम्र का हो । इस पर मुझे एतराज है और माननीय मंत्री जी से मुझे यह प्रार्थना करनी है कि यह जो उम्र का बन्धन है उसमें थोड़ी और ढिलाई होनी चाहिए । मैं यह चाहता हूं कि २५ साल का कोई बालिग व्यक्ति जिसका दिमाग सही हो, और सारी कंडिशंस को पूरा करता हो संविधान के अनुकूल उसे जिला परिषद् का अध्यक्ष होना चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब विधान सभा के सदस्य इसी उम्र के यहां बैठ कर कानून बनाते हैं और बड़ी बड़ी नीतियां तय कर सकते हैं तो फिर उसी के लिये यह रुकावट क्यों हो ? मैं ही यहां २५ साल की उम्र में एलेक्ट होकर आया था । हम यहां बैठकर कानून बनाते हैं और इसके मातहत जिला परिषद् के लोग काम करेंगे और अध्यक्ष भी काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि अध्यक्ष को हम वाध्य कर दें कि वह ३५ साल से कम का होगा तो नहीं हो सकेगा। अगर करना ही है तो कम से कम आयु २५ साल की कर दी जाय, परन्तु यदि हमारी यह बात भी न मानी जाय तो मैं थोड़ा और झुकने को तैयार हूं वह कम से कम आयु ३० वर्ष कर दी जाय, इसमें मुझे कोई एतराज न होगा । इस प्राविजन को करने से जहां पर विकेन्द्रीयकरण का ऊंचा सिद्धान्त है वहां पर यह सिद्धांत भी है कि अगर आप नवयुवकों को जिम्मेदारियां देकर अभी से ट्रेण्ड न करेंगे, उनको इस योग्य नहीं बनायेंगे कि जब आप बूढे हों या रिटायर हों तो आप की जगह वे लें । इस लिये जरूरी है कि आप उनके लिये अभी से बरबाजा

सोलें, वर्ना अगर आप की ही उम्र के लोग वहां भी रहे तो नवयुवकों को कोई ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये मैंने सदन का ध्यान दिला दिया, अधिक कहूंगा तो उपाध्यक्ष महोदया आप अपना नियंत्रण लगा देंगी इस कारण अब अधिक इस चीज को रिपीट न करूंगा।

साथ ही साथ मैं समझता हूं कि यह बात बिलकुल वाजिब है कि अगर कोई सदस्य या कोई अध्यक्ष साढ़े ७ साल की अवधि तक एक ही सिलसिले में मेम्बर है या अध्यक्ष है तो उसको आगे फिर चुने जाने से रोका जाय। यह बिलकुल उचित बात है और जो प्राविजन किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

मैंने कोई ऐसी बात नहीं कहीं है कि जो किसी के विचारों के प्रतिकूल हो। मैंने एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि जिसकी तरफ सब का ध्यान जाना चाहिये। जहां तक जिलाधीश के अधिकारों का प्रश्न है उसके निरीक्षण और कार्यवाहियों को देखने के संबंध में, मैं समझता हूं कि अगर विधान सभा के सदस्यों को प्लानिंग कमेटी का सदस्य रखा जाता है, अगर यह सिद्धान्त सिलेक्ट कमेटी तय कर दे तो मैं चाहूंगा कि विधान सभा के सदस्यों को भी यह अधिकार अवश्य रहे कि वह वहां की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सके। अगर इस विधेयक में ऐसा प्राविजन हो जाय तो हमारे लिये सेटिस्फैक्टरी होगा।

यह बात भी उचित ही मालूम होती है कि सरकार का कम से कम सीधा दखल जिला परिषदों में रहे और इसीलिये इस विधेयक में जो प्राविजन है कि कोई भी प्लानिंग की कार्यवाही जिला परिषद् तथा सरकार के बीच कमिश्नर के माध्यम के द्वारा ही सम्पादित होगी। इस बात से ऐसी आशंका कम होती है कि इनमें जिलाधीश का सीधा इण्टरफीयरेन्स रहेगा। मैं समझता हूं यह बात काफी उचित है।

अन्त में मैं मुग्ध हो जाता हूं यह देख कर कि सरकार काफी दूर तक सत्ता को अपने हाथ से देने को तैयार है और उसकी दिली मंशा है कि जिला परिषद् और गांव पंचायतें काफी विकसित हों और डेमोक्रेसी का जो अन्तिम सिद्धांत है वहां तक पहुंच जायं।

श्रीमन्, जाहिर है कि सरकार ने जिला परिषद् को जो टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं, वह ऐसे ऐसे टैक्स लगाने के अधिकार दिये जा रहे हैं जो अभी तक राज्य विधान मंडल द्वारा लगाये जाते हैं। साथ ही साथ विकास के कामों के लिये सरकार ने प्रावीजन रखा है कि जिला परिषद् बाजार में ऋण उगाह सके। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इस सरकार के लिये होगा। अभी तक स्टेट लेविल पर सरकार को अधिकार है कि वह विकास के लिये ऋण जनता से इन-वाइट करे, लेकिन अब यह अधिकार जिला परिषद को देने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह काफी क्रांतिकारी कदम है और जिलों का विकास करने का उन्हें काफी मौका मिलेगा। वह जनता से रुपया कर्ज लेकर अपने बड़े-बड़े कामों की पूर्ति कर सकते हैं। मैं इन सारी बातों की तहत में जो कि स्पष्ट हैं, अपनी सहमति इस बिल के लिये देता हूं और चाहता हूं कि यह बिल शीघ्र ही इस सदन से पास हो जाय। इसीलिये मैंने अपना संशोधन दिया था। मैं चाहता हूं कि जो शिकायत मेरे माननीय मित्रों ने की कि यह सरकार ६-८-९-१० साल तक टाइम बढ़ाकर चुनाव नहीं कराना चाहती है, वह शिकायतें न रहें। मैं इस प्रस्ताव द्वारा संयुक्त सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ उसमें यह भी निर्दिष्ट किया जाय कि १५ अक्तूबर तक उस सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य मेहनत करके अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत कर दें ताकि दिसम्बर तक यह बिल सदन से पास हो जाय। यही मेरा खास मकसद था संशोधन देने का।

साथ ही साथ श्रीमन् सिलेक्ट कमेटी में इसलिये भी जाना जरूरी है कि हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, क्योंकि कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती कि वह गलती नहीं करती। अगर कहती है तो गलत बात है। इसलिये जो कमियां हों, वह सिलेक्ट कमेटी में हमारे माननीय सदस्य उन पर विचार कर सकेंगे और उनको वहां मौका होगा। दोनों सदनों

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

की कमेटी का प्रस्ताव मैं इसलिये कर रहा हूं कि इसके पास होने में जल्दी हो जाय। वरना यहां की सिलेक्ट कमेटी बनेगी, उसमें समय लगेगा। उसके बाद यह बिल अपर हाउस में जायेगा वहां सिलेक्ट कमेटी बनेगी वहां भी समय लगेगा। मान लीजिये कि फिर उन्होंने कोई अमेंडमेंट किया तो फिर उसमें भी वक्त लगेगा। फिर वही शिकायत रह जायगी कि यह सरकार देर करती है और कानून को पास नहीं करना चाहती, चुनाव नहीं कराना चाहती, यद्यपि सरकार का यह मंशा है कि देर न हो, लेकिन देर इसलिये हुई कि डेमोक्रेसी के सिद्धांतों पर इस बिल को लाने में उसका स्पष्ट नक्शा बनाने में, आमूल परिवर्तन करने में समय लगना आवश्यक था। मैं समझता हूं जो देर हुई चुनाव कराने में वह वाजिब हुई। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मंत्री जी के प्रस्ताव का अपने संशोधन के साथ अनुमोदन करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विधेयक पर मेरा स्वयं एक प्रस्ताव था, परन्तु उसे पेश न करके माननीय नन्द राम जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक तीन सप्ताह के लिये जनमत संग्रह के लिये वितरित किया जाय मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके कुछ कारण हैं जिनसे मैं इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजने के पक्ष में हूं। सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ३० जुलाई को यह विधेयक हमारी मेज पर रखा गया। आज ५ अगस्त है और जहां तक मैंने अपने प्रांत के राजनीतिक विचार प्रकट करने वाले समाचार-पत्रों को देखा है अब तक किसी समाचार पत्र की टिप्पणी इस विधेयक पर नहीं हुई। मैं इस बात को मानता हूं कि जनमत तैयार करने में प्रांत के समाचार पत्रों का एक मुख्य भाग होता है और इस विधेयक के संबंध में वे अभी अपने उस कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर सके हैं। इसलिये जरूरत है कि जब यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सामने आवे तब उससे पहले इस पर जनमत संग्रह हो जाय। इस विधेयक को जनता के समझने की जरूरत है और उनके विचारों के हमारे सामने आने की जरूरत है, ताकि जब हम लोग विचार करें तो जनता के विचारों के आधार पर इसमें अपने सुझाव पेश कर सकें। एक और भी कारण है। मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया कि कब तक संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आवे। मैं इसीलिये चाहता हूं कम से कम ३ सप्ताह का समय जनमत-संग्रह के लिये रखा जाय। प्रत्येक विधेयक पर अगर कोई भी समय निर्धारित न हो तब भी तीन महीने के अन्दर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ ही जानी चाहिये। मंत्री जी ने यह कोई समय निर्धारित नहीं किया है इससे प्रकट होता है कि वे तीन मास तक का समय प्रवर समिति को देना चाहते हैं मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि संयुक्त प्रवर समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे, लेकिन उससे पहले जनमत संग्रह के लिये यह विधेयक तीन सप्ताह के लिये वितरित अवश्य किया जाय। इतनी बात प्रस्ताव के संबंध में कहने के पश्चात् विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मंत्री जी ने सबसे पहले अपना भाषण आरम्भ करते हुए अगस्त मास की चर्चा की थी कि यह बड़ा पवित्र और महत्तव का महीना है। इसी महीने में हमारे नेता महात्मा गांधी ने "करो या मरो" का नारा लगा कर १९४२ में आन्दोलन शुरू किया था और इसी अगस्त मास में १५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ करके चले गये। महात्मा गांधी ने जो आन्दोलन शुरू किया था वह सफल हुआ। मैं मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि जिन पवित्र भावनाओं का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि वह विकेंद्रीयकरण की भावना से, समाजवादी समाज के बनाने की भावना से यह विधेयक सदन के सामने पेश कर रहे हैं, मैं चाहूंगा उनकी वह भावना पूरी हो और जैसे कि अगस्त में आरम्भ किया हुआ आन्दोलन, हमारी आजादी की आखिरी लड़ाई अगस्त मासमें ही पूरी हुई उसी प्रकार हमारे मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो विकेंद्रीय-करण की भावना आज वे प्रकट कर रहे हैं वे उसे सफलीभूत करने में प्रयत्नशील रहेंगे।

हमारे सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने मंत्री जी को इस विधेयक के उपस्थित करने के लिये बधाई दी है। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी मंत्री जी को बधाई दूं, परन्तु किस बात के लिये बधाई दूं? मेरा अपना विचार यह है कि हमको आजादी मिलने के बाद जो सबसे पहला प्रांतीय सरकार का कदम होना चाहिये था वह विकेंद्री करण की ओर होता। जो विधेयक १२ वर्ष के बाद आज उपस्थित हो रहा है उसे आज से वर्षों पहले उपस्थित होना चाहिये था। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये मैं बधाई दूं कि यह विधेयक १२ वर्ष तक सरकार के गर्भ में रहा या इस बात के लिये बधाई दूं कि आज २ वर्ष हुए जब प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग किया गया और चुनाव कराने की आशा पर आशा दिलाई गई, एक अन्तरिम परिषद् बनाई गयी और आज दो वर्ष के बाद यह विधेयक सदन के सामने लाया जा रहा है? क्या मैं इस बात के लिये मंत्री जी को बधाई दूं कि आज से २० वर्ष पहले खेर कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उनमें से एक भी विकेंद्रीयकरण की ओर बढ़ने वाली या समाजवादी समाज की व्यवस्था करने वाली सिफारिश को माननीय मंत्री जी ने इसमें सम्मिलित नहीं किया। लेकिन मैं बार-बार सोचता हूं कि मंत्री जी का इसमें उतना दोष नहीं है जितना कि हमारी सरकार की मंदगति का है जिसका यह परिणाम है। इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने प्रयत्न करके जो कुछ भी जल्दी से जल्दी इस विधेयक को सदन के सामने रखा है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं हो।

मंत्री जी ने एक बात कही जिससे उन्होंने आशंका होती है। उन्होंने आज इस विधेयक को पेश करते हुए पंचायत राज विधेयक का हवाला दिया जो आज से कई वर्ष पहले सदन के सामने आया और स्वीकृत हुआ। उस विधेयक के बारे में मंत्री जी ने ऐसा कहा कि वह विकेंद्रीय-करण की ओर पहला कदम था। मुझे डर है कि यदि यह भी कदम विकेंद्रीयकरण की ओर उसी प्रकार का है तो हमारे प्रांत का, जिलों का और जिला परिषदों का भगवान ही मालिक है। पंचायत राज विभाग के द्वारा आज से कई वर्ष पहले जो ग्राम सभायें, ग्राम पंचायतें बनाई गयीं उनके काम, ढंग और तथाकथित विकेंद्रीयकरण से जो लाभ लोगों को हुआ उसको जब मैं देखता हूं तो मुझे रोना आता है। मैं आज भी देखता हूं बावजूद इसके कि ८-९ वर्ष इन ग्राम सभाओं को स्थापित हुए हो चुके, इन ग्राम सभाओं के सभापतियों तथा सदस्यों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी है या नहीं, उनमें कोई राजनीतिक जागरण हुआ है या नहीं, वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में आज समर्थ हैं या नहीं तो मैं पाता हूं कि आज भी ग्राम का प्रत्येक निवासी उससे कहीं ज्यादा खतरे में है जितना कि वह पंचायत राज ऐक्ट बनने के पहले था और आज उसकी उससे भी ज्यादा बदतर हालत है। प्रत्येक दृष्टि से, चाहे वह सामाजिक दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि हो अथवा राजनीतिक दृष्टि हो। साधारण ग्राम निवासी को जाने दीजिये, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के प्रधान और पंचायती अदालत के सदस्य और सरपंच तक को मैं देखता हूं कि वे आज भी लेखपाल, पुलिस के सिपाही, पतरौल और ग्राम में काम करने वाले अध्यापक के रहम पर उसी प्रकार जीवित हैं जैसे आज से दस वर्ष पहले थे। उनके आदर्श, ढंग और स्तर में कोई अन्तर नहीं आया। आज भी एक बड़े से बड़े प्रतिष्ठित ग्राम के प्रधान को जो ग्राम सभा में सब से ऊंचा दर्जा रखता है एक पुलिस का सिपाही उसी प्रकार जलील और परेशान कर सकता है, उससे रिश्वत ले सकता है जैसे आज से दस वर्ष पहले होता था। ऐसे विकेंद्रीयकरण से कोई लाभ नहीं जिससे हमारा स्तर ऊंचा न हो। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि आपने जो भी विकेंद्रीकरण अबतक किया उससे जनता के स्तर में कोई भी तब्दीली नहीं आयी और हम जहां के तहां रहे, जो नौकरशाही के पुर्जे जनता के साथ व्यवहार करते थे और जनता के सीधे सम्पर्क में आते थे आज उनके अन्दर भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में पिछले ८-१० वर्षों में बढ़ गया है। यदि इसी प्रकार का विकेंद्रीकरण लाने की इस विधेयक की मंशा है तो मैं समझता हूं कि हमारे जिले जैसे आज चल रहे हैं वैसे ही इस विकेंद्रीकरण के बाद भी चलते रहेंगे। मान्यवर, आज भी सरकारी कर्म-चारी जिस प्रकार ग्रामों के निवासियों का एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं, आज भी जिस प्रकार सूदखोर व्यहरे और ग्रामों में बसने वाले गुंडे ग्रामीण जनता को परेशान कर रहे हैं जबतक उसमें

[श्री देवनारायण भारतीय]

कोई तब्दीली नहीं आती तब तक मैं समझता हूं कि आपका विकेंद्रीकरण दूषित है। मैं इस संबंध में, श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामों का संगठन पिछले हजार वर्षों में बिगड़ते बिगड़ते आज भी जिस अंश में रह गया है वह इस बात को प्रमाणित करता है कि कहां तक हमारे ग्रामों में सहकारिता थी, पारस्परिक सहयोग था, कहां तक हम लोग एक दूसरे के हित में अपने हित को कुर्बान करना जानते थे। जहां तक सहकारिता का प्रश्न है आज भी हमारे गांवों में कहीं कहीं पर यद्यपि उसमें कुछ भ्रष्टता आ गयी है, यह देखने को मिलेगा कि नाई, तेली, बढ़ई, धुनहे, जुलाहे इत्यादि जो खेती से भिन्न रोजगार करने वाले थे उनको वे लोग जो खेती करके अन्न पैदा करते थे वे अपनी पैदावार का कुछ भाग खरियक के रूप में दिया करते थे और उसी से उन लोगों का गुजर होता था। क्या सहकारिता की भावना इससे बढ़ कर कहीं और मिल सकती है? सहकारिता जिसकी दुहाई आज सब से अधिक कांग्रेस और उसकी सरकार की ओर से दी जा रही है यदि हमारी पुरानी बातों की ओर वह ध्यान दें और उनका अध्ययन तथा रिसर्च करायें और आज भी जो पुराने संस्कार हमारे गांवों में शेष रह गये हैं उनको जीवित रखने का यदि प्रयत्न करें तो विकेंद्रीकरण और समाजवादी समाज की व्यवस्था की ओर हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि बीच में हमारे देश में जो मुस्लिम राज्य हुआ उसमें हमारी ग्रामीण संस्थाओं का उत्तरोत्तर नाश हुआ और बहुत सी बुराइयां पैदा हुई परन्तु फिर भी एक हजार वर्ष बीत जाने पर भी हमारे ग्रामों में वही भावनायें आज भी बाकी रह गई हैं। यदि किसी पड़ोसी के यहां मृत्यु हो जाती है तो सारे गांव में चूल्हा नहीं जलता है। प्रत्येक व्यक्ति हर परिवार की स्त्री से मां, बहिन, चाची, पुत्री आदि का संबंध रखता है परन्तु पंचायत राज्य ऐक्ट बनने के बाद से इन भावनाओं का नाश हो रहा है और दिन प्रति दिन उपरोक्त सद्भावनायें ह्रास को प्राप्त होती जा रही हैं।

श्रीमन्, मैं अंग्रेजी शासन काल की स्वायत शासन की संस्थाओं का जिक्र करना चाहता हूं। मारले मिन्टो स्कीम १९०८ में लागू की गई। उसके मातहत हमारे जिला बोर्ड स्थापित हुए परन्तु तब उनके सदस्य जिलाधीश द्वारा मनोनीत हुआ करते थे। इसके बाद १९१९ में मौन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार स्कीम द्वारा हमारे वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का निर्माण हुआ और इसके अलावा प्रांतीय कौंसिलों का भी निर्माण हुआ। १९२१ में प्रांतीय कौंसिल द्वारा पहला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बना तथा १९२२ में यद्यपि मताधिकार बहुत सीमित था डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का पहला चुनाव जनता द्वारा किया गया। इसके बाद हर तीसरे साल यानी १९२५, १९२८ तथा १९३१ में चुनाव होते रहे। १९३५ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में फिर कुछ सुधार हुए। लेकिन १९३५ के बाद एक ऐसा वातावरण फैला, हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, एक यह भी बात थी दूसरे यह कि हमारी तत्कालीन सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी। इसलिये अगला चुनाव १९४८ में जाकर हुआ जब कि हम स्वाधीन हो चुके थे, अंग्रेज हमारे देश से जा चुके थे। लेकिन मुझे दुःख है कि आज ११ वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इस विधेयक पर विचार ही कर रहे हैं और इस बीच में कोई भी दूसरा चुनाव सरकार नहीं करा सकी। मंत्री जी ने बड़ी सद्भावना प्रगट की। उन्होंने कहा कि हम नहीं रहेंगे, सदन के सभी सदस्य बदल जायेंगे लेकिन शताब्दियों तक यह विधेयक बना रहेगा। मुझे डर है इस बात के कहने में कि मंत्री जी ने जिन सद्भावनाओं को प्रदर्शित किया है, उनके मातहत जो तब्दीलियां इस विधेयक द्वारा आनी चाहियें थीं, उनका समावेश भी आज हम इस विधेयक में नहीं देख रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि मंत्री जी का ध्यान अधिकतर इस ओर रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी सत्ता बनी रहे। इस विधेयक के द्वारा विकेंद्रीकरण हो इसकी तरफ मंत्री जी ने उतना ध्यान नहीं दिया जितनी हम आशा करते थे।

मैं एक बात और इस संबंध में कहना चाहता हूं कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त था कि मैं खेर कमेटी का एक सदस्य था और आज से २०, २२ साल पहले जो इस कमेटी ने सिफारिशें की थीं उनका भी समावेश इस विधेयक में नहीं है। जिन सुधारों के लिये आज से २१ वर्ष

पहले १९३८ में हम जोर दे सकते थे, जब कि हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज हमारी आजादी को १२ वर्ष बीत गये हैं आज भी हमारे मंत्री जी—अगर मैं मंत्री जी को निर्दोष भी कह दूं, तो प्रान्तीय सरकार की दृष्टि में हमारी जिले की जनता इस योग्य नहीं हो पाई है कि वह अपने जिला का प्रबन्ध अपने आप कर सके, अपने जिले की पुलिस और दूसरी संस्थाओं का संचालन कर सके। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि खेर कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि पुलिस परिषद् के आधीन रक्खी जाय। परन्तु आज मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमने अभी पुलिस और दूसरे विभागों को जिला परिषद् के मातहत नहीं किया है। मंत्री जी ने यह कहा कि हम धीरे-धीरे आगे चल कर इन बातों पर विचार करेंगे और जैसे-जैसे जिला परिषद् के सदस्य योग्यता प्राप्त करते जायंगे उसी आधार पर आगे हम इन अधिकारों को देंगे। यही तो दलील है जो अंग्रेज हिन्दुस्तान को आजादी न देने के लिये पेश किया करते थे। सन् १८५७ से जब से, हमारी आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तब से १५ अगस्त, १९४७ तक क्या अंग्रेज ने यही नहीं कहा जो आज आप कह रहे हैं? हम आशा करते थे कि माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा विकेन्द्रीकरण का सूत्रपात्र हमारे जिलों में होता लेकिन हमें यह दुःख है कि उन जैसे महान् व्यक्ति के इस पद पर होते हुए भी हमको आज विकेन्द्रीकरण का मखौल देखने को मिल रहा है।

श्रीमन्, विकेन्द्रीकरण तब होता जब आप सीधा चुनाव कराते। मेरे पूर्व वक्ता विशेषकर माननीय नन्दराम जी ने जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया था सीधे चुनाव के बारे में बहुत-सी बातें कही हैं। जब तक बालिग मताधिकार के अनुसार जनता के चुने हुए व्यक्ति जिला परिषद् के सदस्य नहीं होंगे और जब तक कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा चुने हुए व्यक्ति आपकी जिला परिषद् के सदस्य होंगे तब तक मैं इसे विकेन्द्रीकरण नहीं कह सकता। मैं इसे एकीकरण कहता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जिला परिषद् में अपने अधिकारी वर्ग को पदेन सदस्य रखा है। मैं विकेन्द्रीकरण तब मानता जब आज प्रान्त में इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजंस, और इंस्पेक्टर जनरल आफ हास्पिटल्स इत्यादि हर विभाग के प्रमुख अधिकारी जिस प्रकार प्रान्तीय मंत्रिमंडल के अधीन हैं उसी प्रकार जो जिले का मंत्रिमंडल बने, जिले के प्रत्येक विभाग का प्रमुख अधिकारी उस मंत्रिमंडल के अधीन होता। लेकिन आप पदेन सदस्य बना रहे हैं अधिकारियों को। आप विधान सभा के सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वे परिषद् के सदस्य नहीं होंगे। मैं अपने जिले के अनुभव के आधार पर आप से कहना चाहता हूं कि सन् १९२२ से मैं प्रायः डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य रहा हूं। मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एजूकेशन कमेटी का चेयरमैन होने का भी सौभाग्य प्राप्त है और मैं इस समय भी परिषद् का पदेन सदस्य हूं। मैं यह कह सकता हूं कि जिले के अधिकारियों को यदि आप परिषद् में बोलने का बैठने का अधिकार देना चाहें और वहां के स्थानीय विधायकों को वह अधिकार नहीं देते तो मुझे सन्देह होता है सरकार की नीयत पर कि सरकार चाहती यह है कि इस नौकरशाही के द्वारा एक डंडा सदस्यों की खोपड़ी पर लटकता रहे जिससे कि एक शब्द भी उनके मुंह से सरकार की मर्जी के खिलाफ न निकल सके। मैं यह अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किसी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। मैं देखता हूं कि आज जब जिलाधीश अन्तरिम परिषद् में सभापति की कुर्सी पर बैठता है और जिले के अन्य सभी अधिकारी उस कमेटी में सदस्य की हैसियत से बैठते हैं यद्यपि वे अपनी राय आज भी नहीं दे सकते परन्तु जो देहात से ग्राम सभाओं के सभापति चुनकर के परिषद् में आते हैं या विधायकों के अलावा और जो भी सदस्य हमारी अन्तरिम परिषद् के हैं, वे अधिकारी वर्ग का मुंह ताका करते हैं कि हम किधर हाथ उठायें और किधर न उठायें। यह मैं नित्यप्रति देखता हूं। मैं कैसे इस बात को मान लूं कि आपकी नियत साफ़ है जबकि आप अधिकारी वर्ग को तो पदेन सदस्य की हैसियत से परिषद् में रखना चाहते हैं और विधायकों को उस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह आपकी विकेन्द्रीकरण की नीति नहीं है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर आप इस परिषदों को पूर्णरूप से स्वाधीन और सर्वाधिकार सम्पन्न बना दें। वह पैसे के लिए प्रान्तीय सरकार का मुंह ताकने के लिए मजबूर न

[श्री देवनारायण भारतीय]

हों। बल्कि उनका स्वयं का कोष हो, उनके पास स्वयं की शक्ति हो जिसके बल पर वे अपने जिले का शासन चलावें लेकिन आप खजाने को तो हाथ लगाने नहीं देना चाहते और मालिक जिला परिषद् को कर देना चाहते हैं, मैं आप की इस नीति का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं और न मैं इसको विकेन्द्रीकरण की नीति मानता हूं। मैं तो इसको तब ठीक मानता कि जब माननीय गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में जो कमेटी आप ने बनायी थी, उस कमेटी ने जो सिफारिश की है कि प्रान्तीय सरकार का जो राजस्व है, उसका २५ प्रतिशत आप जिला परिषदों को दीजिए, उसका २५ प्रतिशत आप प्रान्त भर में फैली इन ग्राम-सभाओं को दीजिए उस सिफारिश को आप स्वीकार कर लेते। तब तो यह ग्राम-सभायें वास्तविक ग्राम सभायें बनेंगी और तभी आपके ये जिला परिषद् वास्तविक जिला परिषद् बनेंगे। आप पैसा देना नहीं चाहते और इनडाइरेक्ट एलेक्शन के आधार पर उनका संगठन करना चाहते हैं, तो मैं श्रीमन्, सरकार की नीयत पर सन्देह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह काम अच्छा नहीं है नीयत पर सन्देह करने, का लेकिन आप करते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं श्रीमन्, विकेन्द्रीकरण की दोहाई देने वाली प्रान्तीय सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि वास्तव में उत्तर प्रदेश में दिन प्रति दिन और दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने वाले भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो जिले के निम्न हैसियत के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका नियंत्रण, उनकी बरखास्तगी, उनसे जवाब लेना उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेना इन सब का अधिकार आप जिला परिषद् को दीजिए और जहां तक ग्राम-सभाओं का सम्बन्ध है आप ग्राम-सभाओं को दीजिए। उनके सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों को उनके अधीन कीजिए। लेखपाल, ग्राम सभाओं के मंत्री, गांव में काम करने वाले पतरौल, चौकीदार और पुलिस का सिपाही जब तक उनके नियंत्रण का अधिकार आप ग्राम सभाओं को नहीं देते जब तक इनकी नियुक्ति, बरखास्तगी का अधिकार आप ग्राम सभाओं को नहीं देते तब तक मैं नहीं मानता कि आपने विकेन्द्रीकरण किया है। और मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा और उस भ्रष्टाचार का कलंक सत्ताधारी पार्टी के सिर पर जायगा और वह उससे दूर नहीं होगा। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जिला परिषद् का प्रश्न है जब तक जिलों में काम करने वाले प्रत्येक विभाग के कर्मचारी के सम्बन्ध में आप यह अधिकार जिला परिषद् को नहीं देते कि जिला परिषद् उनका सेलेक्शन करे और उनकी नियुक्ति करे, उनसे जवाब तलब करे और जरूरत पड़ने पर उनको डिसमिस तक करे तब तक मैं नहीं समझता कि जिले के स्तर पर भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि विकेन्द्रीकरण की भावना से इस विधेयक को बनाया जा रहा है।

श्रीमन्, हम बहुत पहले से मांग करते आये है कि सरकार जिलाधीश और कमिश्नरों के पदों को हटा दे। इनकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। यह पद अंग्रेजी सरकार ने हमारी गुलामी की जंजीरों को मजबूत करने के लिये रखे थे और ये हमको गुलाम बनाने के लिये रखे गये थे कि हम आजादी की बात न सोच सकें। इसलिये जिलाधीश एक ऐसी शक्ति जिले में कायम कर दी गई थी कि जिसके बल पर सारा जिला न चता रहे और सरकार जैसे चाहे वैसा उस जिले का संचालन करे। आज जब आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और शक्ति को जिले में बांटना चाहते हैं और ग्रामों में भी बांटना चाहते हैं तब फिर भी जिलाधीश को कायम रखना क्यों चाहते हैं। इसलिये जैसा मैंने कहा मैं मजबूर हूं—माननीय उपाध्यक्ष, के एतराज करने पर भी—कि सरकार की नीयत पर सन्देह करूं। यह सरकार विकेन्द्रीकरण नहीं चाहती है। मैं यह जरूरी समझता हूं कि सरकार पहले एक ऐसा स्टैन्डर्ड तय कर ले कि २०० रुपये के ऊपर जितने कर्मचारी होंगे वह पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुने जांयगे। उन पर भी मैं नहीं चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार का कोई अधिकार हो। मैं नहीं चाहता कि कमिश्नर या जिलाधीश

का कोई अधिकार हो। मैं चाहता हूं कि २०० रुपया या २५० रुपया या कोई भी स्तर निश्चित कर लिया जाय कि उससे नीचे के जितने कर्मचारी जिले में हों, चाहे वह पुलिस में हों, चाहे अस्पताल से सम्बन्ध रखते हों, चाहे नहर विभाग के हों, चाहे किसी भी विभाग के हों उन सब की नियुक्ति जिला परिषद् करेगी और उसको ही बरखास्त करने का अधिकार होगा। यदि आप विकेन्द्रीकरण की भावना से इस विधेयक को लाये हैं तो जिला परिषद् को पूरा अधिकार दीजिये। तब आप देखेंगे कि यह भ्रष्टाचार का कलंक जो आज रोके नहीं रुक रहा है, जिनके लिये कमेटी पर कमेटी बिठाई जाती है और जिसके आधार पर नित्यप्रति अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के ऊपर आता है, जिसके लिये यहां पर काम रोको प्रस्ताव आते हैं वह भ्रष्टाचार कितनी शीघ्रता से दूर होता है, जैसे मानों भ्रष्टाचार देश में था ही नहीं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप नेकनीयती से विकेन्द्रीकरण की भावना को लेकर समाजवादी समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से आप इस विधेयक को लाये हैं कि इसमें सुधार करें।

मैं श्रीमन्, यह चाहता हूं कि यदि आप विकेन्द्रीकरण की भावना से इस विधेयक को ला रहे हैं तो जिला परिषद् को अधिकार दीजिये कि अपनी आवश्यकता के अनुसार वह अपना कानून बना सके। प्रान्तीय विधान सभा को क्यों आप इस बोझ से हलका नहीं करना चाहते हैं कि यहां पर ग्राम सभाओं के बारे में कानून बनाये जायं, यहां पर जिला बोर्ड के बारे में कानून बनाये जायं और जिला संचालन के बारे में कानून बनाये जांय। मैं चाहता हूं कि यदि आप विकेन्द्रीकरण की भावना इसमें लाना चाहते हैं तो सब से पहले जिले के स्तर पर जिले के नीचे जितनी संस्थायें हैं उनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार आप जिला परिषद् को दीजिये। जिला परिषद् को स्वतन्त्र किया जाय। प्रान्तीय सरकार यह अधिकार अपने लिये रिजर्व रखे कि किसी कानून के द्वारा यदि संविधान की अवहेलना जिला परिषद् द्वारा होती हो जो प्रान्तीय सरकार की सम्मति में अनुचित हो तो प्रान्तीय सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है मैं श्रीमन्, समझता हूं और मैंने इस पर बहुत विचार किया है और सरकार को बहुत नेकनीयती से सुझाव देना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार को जिला परिषद् पर उतना अधिकार रहे जितना केन्द्रीय सरकार का प्रादेशिक सरकार पर है। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार हमारे नित्यप्रति के व्यवहार में, हमारे कानून बनाने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि हम एक मर्यादा का उल्लंघन न करें, जैसा कि केरल में हुआ। कहा जाता है, तब तक केन्द्रीय सरकार संविधान द्वारा वर्जित है कि हमारे कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आप इसे एक संविधान समझिये। यह सौभाग्य का विषय है कि यह बिल माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। इसमें यह बात लाइये कि प्रान्तीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह जिला परिषद् के आन्तरिक मामलों में, प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सके। लाइये इस सुधार को और फिर देखिये कि आप के ऊपर बधाइयों की कितनी बौछार होती है।

माननीय मन्त्री जी ने विधेयक को पेश करते हुए अपने भाषण में कहा था कि हमने अपील का अधिकार कमिश्नर के पास रखा है। मैं पहले अपने विचार प्रकट कर चुका हूं कि मैं नहीं चाहता कि कमिश्नर आगे रक्खा जावे। मैं तो कमिश्नर के पद को ही समाप्त करना चाहता हूं। यह हमारी गुलामी की निशानी है। मेरा तो अपना यह खयाल है कि अंग्रेज ने जो शासन व्यवस्था हमको गुलाम रखने के लिये बनायी थी उसी को आज हमारी प्रादेशिक सरकार बावजूद इसके कि १२ वर्ष बीत चुके हैं, बावजूद इसके कि विकेन्द्रीकरण की दुहाई रोज दी जाती है, उसी नौकरशाही की व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को तोड़िये, इसको सलाम कीजिये, इसको विदा कीजिये और एक ऐसी व्यवस्था कायम कीजिये कि जिससे हमारे देश में जनतांत्रिक प्रणाली फूले फले, जिससे जन साधारण जाग्रत हों और लोग जनतंत्र को समझें। ऐसी भावना जब तक सरकार की नहीं होती तब तक मैं नहीं समझता कि विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम टाउन एरिया और चुंगी इत्यादि को अभी जिला परिषद् के दायरे से बाहर रख रहे

[श्री देवनारायण भारतीय]

हैं। मेरा अपना सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि जहांतक चुंगी है, उसे आप जिला परिषद् के अधिकार के बाहर अभी रख सकते हैं लेकिन जब आप ग्राम सभाओं को जिला परिषद् के मातहत कर सकते हैं तो जिले में चार या छः टाउन एरिया होते हैं, उनको आप क्यों नहीं जिला परिषद् के मातहत करना चाहते। आप टाउन एरिया को विशेष अधिकार दे दीजिये कि वह अपने किसी विशेष प्रतिनिधि को जिला परिषद् में रख सकें। लेकिन टाउन एरिया को जिला परिषद् के दायरे से बाहर रखना, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जिले का प्रत्येक भाग जिला परिषद् के मातहत हो सिवाय चुंगी के और समय पड़ने पर, जब जिला परिषद् ठीक तरीके पर काम करने लगें तो आप चुंगियों को भी उनमें शामिल कर सकते हैं।

मैं इन सुझाओं के बाद अन्त में यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय नन्दराम जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और नेकनीयती से चाहता हूं कि इसे जनमत संग्रह के लिये तीन सप्ताह के लिये वितरित किया जाय और उसके बाद यह सदन में आये और फिर यह एक संयुक्त प्रवर-समिति को दो मास के लिये ही दे दिया जाय। इसमें समय भी अधिक नहीं लगेगा और जितने समय में माननीय मंत्री जी इसको पास कराना चाहते हैं, वह भी हो सकेगा।

श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था कि यह बिल जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय, लेकिन मंत्री महोदय की स्पीच के बाद मैं उस प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता, बल्कि इस सुझाव के पक्ष में हूं कि यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय। लेकिन प्रवर समिति में भेजे जाने की बात कहते हुये मैं कुछ अपने सुझाव इस बिल के बारे में देना चाहता हूं। मंत्री महोदय, की यह कामना कि यह बिल विकेन्द्रीकरण की ओर एक कदम है, उसका मैं स्वागत करता हूं, पर बिल को पढ़ने के बाद मैं इस राय का नहीं हूं कि जो प्रावींजंस इसमें रखे गये हैं वह विकेन्द्रीकरण की ओर अच्छे खासे कदम हैं। मेरी राय में विकेन्द्रीकरण का यह एक उपहास ही होगा अगर हम जरा धीरे धीरे विकेन्द्रीकरण करें। मुझे ऐसा मालूम होता है कि एक ओर तो विकेन्द्रीकरण की बात करना और दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण के पूरे उपकरणों को न देना या देने में हिचक का काम करना, यह हमें उचित नहीं लगता है। जनता की शक्ति और काबिलियत के ऊपर मंत्री महोदय ने अपने भाषण में शुरू में यह कहा था कि पंचायतों में यद्यपि बड़ी कमी है लेकिन फिर भी हम को रिस्क उठाना है, उन्हें गल्तियां भी करने देना है। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अगर यही बात मंत्री महोदय जिला परिषदों के बारे में सोचें कि अगर थोड़ी गलतियां वह करें तो करने दें और उनकी गलतियों को सुधारने की चेष्टा करें तो यह विकेन्द्रीकरण के लिये एक अच्छा खासा कदम होगा और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक चीज मंत्री महोदय ने और कही, वह यह कि जितना पैसा इस सरकार के पास है वह तो यहां माननीय सदस्यों की विभिन्न मांगों में ही खर्च हो जाता है, वहां उन्हें देने के लिये हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, अतः वह अपने उपकरणों को खुद जुटावें, यह भी विकेन्द्रीकरण का मजाक ही करना है। अपनी जगह पर हमें विकेन्द्रीकरण करना है तो उसके माने क्या हैं ? केवल कुछ शक्तियों को दे देना या कुछ शक्तियों के साथ उनको साधन भी देना ? अगर सरकार के हाथ में जो साधन हैं उनको तो अपने हाथ में समेटे रखेंगे और फिर परिषदों को यह कहना कि वह ज्यादा उपयोगी सिद्ध हों, यह चीज मुझे जचती नहीं।

जिले के स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों को जिन्हें आप यह काम सुपुर्द करना चाहते हैं उन पर कितनी रोक इस बिल के भीतर है। पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भीतर जो बातें थीं उनको देखते हुये तो मुझे यह एक रेट्रोग्रेड स्टेप मालूम पड़ता है। जिला बोर्डों से मेरा सम्बन्ध चार वर्षों तक बर्हालयत उसके अध्यक्ष के रहा है। मैं अब जो इस बिल को देखता हूं जिसमें यह कहा जाता है कि जिला स्तर पर हम ऐसी चीज बनायें रखना चाहते हैं कि जो हमारे सारे कामों को करे, जो गांव के भीतर गणतंत्र को ठीक तौर से चला सकें, लोगों में वह भावना विकसित हो, हमारे जो

प्लान हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान हो और आन्दोलन के रूप में हमारे प्लान कार्यरूप में परिणत हों तो इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि इस काम के करने के लिये एक वातावरण तैयार करना होता है। जब तक आप वह वातावरण तैयार नहीं करते, इस चीज के लिये जब तक आप एप्रोच नहीं देते कि उसके भीतर जो आपकी मंशा है वह पूरी की जाय, लोग उसमें दिलचस्पी लें, जिस हद तक आप उनको लेजाना चाहते हैं, वह बातें पूरी नहीं होतीं।

गोविंद सहाय कमेटी जो इवैलुएशन पर, विकास के सम्बन्ध में बनी हुई थी उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, बड़ी उम्दा रिपोर्ट है। गोविंद सहाय जी को और उनके साथी सदस्यों को उस रिपोर्ट के लिखने पर मैं उनको बधायी देता हूं। उन्होंने सही नस पकड़ी है उस रिपोर्ट में। उन्होंने लिखा कि सारा एप्रोच ही गलत है। विकास के प्राब्लम्स के सम्बन्ध में जैसा हमारा एप्रोच होना चाहिये हमारा वह एप्रोच ही नहीं है और उसका कारण यह है कि हमारे आदमी, उनको जो पैसा सरकार देती है उसको खर्च कर देने के यंत्र मात्र रह गये हैं। जो हमारे आदमी विकास खंडों में हैं विकास के कामों के लिये जो मुकर्रर हैं उन पर आप एक टार्गेट रख देते हैं कि इतना पैसा खर्च करना है और यह चीज करनी है। जनता उनमें कितनी दिलचस्पी लेती है, कितना उस काम को करना है या कैसे उनको नजदीक लाया जाय, इसके लिये जो हमारी एप्रोच होनी चाहिये वह नहीं है। अब देखना यह है कि जो हमारी कल्पना है अपने प्रस्तावों के जरिये कि हमें एक समाजवादी समाज की रचना करनी है उसमें इन सारे उपकरणों को जुटाकर देना और एक स्तर पर उसे कुछ यहां से कुछ केन्द्र से, कुछ गांव के भीतर और जिला स्तर पर वह पूरा करना, अब इस काम को करने के लिये दो एजेंसियां हैं, एक तो एजेंसी सरकार की है--सरकार इन चीजों को करे---और दूसरी एजेंसी जनता की है। जनता को एक काम करना है। वह आपका साथ शायद न दे तो यह कहा जायगा कि जनता ठीक तरीके से हमारा साथ नहीं दे रही है। जनता अगर अपना काम करके और सरकार उसे आगे न बढ़ावे तो सरकार पर नुक्ताचीनी की गुंजायश होती है। अब देखना यह है कि जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है उसमें जनता ने आपको सहयोग दिया है या नहीं। मेरा खयाल है कि जनता अपना काम बहुत हद तक कर चुकी है। आपके बजट के कोष को बढ़ाकर उसने १८९ करोड़ कर दिया और भारी बहुमत में उसने आप को इस सदन में लाकर रख दिया। इतना करने के बाद जनता की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत कम हो जाती है और सरकार पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह उस पैसे को कैसे खर्च करे और कैसे उसमें जनता की अभिरुचि पैदा की जाय। इस बैकग्राउन्ड को सामने रखते हुये हम इस विधेयक को जो सामने है देखना चाहते हैं और इस दृष्टिकोण से हम इस सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करेंगे कि वह देखें और विचार करें कि क्या सुझाव प्रवर समिति में दें जिससे वे सारी खामियां दूर हो सकें जिनसे यह विधेयक सफर करता है और इसमें वे सारी बातें ले आ सकें जो हमें या देहात के लोगों को आगे बढ़ा सकें जिनको जिले के स्तर पर काम करने हैं।

मेरा पहला सुझाव तो यह है कि सरकार कुल पैसा लेकर खुद न बैठी रहे। इस पैसे में से अगर हम बहुत सारा काम उनका करना चाहते हैं और उनसे लेना चाहते हैं तो अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग इन जिला परिषदों को सरकार दे और तब उनको यह निर्देश करें कि अब तुमको फलां-फलां किस्म के काम करने हैं और इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमारे ढांचे को देखते हुये जो ऊपर से बना है, अपने जिले के भीतर ले आओ। न कि उन्हें यह अधिकार दें, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि वह बाजार में अपना ऋण ले सकेंगे। अभी मेरे एक मित्र ने बोलते हुये कहा कि यह बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि उनको कर्जा लेने का अधिकार दे दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि कर्जा लेने का एक बड़ा भारी अधिकार है और क्रांतिकारी अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेन्ट कर्जा लेती है, स्टेट गवर्नमेन्ट कर्जा लेती है, अब अगर हरएक कर्जदार ही होता जाय और कर्जे लेने का अधिकार दे दिया जाय तो उसके पास कर्जा देने का कोई साधन भी तो होना चाहिये। और अगर हमारी जिला परिषदों के पास कर्जा देने का कोई साधन नहीं है और अगर उनको उनकी सीमित आमदनी पर कर्जा लेने का अधिकार दे

[श्री उदयशंकर]

दिया गया तो उनके ऊपर एक ऐसा बोझ खड़ा हो जायगा जिसके लिये बाद को इस सरकार को पछताना पड़ेगा। इसलिये इसे मैं कोई क्रांतिकारी कदम नहीं मानता हूं।

मैं अपने क्षेत्र में गया हुआ था और आज ही सुबह लौटा हूं। इस बिल की कुछ धाराओं का जिक्र मैंने किया तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सरकार कहती तो यह है कि हम जनतंत्र को बढ़ाना चाहते हैं और जनतांत्रिक प्रणाली से काम करना चाहते हैं लेकिन वे हमारे अधिकारों को सीमित करते जाते हैं, छीनते जाते हैं और वह है हमारा वोट देने का अधिकार अभी आपने इस विधेयक के भीतर लिखा है कि गांव सभा के सभापति, सदस्य लोग हैं, उनके जरिये हम चुनावों को करायेंगे। मैं इस सदन के सदस्यों से अपील करता हूं। सभी गांवों के क्षेत्रों से आये हैं। कहने को तो वैधानिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि ये गांव पंचायतों की और सभाओं की नुमायंदगी करते हैं या क्षेत्र की या अपने गांव सभा के लोगों की, लेकिन क्या ऐसा है? मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता, आपको अपील करता हूं, आप अपने अपने क्षेत्र के भीतर नजर डालें तो आप यह देखेंगे कि उनमें कौन से लोग आये हैं। क्या वह वाकई प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र के भीतर के जनसमाज का। क्या वह ऐसी मशीनरी है कि जिस मशीनरी के भीतर कोई प्रेरणा इस चीज की है कि गांव की कोई तरक्की की जाय। मैं अपने तजुरबे से, बिना उनको दोष देते हुये यह कह सकता हूं कि अधिकांश गांव सभायें ऐसी हैं जिनको सार्वजनिक हित की कोई चिन्ता नहीं है। कचहरी में देखिये तो दो ही शक्ल में ये गांव समाज के लोग आते हैं या उनका कोई निजी स्वार्थ हुआ उनके सभापति वगैरह का, तब वे सामने आते हैं गांव समाज के अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिये, या किसी से दुश्मनी हुई, किसी से कोई बैर निकालना हुआ। अगर सारे गांव समाज की सम्पत्ति कुल बर्बाद हो, कुल नुकसान हो, उनके कान में जूं नहीं रेंगती। यह आपका एलेक्टोरेट है जो आपने इस बिल के भीतर रखा है। और उसके साथ-साथ एक चीज माननीय मंत्री महोदय ने और कही कि ऐसे लोगों से जो हमारी परिषद् बनेगी वह परिषद् तत्काल मर जायगी अगर एम०एल०ए० या एम०पी० लोग जाकर उसमें बैठ गये। अभी-अभी मेरे मित्र मुक्तिनाथ राय जी अपने यहां की एक चीज का जिक्र कर रहे थे और आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि आजमगढ़ जिले के भीतर एक प्रस्ताव पास हुआ जिला परिषद् से कि साहब यहां का पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन एकदम बहुत उत्तम है। उनसे जो मेरी बातें हुईं तो उन्होंने बतलाया कि साहब यह एकदम उल्टा किस्सा है। अब अगर उन्होंने यह ढांचा रखा है गांव समाज के लिये तथा इन एम०पीज० और एम०एल०एज० को उस जगह से निकाल दिया तो एक तरह से वह ऐसे हो जायगा जैसे आजकल आपकी कोआपरेटिव सोसाइटीज वगैरह के एलेक्शन होते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो सुपरवाइजर होते हैं डेलीगेट अपने घर पर लिख लेते हैं, मीटिंग कोई नहीं होती। या गन्ना समितियां हैं, इनके डेलिगेट घर पर लिख लिये जाते हैं। तो क्या आप इसी तरह के एलेक्टोरेट रखना चाहते हैं, इस तरह से तो सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर पंचायत के हाथ में ये चीजें हो जायेंगी और आप इन चीजों को जिला परिषद् के सदस्यों के हाथ में न देकर, जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में न देकर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे जो सरकारी वर्ग के होंगे और वे अपने ढंग की चीज करेंगे। अब परिषद् के सदस्य हैं, तो आप जनता का ट्रस्ट करते हैं या आप ट्रस्ट करते हैं सरकारी मशीनरी के पुर्जों का? मेरी आपसे यह प्रार्थना है और आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि या तो एम० एल० एज०, एम० पीज० किसी की जरूरत नहीं है, आप जिला परिषद् का पूर्ण विकास चाहते हैं तो आप कराइये उन लोगों का डाइरेक्ट एलेक्शन। कांस्टीटुएंसी बनाइये, और कांस्टीटुएंसी बना कर उसके भीतर डाइरेक्टर एलेक्शन कराइये और डाइरेक्ट एलेक्शन कराने के बाद एम०एल०एज०, एम०पीज० को उसके किनारे न जाने दीजिये। वे अपना काम यहां विधान सभा में जो जो करते हैं वे करेंगे और जनता से भी अपना सम्पर्क बनायें रखेंगे।

एक चीज माननीय मंत्री महोदय ने उस समय कही थी कि इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जायगा। मुझे इस सम्बन्ध में केवल इतना निवेदन करना है कि हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे

हैं। बहुत से काम हमारे होते हैं बहुत से नहीं होते हैं, फिर एक बुनियादी चीज को करने में अगर हमारे कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं तो हम मंत्री महोदय, को बिलकुल इस चीज का यकीन दिला सकते हैं कि अगर किसी भी मद में से या इस सूबे का जो बजट है उसमें से ६०-७० लाख रुपया पांचवें साल निकाल देना कुछ कठिन न होगा। थोड़ा थोड़ा दूसरी किन्हीं मदों से निकालकर एक स्वस्थ प्रणाली को कायम करने के लिये उस पैसे को देना और उसे चलाने की आवश्यकता है। लेकिन एक डाउटफुल पालिसी चलाई जाय जिस में डर हो कि सरकारी मशीनरी के पुर्जे चढ़ बैठें आपके सारे संगठन पर जिसे आप बनाते हैं, वह अपने ढंग से उस चीज को चलायें तो जिस चीज को आप बनाना चाहते हैं वह उसी के हित के विरुद्ध होगा। इसलिये हमारा सुझाव है कि अगर आप डायरेक्ट एलेक्शन कराना चाहते हैं और एम०एल०ए० या एम०एल०सी० की परछांई से बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट एलेक्शन कीजिये लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप की मशीनरी ही रहे और थोड़ा सा पैसा खर्च करके ही एक खिलौना बन जाय तो मेहरबानी करके वहां विधान सभा के सदस्यों व एम०पीज० को रहने दीजिये। उनके रहते हुये जो जिलाधीश या अन्य जो आपके अधिकारी रहेंगे उनकी यह ताब न होगी कि वह कोई चीज गड़बड़ कर सकें।

अब दूसरा प्रश्न उम्र का है, इसके अनुसार ३५ वर्ष का अध्यक्ष होना चाहिये। २५ वर्ष की उम्र का आदमी संसद और विधान सभा में चुना जा सकता है, मंत्री बन सकता है, जिलाधीश हो सकता है और आप की सारी नौकरियों को कर सकता है परन्तु जनता का चुना हुआ आदमी ३५ साल का हो तभी आप के परिषद् का अध्यक्ष हो सकता है, यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। मेरा कहना यह है कि यह चीज इसमें से हटा देना चाहिये।

तीसरी चीज जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह यह है कि यह जो कार्य अधिकारी या एक्जिक्यूटिव आफिसर आपने रखे हैं, उनको रखकर आप जो अधिकार दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप कहते हैं कि सरकार उनको नियुक्त कर देगी ४ साल के लिये। आपको यह शुबहा क्यों है कि आप के जिले का जो यह आदमी है जो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा वह अपने काम को ठीक से नहीं कर सकता। आखिर रखना है तो जैसा खेर कमेटी ने सिफारिश की थी जिसका जिक्र अभी हमारे मित्र श्री देवनारायण भारतीय ने किया था कि आप इस तरह का एक बोर्ड सारे लोकल बाडीज के लिये रखिये, अगर आप को बहुत डर हैं कि नैपोटिज्म होगा, अगर सरकार को डर है कि वह सेक्रेटरी मौके पर पालिटिक्स डील करने लगते हैं तो आप उन की सर्विसेज ट्रांसफरेबिल रखिये बोर्ड बनाकर। एक बोर्ड बनावें जो लोकल बाडीज का चुनाव करे और लोकल बाडीज का चुनाव करके वह बोर्ड समय समय पर स्थानान्तरण किया करे उनके सेक्रेटरीज का, एक्जीक्यूटिव आफिसर्स का। लेकिन यह क्यों कहते हैं कि आदमी हम अपना देंगे। तुम नाकाबिल हो कि अपना आदमी खुद चुन सको। वह आदमी कुछ परवाह करेगा वहां रह कर? आप देखते हैं कि आज का जितना वातावरण है वह कैसा है। कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एस०डी०एम० है या एस०पी० है, जब कभी कोई भी काम करता है, आप क्या करते हैं? आप के यहां आते हैं, वह कुछ भी परवाह नहीं करता। बहुत हुआ तो उसका तबादला कर देते हैं। एक्जेक्टली यही पोजीशन आप जिला परिषद् में लाना चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि यह नहीं होना चाहिये। उनकी बड़ी सेफ्टी करनी है तो खेर कमेटी की रिकमेन्डेशन आप इसमें ले आवें और सारे जो आपके जिला परिषद् हैं सूबे भर के भीतर इनका जो परसनल है उस परसनल के लिये वह बोर्ड देखे कि किस तरह से बनेगा। जितनी भी भ्रष्टाचार की गुंजायश है वह छिद्र आप बन्द कर दें। जितनी आप सुविधा दे सकें कि अत्याचार न हो सके, न दब सकें, तो वह बोर्ड उनकी सर्विसेज को रेग्युलेट करे। आप इतना तो करें।

गांवों के भीतर आपने नियोजन को भी इसी के साथ जोड़ा है कि नियोजन का काम भी हम इन्हीं जिला परिषदों से लेना चाहते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है। नियोजन का काम अब तक जितना चलता रहा है वह वाकई एक बेलगाम चलता रहा है और पिछले दिनों में जितना पैसा नियोजन सम्बन्धी कामों में गांवों में खर्च किया गया उस लिहाज से उस पैसे का रिटर्न गांवों में नहीं है। वह रिटर्न न होने की वजह से गांव का आदमी, जनसाधारण जो आपका है,

[श्री उदय शंकर]

वह यह महसूस करता है कि उसका पैसा बरबाद हो रहा है। गरीब देश में जिसमें आदमी पेट काट करके, अपने स्टैन्डर्ड को थोड़ा कम करके, पैसा सरकार को देता है इसलिये कि सरकार वह योजनायें बनावे, उन कामों में अपना पैसा खर्च करे जिनसे एक निश्चित अवधि के बाद—एक निश्चित अवधि तक तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद—वह ऊंचा उठ सके और उसका भविष्य कुछ अच्छा नजर आये। ऐसा आदमी जब देखता है कि जो पैसा उसने दिया उस पैसे से जो काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

अपने क्षेत्र में एक गांव में मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से कि सरकार यह कर रही है, वह कर रही है। तो गांव वालों ने, बिलकुल एक दम देहाती लोगों ने, एक बात कही। उन्होंने कहा कि साहब कोई काम आप कीजियेगा तो दो पैजामा वाले आप और बढ़ा दीजियेगा और क्या कीजियेगा? ...तो यह असल में गांव के भीतर लोगों की मेंटेलिटी हो रही है। अपनी तरफ चाहे काम में व्यस्त रहने के कारण, चाहे अपनी कुछ दिक्कतों के नाते हालत यह हो गई है कि हम यह देख नहीं पाते कि जो पैसा हम देते हैं उस पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। किसी डिपार्टमेंट में आप जाइये कहीं भी, जो विकास के सम्बन्ध में है, जितना पैसा कुटीर उद्योग के लिये दिया गया, चूंकि अब जिला परिषदों को यह सब देखना होगा, कोई देखने वाला है वह उद्योग कायम हुआ या नहीं, उससे निकली हुई चीज़ बिकी भी या नहीं, उस आदमी की क्या हालत है जिसको हमने कर्ज दिया, जिस काम के लिये कर्जा दिया वह उसी काम में लगा है या दूसरे काम में खर्च कर दिया गया? अब आपकी जिला परिषदें देखेंगी इन चीज़ों को। जब उसके सामने ले जायेंगे तो आप एक मुसीबत पैदा कर देंगे उनके सामने। मैं अपने जिले में जानता हूं। इर्रीगेशन के महकमे के सुपरवाइजर्स हैं ७५ रु० तनख्वाह पाते हैं ५० रु० महीने के मकान में रहते हैं। अब कोई देखने वाला नहीं है ७५ रु० तनख्वाह पाने वाला ५० रु० माहवार के मकान में किस तरह रहता है। किस तरह वह कपड़े पहन कर चलता है कि जिन कपड़ों को उसका बड़े से बड़ा अफसर भी पहन कर नहीं चल सकता। अब ये कन्डीशन्स हैं जिन कंडीशन्स में आपको विकास की चीजों को जिला परिषदों के द्वारा करानी हैं, जब तक कि ये कंडीशन्स कायम रहेंगी, जरा दिक्कत पड़ेगी। मैं अर्ज करूंगा इस बिल को बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखिये कि जो पैसा जाय वह ठीक ढंग से खर्च हो और ठीक ढंग से वह देख मिले। आज बदकिस्मती से १२ साल के भीतर, किन कारणों ने यह स्थिति पैदा की मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज देखने में आती है और वह यह आती है कि हमें गुस्सा नहीं आता अगर किसी बुराई को हम सुनते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह स्थिति जो प्रदेश के भीतर पैदा हो गई है एक बड़े खतरे की स्थिति है। अगर अपनी जगह किसी बुराई की बातों को सुनने के बाद गुस्सा न आवे आदमी को ऊंचे से ऊंचे तक किसी ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास चले जाओ, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ और उनसे कहो कि भाई इस जगह इस तरह की गड़बड़ है तो कान में तेल डाल लेते हैं। यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। उनको आप इस विधेयक के भीतर छाती के ऊपर बैठा दे रहे हैं कुल उन्हीं के हिसाब-किताब में चले, मैं कहता हूं बैठाइये कोई हर्ज नहीं है, आपके पास कोई दूसरी मशीनरी भी नहीं है, लेकिन इसमें यह प्रतिबन्ध भी रखिये वह हिसाब भी, जब सेलेक्ट कमेटी में गौर करने लगें, तो उन पर भी गौर करें कि जितनी यह जो लेथार्जी गवर्नमेंट मशीनरी में पैदा हो गई है जिससे अब जन समुदाय का आदमी किसी गड़बड़ी को मैटर आफ कोर्स ले लेता है। वह यह समझ लेता है कि चलो कोई काम कराना है कहीं पहुंच हो तो काम हो जाय। इस तरह की बातें वे सोचते हैं। मैटर आफ कोर्स मान लिया। उसने इस तरह की बातों को मैटर आफ कोर्स मान लिया। मैं समझता हूं सरकार के जिम्मे यह होता है कि वह अपने देश में उन परिस्थितियों को पैदा करे जिन परिस्थितियों में आदमी मेहनत करे और ईमानदार बने। यह कहना कि जनता का सहयोग नहीं है, जनता का मारेल नहीं है, मारेल बिगड़ गया है जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक कोई काम ठीक नहीं

हो सकता, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह मारेल वगैरह का ऐसा टर्म है जो बनता तब है जब उसके अनुकूल वातावरण होता है। जब तक वह वातावरण आप नहीं बनाते जिसमें ईमानदारी के साथ आदमी चल सके, अपनी रोजमर्रा की जरूरियात जो उसकी जायज हैं उनको पूरा कर सके तब तक अधिकांश आदमी उस रास्ते से फिसल जायेंगे और यह जिम्मा सरकार का होता है कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जिनमें ईमानदारी से आदमी की साधारण बातें चलती रहें और उसको बेईमानी का सहारा न लेना पड़े। लेकिन वह अगर देखेगा कि बेईमानी से आदमी बाजी मार ले जाता है तब वह इस चीज को ग्रहण नहीं करेगा और वह कहेगा मैं तुमसे दसगुना ज्यादा बेईमान। तो मेरी गुजारिश है कि आप गांव के भीतर यह काम कराना चाहते हैं इस जिला परिषद् के जरिये। इस बिल में इस चीज को ध्यान में रखिये कि जो पैसा आप यहां से दें, जो वहां वे थोड़ा बहुत अपने उपकरणों से पैदा करें उसको खर्च करने के लिये उचित निगरानी वे कर सकें और ईमानदारी के रास्ते को प्रोत्साहन मिल सके। अगर ईमानदारी के रास्ते को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है लोगों के भीतर।

अभी रामलखन जी ने कुछ लेखपालों का जिक्र किया कि साहब गांव के भीतर आपके रेकार्डस तैयार होते हैं। अब वहां दो एजेन्सीज हैं। एक सेक्रेटरी की और दूसरे लेखपाल की। लेखपाल कुछ भी करता जाय गांव सभा का आदमी समझता है कि हम बिलकुल बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेखपाल चाहे जितनी भी गड़बड़ी करे। लेखपाल के खिलाफ अगर कोई हिम्मत करके शिकायत भी कर दे तो सारे कागजात तहसील में पड़े रह जाते हैं। कानूनगो और तहसीलदार सब उसकी गर्दन बचाने के चक्कर में रहते हैं। लिहाजा गांव का आदमी कुछ नहीं कर पाता। अब आप जब इसमें भी यही व्यवस्था करने जा रहे हैं तो इस चीज की व्यवस्था कीजिये कि गांव सभा या गांव के भीतर गांव समाज और गांव सभा के सभापति को अपने रेकार्ड्स ठीक करने के लिये जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, या जो कुछ वह कर सकता है वे सब अधिकार इसमें भी दिये जायं, चाहे उसमें आपका रेवेन्यु डिपार्टमेंट आये, चाहे पंचायत राज विभाग आये या और कोई विभाग आये, उसको यह अधिकार हों कि अगर यह मालूम हो जाय कि किसी जगह यह बदमाशी हो रही है तो वह उसको रोक सके और उस पर वह ठिकाने से ऐक्शन ले सके और गांव वालों को वह सुविधा पहुंचा सकें। मनमाने ढंग पर कोई काम न हो सके, एक नियोजित ढंग से काम हो। यह मेरा सुझाव है कि इतनी बातों को सामने रख कर आप सेलेक्ट कमेटी में जायं। इसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ता कि थोड़ा-सा अधिकार आप इधर दे दें या उधर दे दें, लक्ष्य आपके सामने ठीक हो फिर स्टेजेज तो थोड़े बहुत हो सकते हैं।

मेरे एक मित्र ने कहा कि पुलिस की पावर्स होनी चाहिये। मंत्री जी ने भी कहा कि हम विचार कर रहे हैं, आगे चल कर देंगे। यह ठीक है कि अगर आप नहीं समझते हैं तो यकायक पुलिस पावर्स न दें, लेकिन जो पावर्स दीजिये वह तो इतनी दीजिये कि उसमें वे किसी के मोहताज न रहें ताकि जो पिक्चर आप चाहते हैं उसको वे बना सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे तो अंग्रेज ने भी दिया था, सन् १९२२ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट चला आ रहा है मगर कभी १० वर्ष बाद एलेक्शन हो रहा है कभी पांच वर्ष बाद हो रहा है। अब अगर आप इसको बनाने जा रहे हैं तो एक पूरी पिक्चर लेकर बनाइये, अपने आदमियों को ट्रस्ट करिये और उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़िये। उसके पास जितना नियंत्रण भी रख सकें रखिये मगर वह नियंत्रण खाली इस चीज का हो कि बेईमानी न होने पाये, पैसा गबन न होने पाये। अगर उनको कहीं टेक्निकल गाइडेन्स की जरूरत हो तो दीजिये। फिर वे गिरते हैं तो गिरें। बच्चा तो वही आगे बढ़ता है जो चलता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं कोई गड़बड़ी नहीं देखता। बेईमानी न करें, अगर गलती करते हैं तो वह डरने की चीज नहीं है, वह एक हेल्थी साइन है इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े इत्मीनान के साथ स्वायत्त शासन मंत्री के वक्तव्य को सुना जो उन्होंने इस विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने यह बात कही कि जो सत्ता उन्हें जनता से प्राप्त हुई है उसका अब वे विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं और उस जनता तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवाद का विकास करना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि जो विधेयक उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया है वह उनकी इस घोषणा का बहुत जबर्दस्त खंडन करता है और वह यह बात कहता है कि मुझमें वह बात नहीं लिखी है जिसका प्रतिपादन आप अपने वक्तव्य द्वारा करना चाहते हैं।

मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सब से पहली बात तो यह है, जिसका उल्लेख हमारे दूसरे साथियों और सहयोगियों ने किया कि जिस जिला परिषद् का निर्वाचन होना है उसका निर्वाचन कौन करेगा। उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि गांव पंचायतों के चुने हुए सदस्य और टाउन एरिया कमेटियों के सदस्य मिल कर के जिला परिषद् का चुनाव करेंगे। यह चुनाव भी इसी प्रकार से नियंत्रित होगा कि किसी भी गांव में जो सदस्य हैं वह सदस्य संख्या उस गांव की आबादी के अनुपात से निर्धारित नहीं की गयी है। गांव पंचायत के सदस्य, यदि किसी गांव की आबादी ८ या १० हजार की भी हो तो उसकी भी सदस्य संख्या गांव पंचायत ऐक्ट के अनुसार निश्चित है। और यदि एक गांव की जनसंख्या केवल ५०० है तो उसमें कम से कम १५ सदस्य होंगे। अगर ८ हजार किसी गांव की जनसंख्या है तो पंचायत ऐक्ट के अनुसार उसके सदस्य उतने नहीं होंगे। अगर देखा जाय तो उसके अनुसार जितने व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व करते वह नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसी टाउन एरियाज हैं जिनकी सदस्य संख्या ११ होती है उनकी जनसंख्या चाहे ८ हजार हो चाहे ९ हजार हो, वह भी परिषद् के चुनाव में ११ मत देंगे और जिसकी जनसंख्या केवल ५००/६०० है उनके मतदाता कम से कम १५ होंगे तो क्या नियम है? कौन-सा जनतंत्र है, जिसकी स्थापना करने के लिये हमारे माननीय मंत्री जी दुंदभी बजाकर इस माननीय सदन में उपस्थित हुए हैं।

एक बात यह है कि जहां कहीं भी जनता के मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य हैं उनका प्रवेश इसमें सर्वथा वर्जित है। यह कैसा विधेयक है जो आम जनता को अपने निर्वाचित सदस्यों को भेजने की आज्ञा नहीं देता है। जब गांव पंचायतों का चुनाव हुआ था उस समय भिन्न उद्देश्य था और भिन्न परिस्थितियां थीं। उस भिन्न उद्देश्य में पंचायतों का चुनाव किया गया था। आज उन सदस्यों को अधिकार दिया जाता है कि जो तुम गांव पंचायतों का काम चलाने के लिये चुने गये थे अब तुम लोग जिला परिषद के चुनाव में हमारा प्रतिनिधित्व करो। यह चीज सर्वथा जनतंत्र के विरुद्ध है और इसका आदर नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यह हो सकता है कि इसके ऊपर राजनीतिक विभाजन न हो। यदि जनता को अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह जिला परिषद् के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले और इन विधायकों को जो जनता के बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हैं उनको न भेजना उचित नहीं है। यदि पंचायतों के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने प्रतिनिधि चुनकर जिला परिषदों में भेजें तो क्या यह अप्रासांगिक नहीं होगा कि लोक सभा और विधान सभा के सदस्य अपने जिले के विकास कार्यों में भाग न ले सकें। परन्तु यदि मंत्री जी सहमत हो जाते हैं कि बालिग मताधिकार के आधार पर जिला परिषदों का चुनाव होगा तो उस युक्ति से तो मैं सहमत हूं कि बहुत भीड़ हो जाती है यदि जिला परिषद् में तमाम विधायक उपस्थित हो जाते हैं। इस भीड़ से बहुत डर लगता है। इस स्थिति को एवाइड कर दिया जाय और बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव करा दिये जायं। जितने अधिकारियों की वहां भीड़ रहेगी तो यह भीड़ मंत्री जी को बड़ी लुभावनी मालूम होती है और यह भीड़ मनहूस मालूम होती है और वह लोग मत नहीं दे सकते हैं किन्हीं प्रश्नों पर यद्यपि अधिकांश प्रश्नों पर वह मत दे सकते हैं। राय देने की यह प्रणाली जो राजपुरुष वहां पर नियुक्त होंगे उनको मताधिकार प्रदान करना कहां असंगत और जनतांत्रिक है, यह बात मेरी समझ में कतई नहीं आती है।

एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि एक बहुत बड़ी मूक जनता है जिसके ऊपर शासन चलता है, वह मूक जनता जिसके ऊपर इस राष्ट्र का निर्माण करने का सबस ज्यादा उत्तरदायित्व है, मगर जिसको केवल जिला परिषद् को नियंत्रित करने का अधिकार ह, जिला परिषद में भाग लेने का अधिकार नहीं है वह प्राइमरी स्कूल क गरीब और असहाय अध्यापक हैं। जितनी शिक्षा संस्थायें हैं उनका भी कोई प्रतिनिधित्व जिला परिषद् में नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है पहले सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का एक नुमाइन्दा होता था। यहां पर भी अगर अध्यापकों के मत के आधार पर ही उनको भी अपना निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे दिया जाय तो उनके साथ बड़ा न्याय होगा। यह एक बड़ा सेक्शन है जिसका जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इतने प्रतिबन्ध लगाने के बाद भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। कहीं विधायकों की परछाहीं न पड़ जाय, बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव भी न हों, पदेन राज पुरुष सारे के सारे वहां पर जमा कर दिये जायं लेकिन फिर भी कहीं कम्बख्ती के कारण जिला परिषद् इस ढंग से काम न करने लगे जो हमारी सरकार को अरुचिकर नहीं है तो बड़े भारी दंड की भी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है। हमारे माननीय मंत्री जी जनवाद में विश्वास करत हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन जनवाद में गुजरा है। लेकिन यदि उसकी झलक इस विधेयक में नहीं है तो उनके व्यक्तिगत जीवन से इस प्रदेश की जनता का विशेष हित नहीं होने वाला है। मान लीजिये किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा हो गयी है, अगर उसको अनैतिक आचरण के कारण सजा नहीं हुई है तो भी वह जिला परिषद् के चुनाव में भाग नहीं ले सकता तो कुछ न कुछ उसके ऊपर प्रतिबन्ध होना चाहिये। इस तरह से एक आम नियम बना देना उचित नहीं है। इस पर वह गौर फरमायें।

एक बात यह कि जिला परिषद् में जो अध्यक्ष चुना गया है, जैसे महानगरपालिका विधेयक में अध्यक्ष की अवधि एक साल की होती है, यदि पांच साल तक लगातार एक व्यक्ति विश्वास का प्रस्ताव करता रहता है और बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त है तो उस स्थिति में तो वह बिल्कुल ठीक है लेकिन यह बात इसमें जरूर आनी चाहिये कि प्रति वर्ष अविश्वास का प्रस्ताव न आने पर भी अध्यक्ष को विश्वास का प्रस्ताव अवश्य पास करा लेना चाहिये। अविश्वास का प्रस्ताव आये और म्युनिसिपैलिटी में जैसी झंझटें पैदा होती हैं उनको पैदा किया जाय यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। परन्तु अध्यक्ष को जिसको इतने बड़े अधिकार हैं और इतना बड़ा असीमित क्षेत्र है उसको कम से कम बहुमत का विश्वास प्रति वर्ष अवश्य प्राप्त होना चाहिये।

इसी प्रकार से एक बात यह कही गयी कि अध्यक्ष की आयु कम से कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये। इस संबंध में मेरे दूसरे कोलीग्स ने काफी कुछ कहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में मंत्रिपद पर भी जो कि बहुत जिम्मेदारी का काम है उस पर भी इससे कम आयु का व्यक्ति बैठ सकता है। मैं पंडित नेहरू की ग्लिम्पसेज आफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब में लिखी हुई उस चीनी लोक कथा से सहमत नहीं हूं जिसमें कि एक चीनी किसान के चार लड़के थे, जो योग्य था, वह पत्रकार हो गया, दूसरा जो उससे योग्य था वह कवि हो गया और तीसरा यूनिवर्सिटी का अध्यापक हो गया। पंडित नेहरू के कथनानुसार उस चीनी किसान ने यह कहा कि मेरा एक ही लड़का सबसे ज्यादा षड़यंत्रकारी, उपद्रवी, ग्राम के लोगों को तंग करने वाला है, मैं उससे बहुत दुखी हूं, तो वहां के चीनी सामन्त ने कहा कि इसको मेरा वजीर बना दो। यह मेरे लिये बहुत फिट है। तो इस तरह से कोई चीनी किसान का लड़का यहां मिनिस्टर बन गया हो, यह मैं नहीं मानता। एक मिनिस्टर के लिये भी काफी योग्यता की आवश्यकता है और मैं यह समझता हूं कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक अध्यक्ष को उससे ज्यादा योग्यता की कत्तई जरूरत नहीं है। यह एक बहुत निन्दनीय बात है और मैं दरख्वास्त करता हूं कि २५ वर्ष की आयु जिस व्यक्ति की हो उस व्यक्ति को भी जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिये।

इसी प्रकार एक बात यह कही गई है कि आधे से अधिक मत आने पर ही अध्यक्ष का चुनाव कराया जायगा। यानी १०० में से कम से कम ५१, ५२ जिसके पक्ष में राय देंगे वही व्यक्ति

[आचार्य दीपंकर]

अध्यक्ष चुना जायगा। मान लीजिये वहां पर चार व्यक्ति चुनाव के लिये आ गये, तीन आ गये या दो से अधिक आ गये तो वह मत संख्या आपस में बंट जायगी। तब यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर हालत में एक व्यक्ति ५१,५२ वोट जरूर हासिल कर ले। इसके अलावा एक बात मैं आपसे यह और अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ इस विधेयक में बाल-खिलौना भी रखा गया है। बाल-खिलौना यह कि बच्चों को बुलाया जायगा और पर्चियां निकालने को कहा जायगा, और उससे अध्यक्ष का चुनाव होगा। मैं समझता हूं कि इस बाल-खिलौने का म्युनिसिपैलिटियों का अनुभव पिछले मर्तबे का है कि उससे वातावरण बहुत विषाक्त हुआ। अगर मान लीजिये कि एक बार मत बराबर-बराबर आ जाता है तो उस स्थिति में ऐसा अन्धापन करने के बजाय अच्छा यह है कि उस मीटिंग के फैसले को रद्द कर दिया जाय और दुबारा चुनाव कराने का मौका दिया जाय, तीसरी मर्त्तबा मौका दिया जाय और उसके बाद भी यदि उसी प्रकार की मत की समानता आती है उस स्थिति में यह बात लागू हो सकती है कि परची के द्वारा यह तय कर लिया जाय। लेकिन पहली ही मर्तबा बराबर मत आने पर यदि कहा जाता है कि गोली निकालकर के अध्यक्ष का चुनाव करा दिया जाय तो यह बहुत रिसेंटमेंट और परेशानी और उलझन पैदा करने वाली बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक में करीब आठ नौ पेज चुनाव के, एलेक्शन पेटीशन के बारे में लिखा गया है ; म बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं एलेक्शन पेटीशन का .....

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि जब आप ताजा दिमाग हों तब इसके ऊपर टीका टिप्पणी करें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर)

समाज कल्याण कार्य की मूल्यांकन समिति का कार्य निम्न प्रकार है

(१) समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत कार्य प्रणाली की जांच करना तथा उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना।

(२) उपलब्ध साधनों तथा प्राविधिक जानकारी (Technical Knowledge) को ध्यान में रखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्तमान योजनाओं की कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन की सिफारिश करना जिससे कि उनका कार्य शीघ्र फलदाता हो सके।

(३) समाज की समाजवादी प्रतिकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं के संबंध में सिफारिश करना जो कि आगामी दो वर्षों में लागू की जा सकें।

(४) समाज कल्याण विभाग तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के वर्त्तमान संबंध की जांच करना तथा क्षेत्रों में इनके कर्मप्रणाली में सुधार के बारे में सुझाव देना।

(५) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में समिति की यह राय हो कि प्रदेश में समाज कल्याण कार्यों की उन्नति के लिये शासन का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया जाना चाहिये।

निम्नलिखित व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं:—

(१) प्रोफेसर काली प्रसाद, लखनऊ विश्वविद्यालय	सभापति
(२) श्री आर०एन०सक्सेना, आगरा विश्वविद्यालय	सदस्य
(३) श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, विधान सभा	,,
(४) श्री बी०एस० हैकरवाल, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा विभाग	,,
(५) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, कानपुर	,,
(६) श्री सुशीलचन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय	,,
(७) श्रीमती सावित्रीश्याम, एम०एल०सी०	,,
(८) श्रीमती सुनीता चौहान, एम०एल०ए०	,,
(९) डाक्टर सुशीला नैय्यर, एम०पी०	,,
(१०) श्री त्रिलोकीसिंह, एम०एल०ए०	,,
(११) श्री प्रतापचन्द्र आजाद, एम०एल०सी०	,,
(१२) श्री एस०एन० भार्गव, एम०एल०ए०	,,
(१३) श्री मजहर अजीज, संचालक, समाज कल्याण	मंत्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११२ एल० ए०—१९५९—८४५।